लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 17 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

गोपाल सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 17, सातवां सत्र, 2001/1923 (शक)
अंक 3, बुधवार, 25 जुलाई, 2001/3 श्रावण, 1923 (शक)

विषय **कालम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 42 और 44 से 46 1-38

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 43 और 47 से 60 38-69

अतारांकित प्रश्न संख्या 418 से 596 69-390

सभा पटल पर रखे गए पत्र 390-396

कार्य मंत्रणा समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन 396

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

पन्द्रहवां प्रतिवेदन 396

लोक लेखा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन 397

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन 397

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति तथा समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य

(एक) पचहत्तरवां और छिहत्तरवां प्रतिवेदन 397

(दो) सतहत्तरवां और अठहत्तरवां प्रतिवेदन 398

मंत्री द्वारा वक्तव्य

दिल्ली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की आपूर्ति

श्री राम नाईक 398-403

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड 403-404

(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 404

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

नियम 377 के अधीन मामले 408-415

(एक) झारखण्ड में "कुर्मी" जाति को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 408-409

(दो) उत्तर प्रदेश में बिछिया रेलवे स्टेशन पर गोकुल एक्सप्रेस का ठहराव बनाए जाने की आवश्यकता

श्री पदमसेन चौधरी 409

(तीन) गुजरात में विशेष रूप से भरूच संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों का तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए वन कानूनों में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा 409

(चार) झारखंड में लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति बहुल ग्रामीण क्षेत्रों का विद्युतीकरण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. दुखा भगत 410

(पांच) भारत में प्रशिक्षण स्तर में गिरावट की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री अनादि साहू . 410

(छह) उड़ीसा में रमायल और तादार घाटी सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के कारण विस्थापित हुए लोगों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को पर्याप्त मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री के. पी. सिंह देव 410-411

(सात) कर्नाटक में बिंदूर और कासरगौड़ के बीच दो लेन वाले "बाईपास हाइवे" का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री विनय कुमार सोराके 411

(आठ) संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनुसूचित जातियों के समक्ष जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में आ रही समस्याओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 411-412

(नौ) केरल में शोरनूर और कालीकट के बीच रेल सेवाएं बहाल किए जाने की आवश्यकता

श्री टी. गोविन्दन 412-413

(दस) आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम विमानपत्तन को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति 413

विषय	कालम

(ग्यारह) कामगारों के हितों की रक्षा के लिए हथकरघा उद्योग को पुनरुज्जीवित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. चिन्नासामी 413

(बारह) उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए 1000 करोड़ रुपये जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोचन कानूनगो 413-414

(तेरह) बिहार के भोजपुर जिले में आरा में सैनिक स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह 414

(चौदह) बिहार में सकरी–हसनपुर रेल लाइन को बरौनी तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीवन सिंह 414-415

(पन्द्रह) नासिक जिले में भयंकर सूखे से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

डा. हरीभाऊ शंकर महाले 415

नियम 193 के अधीन चर्चा 418-423

आगरा में भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुई शिखर वार्ता

श्री सोमनाथ चटर्जी 418-423

लोक सभा के वर्तमान सदस्य का निधन 423-424

लोक सभा

बुधवार, 25 जुलाई, 2001/3 श्रावण, 1923 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करना

+

*41. श्री ए. नरेन्द्र :
डा. संजय पासवान :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों की पहचान करने और उनके चहुंमुखी विकास हेतु एक विशेष योजना बनाने के बारे में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य–वार ऐसे किन–किन पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार इन क्षेत्रों को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए कोई विशेष पैकेज उपलब्ध कराने की संभावनाओं का पता लगा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) वर्ष 1997 में स्थापित एक समिति द्वारा देश में 100 सर्वाधिक निर्धन और पिछड़े जिलों की पहचान की गई थी। राज्यों से उनके विचारों के लिए अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों से पता चलता है कि उनमें सर्वसम्मति नहीं है और उनमें से बहुतों ने कहा है कि वे प्रयुक्त मापदण्ड से सहमत नहीं हैं। अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक क्षेत्र, जहां तक इसकी विकास समस्याओं और परिप्रेक्ष्य का संबंध है, विलक्षण है। इसी अनुरूपता के आधार पर विकास समस्याओं से युक्त सभी क्षेत्रों के लिए एक प्रकार का पैकेज तैयार करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि : (1) यह पहचान किए गए प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं का निवारण नहीं कर पाएगा; (2) सहायता कुल उपलब्ध केन्द्रीय सहायता से राज्यों को पहले दी जानी होगी और इस प्रकार उनको उपलब्ध केन्द्रीय सहायता के अपर्याप्त स्तर में पहले ही कटौती की जानी होगी, और; (3) यह पंचायती राज संस्थानों को संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा उन्हें योजना बनाने के लिए प्रदत्त विशेषाधिकार का अतिक्रमण करेगा।

केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सहायता के वितरण के लिए प्रयुक्त फार्मूले में वेटेज के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में राज्य सरकारों के प्रयासों में योगकारक बनती है।

पिछले वित्त आयोगों ने केन्द्रीय कर प्राप्ति का अंतर्राज्यीय हिस्सा निर्धारित करने के लिए फार्मूले में पिछड़ेपन पर बल दिया है। विशेष रूप से प्रति व्यक्ति राज्य आय मानदण्ड की प्रतिकूलता के वेट से पिछड़ेपन का आभास होता है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपने अधिनिर्णय की अवधि, 2000–05 के लिए 62.5 प्रतिशत का वेट निश्चित किया था, जो पिछले आयोग द्वारा निश्चित किए गए वेट से अधिक है।

इसके अतिरिक्त "क्षेत्र" और "आधारिक संरचना सूचकांक" के मापदण्ड से भी पिछड़े राज्यों को मदद मिलती है। सामान्य रूप से, विस्तृत क्षेत्र और आधारिक संरचना का कम विकास पूरी तरह से पिछड़ापन से संबद्ध है और इसे स्वीकार करते हुए ग्यारहवें वित्त आयोग ने प्रत्येक को 7.5 प्रतिशत वेट निश्चित किया है, जो दसवें वित्त अयोग द्वारा सिफारिश किए गए 5 प्रतिशत से अधिक है।

राजस्व–अंतराल अनुदान की आवश्यकता का आकलन करना भी एक प्रक्रिया है जिससे पिछड़े राज्यों पर विशेष रूप

से विचार किया जाता है। जो राज्य सापेक्षतः अधिक पिछड़े हैं वे अपने राजस्व को उतना अधिक उगाहने में सक्षम नहीं हैं जितना कि उन्नत राज्य हैं। यह राजस्व अंतराल अनुदान का आकलन निर्मित करता है।

वित्त आयोग अपने निरीक्षण के दौरान प्रत्येक राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विशेष रूप से ध्यान देता है। ऐसी आवश्यकताएं विशेष समस्याओं और उन्नयन के लिए अनुदान की सिफारिश करके पूरी की जाती हैं और इस प्रकार पिछड़े राज्यों को अपने दावे रखने का अवसर मिलता है (अनुबंध–। योजना और गैर–योजना के अंतरण के लिए फार्मूले में प्रयुक्त वेटेज का तुलनात्मक ब्यौरा दर्शाती है)।

इसके अलावा, जनजातीय उप योजना, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरुस्थल विकास कार्यक्रम/ सूखा–प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि जैसे पहचान किए गए क्षेत्रों की विशेष समस्याओं से निपटने के लिए विविध कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन कार्यक्रमों में क्षेत्रों की पहचान करने के लिए और आबंटन के स्तर को निर्धारित करने के लिए विशिष्ट विकास समस्याओं की विशिष्ट विशेषताओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की सहायता करने के लिए गरीबी उपशमन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास, जलसंभर विकास, सामाजिक सुरक्षा और भूमि सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम हैं। इस कार्यक्रमों में निधियों के आबंटन के लिए गरीबी/गरीबी से संबंधित सूचकांकों का प्रयोग किया जाता है। प्रमुख कार्यक्रमों हेतु प्रयुक्त मापदण्ड अनुबन्ध–II में वर्णित हैं।

द्रुतगामी औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को फैलाने के उद्देश्य से, श्रेणी "ए" और श्रेणी "बी" जिलों की पहचान की गई है ताकि आयकर अधिनियम के 80–आईए अनुच्छेद के अंतर्गत आयकर में रियायत दी जा सके। इसके अलावा, विकास केन्द्र स्कीम, एकीकृत अवसंरचना विकास केन्द्र के लिए स्कीम आदि जैसे औद्योगिक क्षेत्रकों की अवसंरचना विकास के लिए विविध स्कीमें हैं।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन से पता चलता है कि समस्या का मूल कारण केवल निधियों की अल्पता ही नहीं बल्कि वितरण तंत्र और शासन प्रणाली की कुशलता और प्रभावोत्पादकता भी है। राज्यों की वित्तीय समस्याओं के कारण, योजना निधियों का प्रयोग वेतन भुगतान के लिए किया गया है; भारत सरकार की निधियां महीनों और वर्षों तक विकास विभागों को नहीं दी जाती हैं; राज्य केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के लिए पूरक निधियां प्राप्त करने में असमर्थ हैं और इसलिए उद्दिष्ट आबंटन प्राप्त नहीं कर सकते हैं; और प्रायः विद्यमान परिसम्पत्तियों की मरम्मत और रख–रखाव भी नहीं हो पाता है। राज्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे पारदर्शिता के स्तर को बढ़ाएं और उच्च प्रतिबद्धता, प्रोत्साहन, व्यावसायिक दक्षता और इन सबसे अधिक राजनीतिक और नौकरशाही प्रणाली की निष्ठा को सुनिश्चित करके सेवाएं प्रदान करने में अपनी क्षमता का उन्नयन करें। दसवीं योजना में, क्षेत्रीय असमानता में कमी लाने और नीति निर्धारण में स्थानीय लोगों की अधिक भागीदारी पर ध्यान सकेन्द्रित करने का प्रस्ताव है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अनुबंध-I

गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत और राज्यों को निधियों के अंतरण के लिए ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा प्रयुक्त वेटेज

मापदण्ड	गाडगिल फार्मूला (वेट %)	ग्यारहवां वित्त आयोग (वेट %)
1. जनसंख्या	60.00	10.00
2. प्रति व्यक्ति आय	25.00	62.50
3. क्षेत्र	0.00	7.50
4. अवसंरचना सूचकांक	0.00	7.50
5. कर प्रयास	2.50	5.00
6. राजकोषीय अनुशासन	2.00	7.50
7. राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने में निष्पादन	3.00	0.00
8. विशेष समस्याएं	7.50	0.00
कुल	100.00	100.00

अनुबंध-II

प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत क्षेत्रों की पहचान/निधियों के आबंटन के लिए प्रयुक्त मापदण्ड

कार्यक्रम/स्कीम	आबंटन के लिए मापदण्ड/आधार
1	2
1. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी)	सभी ब्लाक जिनकी अंतर्राष्ट्रीय भू–सीमाएं हैं।
2. जनजातीय उप–योजना	
(i) जनजातीय विकास परियोजनाएं	उन सभी ब्लाकों/ब्लाक समूहों में स्थापित जहां अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है।
(ii) संशोधित क्षेत्र विकास एप्रोच	10000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्राम–समूहों में जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या जनजातियों की हो।
(iii) समूहों	5000 और इससे अधिक की जनसंख्या वाले ग्राम–समूहों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की हो।
(iv) आदिम जनजातीय समूह	कृषि–पूर्व तकनीकी स्तर और साक्षरता के अत्यंत न्यूनस्तर के आधार पर।
3. पूर्वोत्तर परिषद	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा।
4. पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी)/ (पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम) (डब्ल्यूजीडीपी)	विनिर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों की राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति के द्वारा वर्ष 1965 में पहचान की गई थी। पश्चिमी घाट तालुकों की पहचान डा. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग द्वारा वर्ष 1981 में की गई थी। समीपस्थ तालुकों/ब्लाकों जिनका कम–से–कम 20 प्रतिशत क्षेत्र 600 मी. की ऊंचाई पर है।
5. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई) रोजगार आवश्वासन स्कीम (ईएएस)	राज्यवार गरीबी अनुपात। राज्य में कुल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की तुलना में जिला में ग्रामीण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात को समान वेटेज देकर और उस जिला में कृषि कामगारों के प्रतिव्यक्ति उत्पादन के विपरीत वेटेज देकर जेजीएसवाई और/ईएएस के अंतर्गत पिछड़ेपन के सूचकांक पर जिला–स्तरीय आबटन किया जाता है।
6. इंदिरा आवास योजना	राज्य में 50 प्रतिशत गरीबी अनुपात और 50 प्रतिशत आवास अभाव। जिला स्तर का आबंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और आवास अभाव पर आधारित है।
7. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)	ग्रामीण जल आपूर्ति, अशोधित जन्म–दर और शिशु मृत्यु–दर, निरक्षरता दर और बीच में ही विद्यालय छोड़ने की दर, ग्रामीण आवास अभाव और क्रमशः पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, आवास और ग्रामीण सड़कों में अंतराल के लिए ग्रामीण सड़कों से संबद्ध कुल गांवों की संख्या को प्रयोग करके पांच बुनियादी सेवाओं में अंतराल के आधार पर भारित औसत सूचकांक।
8. मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डीडीपी)/ सूखा–प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी)	(नमी सूचकांक एम आई) शून्य से कम (ब्लाक आधार के रूप में) एमआई=(पी–पीई)/पीई x 100 जहां p=वृष्टिपात और पीई=संभावित वाष्पीकरण

1	2
	एम.आई. कार्यक्रम इकोसिस्टम प्रतिशत सिंचित क्षेत्र
	<–66.7 डीडीपी शुष्क 30 तक
	–66.6 से डीपीएपी अर्द्धशुष्क 20 तक
	–33.3
	–33.2 से 0 डीपीएपी सूखा उप आर्द्रता 15 तक

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र : अध्यक्ष जी, 1997 में स्थापित एक समिति के द्वारा देश में 100 सर्वाधिक निर्धन और पिछड़े जिलों की पहचान की गई थी। मैंने मंत्री जी से पूछा था कि वे कौन–कौन से जिले हैं, लेकिन उत्तर में मंत्री जी ने जिले बताए नहीं हैं। मैंने उनसे स्टेटवाइज उनका ब्यौरा देने के लिए कहा था जो नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि सर्वाधिक बैकवर्ड जिले कौन–कौन से हैं, किन–किन राज्यों में हैं तथा प्रत्येक राज्य में पिछले तीन वर्षों से उनके विकास के लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गई है। मैं विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के बारे में पूछना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश में कितने बैकवर्ड जिलों की पहचान की गई है, वे कौन–कौन से हैं तथा उनके लिए प्रत्येक वर्ष कितनी धनराशि दी गई है?

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, पिछले 30 वर्षों में पिछड़े क्षेत्रों और पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए लगभग 13 समितियों का गठन किया गया है। माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि 1997 में भी एक समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता डा. ई.ए.एस. शर्मा कर रहे थे। इसने 100 पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए रिपोर्ट दी। इसने अनेक मानदण्ड निर्धारित किए। मेरे पास उन 100 जिलों की सूची है। प्रश्न में विशेष रूप से उनके नाम नहीं पूछे गए थे। मैं निश्चित रूप से उनके नाम माननीय सदस्य को दे सकता हूं। उन्होंने खास तौर पर यह पूछा है कि क्या आंध्र प्रदेश में ऐसे कोई जिले थे या नहीं। सच्चाई यह है कि समिति ने अपने मानदण्डों के अनुसार आंध्र प्रदेश में पिछड़े जिलों की पहचान नहीं की थी। उन्होंने छह–सात मानदण्डों के आधार पर कार्रवाई की थी। यदि आप चाहते हैं तो मैं उन्हें पढ़ सकता हूं। वे उस आधार पर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे कि आंध्र प्रदेश में पिछड़े जिले हैं।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र : आंध्र प्रदेश में जो जिले हैं वे बहुत पिछड़े हुए हैं जिसके कारण वहां आज अलगाववाद का नारा लग रहा है। तेलंगाना का डेवलपमेंट नहीं हुआ, वह बहुत पिछड़ा हुआ है, इस कारण से भी वहां अलगाववाद का हल्ला मच रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि वहां कुछ भी नहीं है और कोई डिस्ट्रिक्ट आईडैंटिफाई नहीं किया गया जो बिल्कुल गलत है।

अध्यक्ष महोदय : कमेटी ने आईडैंटिफाई नहीं किया है। आप कमेटी के बारे में बताएं।

श्री ए. नरेन्द्र : इस बारे में जांच करके कोई कोशिश की जा रही है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं विशेष प्रश्न का उत्तर दे रहा था। मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि भारत के दूसरे राज्यों की तरह आंध्र प्रदेश में भी पिछड़े क्षेत्र हैं। लेकिन खास प्रश्न यह था, "क्या 1997 की समिति द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के रूप में पहचान किए गए 100 जिलों में से कोई जिला आंध्र प्रदेश में है अथवा नहीं?" यदि उनके द्वारा अपनाए गए मानदंड के आधार पर कोई जिला आंध्र प्रदेश में नहीं आता है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अपनाए गए प्रत्येक मानदंड में कुछ ऐसे जिले होंगे जिन्हें पिछड़ा समझा जाएगा और कुछ जिले ऐसे होंगे जिन्हें पिछड़ा नहीं माना जाएगा। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि आंध्र प्रदेश की ओर ध्यान ही न दिया जाए या उस राज्य में एक भी क्षेत्र पिछड़ा नहीं है।

[हिन्दी]

डा. संजय पासवान : अध्यक्ष महोदय, शर्मा कमेटी ने 100 जिलों का वर्णन किया है। उनमें लगभग 38 जिले बिहार के हैं। उस कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश का एक जिला भी इसमें नहीं है। उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट के 8 जिले और नॉर्थ बंगाल के 6 जिले हैं। मंत्री महोदय ने कुल

मिला कर 13 कमेटियों का नाम लिया। उन तमाम 13 कमेटियों ने लगभग 60 जिलों के बारे में यह दिखाया कि ये जिले देश के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में से हैं। निश्चित तौर पर 13 कमेटियों ने अनुशंसाएं कीं लेकिन आज तक इस दिशा में ईमानदारी से प्रयास नहीं हुआ। आज आप सरकार में हैं लेकिन उसके पहले की सरकार ने भी इन क्षेत्रों के साथ बेईमानी की। आप जिस क्राइटेरिया की बात कह रहे हैं, उसके अनुसार 100 जिले केवल 12 राज्यों में सीमित हैं जबकि सभी राज्यों की राय ली गई थी। आपने कहा कि कनसैंसस नहीं है। केरल और आंध्र प्रदेश का कोई जिला नहीं लिया गया जबकि इन राज्यों से राय ली गई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका सप्लीमैंटरी क्या है?

डा. संजय पासवान : अध्यक्ष महोदय, सबसे अधिक पिछड़े जिले बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ बंगाल में हैं।...*(व्यवधान)* किन राज्यों की राय ली गई, किन की नहीं ली गई, किन राज्यों ने इस पर सहमति व्यक्त की और नॉन कनसैंसस किन राज्यों की तरफ से है? जिन राज्यों ने असहमति व्यक्त की, उनके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, जहां तक विभिन्न राज्यों की विस्तृत टिप्पणियों का संबंध है, यदि आप निर्देश दें तो मैं उन्हें प्राप्त करके माननीय सदस्य तथा अन्य सदस्यों को भेज दूंगा। दूसरा, उससे यह कहना कि पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के संबंध में तीस वर्षों से ईमानदारी के साथ प्रयास नहीं किए गए हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। मैंने उत्तर में बताया है कि आबंटन के प्रत्येक चरण में–वित्त आयोग से, योजना अयोग से, गाडगिल फार्मूला के अंतर्गत, प्रत्येक विशेष कार्यक्रम के तहत–किसी क्षेत्र के पिछड़ेपन, राज्य में किसी विशेष पिछड़े क्षेत्र अथवा समुदाय का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। कृपया उत्तर के साथ संलग्न तालिका देखें। आप देखेंगे कि पिछड़ापन और पिछड़ेपन का सुझाव देने वाले विभिन्न अन्य मानदंड उन कसौटियों में से हैं जिनके आधार पर आबंटन निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश में क्षेत्रीय विषमता बहुत खतरनाक होती है। हम देख रहे हैं कि देश में कुछ राज्य ज्यादा पिछड़े हैं, इसलिए सरकार ने उन्हें स्पेशल कैटेगिरी का दर्जा दिया लेकिन इसके बाद भी कुछ राज्य पिछड़े हैं और कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्र पिछड़े हैं। संविधान कहता है कि जो राज्य पीछे छूट गए हैं, उन्हें मूल धारा में लाकर विशेष सुविधा दी जाए। रिजर्वेशन की पालिसी के तहत यह लागू भी है। हालांकि यह प्रश्न आपके लिए भारी पड़ जाएगा यदि मैं विस्तार से इस बात को कहूं, प्रधान मंत्री इसका उत्तर दें तो अच्छा होगा। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उसने तमाम इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स को देकर देश के पिछड़े राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों को मूल धारा में लाने के लिए, उनके समुचित विकास के लिए क्या आवश्यक कार्रवाई करने के बारे में सोचा है? क्या सरकार कोई योजना बनाएगी जिससे पिछड़े राज्य या क्षेत्र जो पीछे रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा सके। जहां गरीब, पिछड़ी और दलित आबादी ज्यादा हो, विकास के माध्यम से उनके लिए कोई योजना बनाई गई हो तो बताइए।

श्री अरूण शौरी : अध्यक्ष जी, ऑनरेबल मैंबर ने जो कहा है, यही वह क्राइटेरिया है जिससे डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना ऐलोकेशन दिया जाए। यदि ऑनरेबल मैंबर प्रश्न के उत्तर पर गौर फरमाएंगे तो मालूम होगा कि गाडगिल फार्मूला, फाइनैंस कमीशन फार्मूला, ट्राइबल सब–प्लान फार्मूला, बॉर्डर एरिया डेवलेपमेंट, हिली एरिया डेवलेपमेंट... *(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, इन सब फार्मूलों के बावजूद क्षेत्रीय विषमता बढ़ रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उस फार्मूले में सुधार करेगी?

श्री अरूण शौरी : अध्यक्ष जी, ये दोनों इम्पोर्टेंट प्वाइंट्स हैं। इन फार्मूलों को चेंज करने के लिए पिछले 10–15 साल से डिस्कशन चल रही है लेकिन स्टेट्स में इस विषय पर सहमति नहीं हो पा रही है। अब यह नहीं हो सकता कि आंध्र प्रदेश और...*(व्यवधान)*

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, इस प्रश्न का जवाब माननीय मंत्री जी के बूते से बाहर है। यदि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका जवाब देते...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन समाधान देने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : महोदय, इन समस्याओं का समाधान दो निकाय करते हैं। एक है राष्ट्रीय विकास परिषद जिसमें बिहार के मुख्य मंत्री सहित सभी मुख्य मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक वे मानदण्डों में संशोधन नहीं करेंगे। तब तक सरकार स्वतः ऐसा नहीं कर सकती।

दूसरे निकाय के संबंध में, वित्त आयोग उनका निर्धारण करता है। वह प्रत्येक राज्य की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह क्षेत्रों के पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं।

श्री अरूण शौरी : लेकिन महोदय, पिछड़ापन भी एक कारक है। लिखित उत्तर में मैंने यही बताया है। प्रत्येक योजना में कृपया मानदण्ड देखें। वे जिन–जिन कारकों पर ध्यान देते हैं उनमें विशेष रूप से हैं–राज्यों का पिछड़ापन, सीमित संसाधन और वित्तीय कठिनाइयां। इस प्रकार, इन सभी कारकों को ध्यान में रखा जाता है। रिकार्डों की जांच करने के बाद मैंने सचमुच माननीय सदस्य को यह बताया है कि ऐसा नहीं है कि योजनओं का अभाव है अथवा आबंटन का अभाव है, यह तो वास्तव में स्थानीय स्तर का शासन है जो देश के कई क्षेत्रों में पिछड़ेपन और गरीबी को शीघ्र दूर करने से रोक रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, 100 पिछड़े जिलों में कुछ सर्वाधिक पिछड़े जिले भी हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जो पिछले अनेक वर्षों से चल रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम है सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) पश्चिम बंगाल मे मेरे पुरूलिया जिले में जोकि सर्वाधिक पिछड़े जिलों में से एक है, यह कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से काफी चल रहा था। लेकिन 2000–01 से डीपीएपी के अंतर्गत मेरे जिले को एक पैसा तक नहीं मिला है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि क्या भारत सरकार ने यह कार्यक्रम बंद कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप हमारे राज्य के इस पिछड़े जिले के लिए एक पैसे की भी मंजूरी नहीं दी गई है?

अध्यक्ष महोदय : बसुदेव आचार्य जी, यह प्रश्न पिछड़े क्षेत्रों की पहचान से संबंधित है। यह निधि जारी करने के बारे में नहीं है।

श्री अरूण शौरी : महादेय, चूंकि यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहली बात, यह कार्यक्रम बंद नहीं किया गया है। वस्तुतः यह आज पश्चिम बंगाल सहित देश के 16 राज्यों के 180 जिलों में 961 ब्लाक में चल रहा है। इसी वर्ष, इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 12000 परियोजनाएं हैं जिनमें प्रत्येक परियोजना के लिए 500 हेक्टेयर भूमि पर कार्य शुरू किया जा रहा है। आपके द्वारा पारित बजट में इस कार्यक्रम के लिए आपने 210 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं।

इस प्रश्न के संबंध में कि क्या यह कार्यक्रम किसी विशेष जिले में चल रहा है या नहीं और इस संबंध में आबंटन क्यों नहीं किया गया है, मैं निःसंदेह इसकी जांच करूंगा और माननीय सदस्य को उत्तर दूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं जो अत्यधिक चिंतित हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जिस इलाके के बारे में बोल रहे हैं, आपसे निवेदन है कि जिन जिलों के नाम दिए हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : राजो सिंह जी, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जो पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग अर्थात उत्तरी बंगाल में पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं के प्रति काफी चिंतित और सहानुभूतिपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी भी हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा कई बार हस्तक्षेप करने के कारण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए इस मामले को समय–समय पर राज्य सरकार के पास भेजा।

मैं माननीय मंत्री जी से एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या उन्हें यह मालूम है कि पिछड़े क्षेत्र, जिनकी पहचान की गई है और जिन्हें 1997 में गठित समिति की सिफारिशों में सूचीबद्ध किया गया है, की गरीबी स्तर पर, जातीय स्तर पर और समग्र बुनियादी विकास स्तर की विशेषताओं में उस विशेष प्रयोजन के लिए किए गए योजनागत आबंटन को क्रियान्वित न करने के कारण और अधिक परिवर्तन अथवा गिरावट आ गई है? क्या उन्हें यह मालूम है कि मालदा से दीनाजपुर, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार तक निधियों का निर्धारित प्रयोजन से इतर कार्यों के लिए उपयोग किया गया जिससे राजवंशियों की जातीय समस्याओं के बढ़ने के साथ–साथ एक नया खतरा भी उत्पन्न हो गया? इसलिए क्या मंत्री महोदय यह देखने के लिए किसी समिति के गठन पर विचार करेंगे कि ऐसे पिछड़े क्षेत्र कौन–कौन से हैं जहां निधि का अन्यत्र उपयोग किया गया है और भारत सरकार का इस मामले का समाधान करने

के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है? श्री ए.बी. ए. गनी खां चौधरी ने इन क्षेत्रों के विकास में अत्यधिक योगदान दिया है। मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है और यह बात सच भी है कि योजनागत निधियों के निर्धारित से इतर प्रयोजनों के लिए उपयोग ने समूचे उत्तरी बंगाल को पंगु बना दिया है। यदि भारत सरकार योजना आयोग के माध्यम से उन विशेष क्षेत्रों की निगरानी करने के लिए इस बात का ध्यान नहीं रखती है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए, क्या मंत्री महोदय एक समिति का गठन करने पर विचार करेंगे?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सभा में इस तरह का निराधार आरोप कैसे लगाया जा सकता है? यह राज्य सरकार पर लगाया गया बेबुनियाद आरोप है।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इसे सिद्ध कर सकता हूं।

श्री अरूण शौरी : महोदय, आप देख सकते हैं कि दोनों माननीय सदस्यों जिन्हें इस क्षेत्र की जानकारी है, उनके बीच मतभेद है। लेकिन मुद्दा तो यह है कि श्री दासमुंशी इस मामले में काफी सचेत रहे हैं और सरकार को भी सचेत करते रहे हैं, वह यह अच्छी तरह जानते हैं और मुझे विश्वास है कि इसीलिए वे मुझे इस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हैं कि हमने इस मामले को राज्य सरकार के साथ बार–बार उठाया है। पिछली बार मुझे इसके बारे में सभा को बताने का अवसर मिला था। मुख्य मंत्री तथा अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से भेजे गए अनेक पत्रों की पावती तक नहीं मिली।

दूसरी बात यह है कि जहां तक उत्तरी बंगाल की समस्याओं का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ वार्षिक योजना चर्चा में हम आर्सनिक जहर तथा अन्य समस्याओं जिनकी ओर वह तथा अन्य सदस्य ध्यान दिला रहे हैं, पर विशेष ध्यान देंगे...*(व्यवधान)* उनका दूसरा मुद्दा पिछड़े जिलों को आबंटित निधि के अन्यत्र उपयोग के बारे में था और उसका बाद में क्या हुआ। उन्होंने पूछा था कि क्या इस प्रयोजनार्थ किसी विशेष समिति का गठन किया जाएगा। यह प्रस्ताव केन्द्र–राज्य के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। यह बहुत कठिन समस्या है।

[अनुवाद]

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी राज्य के व्यय ढांचे पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने के बजाय वास्तव में इस प्रश्न को उस राज्य सरकार के साथ चर्चा करते समय उठाया जाना चाहिए।

अंतिम मुद्दा इस प्रकार है और यह पश्चिम बंगाल के मामले में माननीय सदस्यों के लिए कुछ रुचिकर हो सकता है। अन्य राज्यों में भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या आप यह निर्देश नहीं दे सकते कि योजनागत राशि को अन्यत्र खर्च न किया जाए? यह एक अति महत्वपूर्ण मामला है। पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करके योजना राशि को अन्यत्र किस प्रकार खर्च किया जा सकता है?...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : वह ऐसा निराधार आरोप किस प्रकार लगा सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य यह क्या है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, कृपया बैठ जाइए। इसे कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। माननीय मंत्री के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही–वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

*(व्यवधान)**

श्री अरूण शौरी : महोदय, मैं पहले भी सभा में यह बात कहता रहा हूं कि राज्य सरकारों को निर्देश देना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें सहयोग की भावना से काम करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, यहां क्या हो रहा है। माननीय मंत्री के उत्तर के अलावा कार्यवाही–वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री अरूण शौरी : मैं केवल एक तथ्य बताना चाहूंगा, जिसका खुलासा हो चुका है। इस मामले पर विचार करने के लिए उपयुक्त निकाय नियंत्रक–महालेखापरीक्षक है और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे उक्त निकाय से संपर्क करें क्योंकि यही निकाय बजट और व्यय के तरीकों पर नजर रखता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : संपूर्ण राष्ट्र यह देख रहा है कि हम इस सभा में किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। किसी को भी इसकी चिंता नहीं है।

---

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अरूण शौरी : पश्चिम बंगाल से संबंधित रिपोर्ट में इसे इसी प्रकार बताया गया है। मुझे जो याद है वही बोल रहा हूं, यदि कुछ गलत हुआ तो वह शुद्धि के अध्यधीन होगा।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, अन्य सदस्य भी हैं, कृपया अपना उत्तर पूरा करें।

श्री अरूण शौरी : तथाकथित पूंजी व्यय सहित व्यय का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा अब वर्तमान व्यय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का उत्तर सुनकर हतप्रभ रह गया क्योंकि वे विषय से विषयांतर हो गए। प्रश्न यह पूछा गया था कि कौन–कौन से क्षेत्रों को समिति द्वारा चयनित किया गया जो सबसे पिछड़े हैं। मैं भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि आपने जो समिति बैठाई, ये 40 पन्नों की रिपोर्ट तैयार करवाई, बड़े–बड़े अधिकारियों को इस काम में लगाया, सौ ऐसे जिले जिसमें निश्चित रूप से मेरा सारण जिला भी आता है, उनको चयनित किया गया और जिसमें मापदण्ड निर्धारित किए गए कि इन मापदण्डों के आधार पर इन क्षेत्रों को पिछड़ा डिक्लेयर किया जाता है। उन सौ क्षेत्रों को आपने चयनित किया। भारत सरकार का पैसा आप खर्च करते हैं, बड़े–बड़े पदाधिकारियों को काम पर लगाते हैं। जिस समय यह समिति गठित की गई होगी निश्चित रूप से समिति ने रिपार्ट दी, उस पर कार्रवाई करने को ये बाध्य थे। आज जो उत्तर आप दे रहे हैं, उस पूरी समिति के निष्कर्ष के बिल्कुल प्रतिकूल उत्तर दे रहे हैं। आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ लें।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार अगर अपना पैसा ऐसी समितियों को गठित करके इस प्रकार से व्यय करना चाहती है तो यह देश की संपत्ति का नुकसान है। अगर आपने समिति गठित की, सौ ऐसे जिलों को उसने चुना जो बिल्कुल पिछड़े हैं तो आप बताएं उन सौ जिलों के लिए आप क्या करना चाहते हैं। क्या कोई विशेष पैकेज लाना चाहते हैं? क्या वित्त मंत्री जी इन जिलों को कुछ देना चाहते हैं? प्रधान मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। यहां जिलों को चयनित किया गया है, भारत सरकार का पैसा खर्च किया गया, जॉइंट सैक्रेटरी और सैक्रटरी लेवल के अधिकारी इसमें लगाए गए, सरकार के तीन साल इसमें खराब किए गए तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था? मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री अरूण शौरी : मैं इस प्रश्न पर सख्त आपत्ति दर्ज कराता हूं। यह कहना कि समितियों का गठन करके हम सरकारी धन का अपव्यय कर रहे हैं, सरासर गलत है। सच्चाई यह है कि 1997 में एक समिति गठित की गई थी। यह समिति कुछ निष्कर्षों पर पहुंची है। ये निष्कर्ष आदानों से संबंधित हैं, जिन पर कार्यक्रम बनाते समय विचार किया जाता है। आप कार्यक्रम देख सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री राजीव प्रताप रूडी : यह सरासर गलत है। हम इससे सहमत नहीं हैं। लगभग 100 जिलों का चयन किया गया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठें, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी : यदि सभी कार्यक्रम शामिल किए जाने थे, तो हमने समिति क्यों गठित की?.....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही–वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री राजीव प्रताप रूडी : हमें यह बात स्वीकार्य नहीं है।

श्री अरूण शौरी : हो सकता है कि यह बात संबंधित सदस्य को स्वीकार्य न हो परंतु निश्चित रूप से सरकार का उत्तर यही है। कार्यक्रमों की शृंखला शुरू की गई है। उत्तरवर्ती सरकारें पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें

*कार्यवाही–वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

लागू कर रही हैं। आप पूर्वोत्तर राज्यों को ही ले लीजिए। श्री संतोष मोहन देव यहां बैठे हैं। उस क्षेत्र के लिए विशेष तौर पर कार्यक्रमों का एक सेट तैयार किया गया है। अन्य प्रत्येक राज्य की विशेष समस्याओं, पिछड़ेपन और उनकी क्षमता को मद्देनजर रखते हुए विशेष कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। किसी समिति का जिलों की पहचान करने का तरीका ही एकमात्र तरीका नहीं है और ऐसा नहीं है कि जब कभी भी समिति की बैठक होगी, एक अलग कार्यक्रम (पैकेज) तैयार किया जाएगा। हम पैकेजों में संयोजन लाना चाहते हैं ताकि हमारे पर एक ही प्रकार की योजनाओं की बहुविधता न हो। आज, 254 केन्द्र–प्रायोजित योजनाएं चल रही हैं। राज्य भी यह कह रहे हैं कि ये बहुत अधिक हैं। अतः, हमें यह मांग करने के बजाय कि अमुक–अमुक समिति के कारण हमें एक अतिरिक्त पैकेज मिलना चाहिए, हमें वास्तव में तथाकथित पैकेजों को संयोजित करने उनमें समरूपता लानी चाहिए। मैं सदस्य महोदय और आपसे इन मामलों पर चर्चा आयोजित करने का अनुरोध करता हूं और हम इसे स्पष्ट करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बीस नाम और हैं। हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री जी, क्या इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाने में आपको कोई आपत्ति है?

श्री अरूण शौरी : आप किसी भी समय यह चर्चा करवा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवाने के लिए सहमत हो गए हैं।

आयोडीन रहित नमक

\+

***42. श्री रामशेठ ठाकुर :**

श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मई, 2001 के "दि हिन्दू" समाचार–पत्र में "न्यू टर्न टू आयोडाइज्ड साल्ट कंट्रोवर्सी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने आयोडीन रहित नमक के प्रयोग पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया था;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर आयोडीन रहित नमक का उपयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(च) सरकार द्वारा आयोडीन रहित नमक के प्रयोग पर पुनः प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (च) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जी, हां। समाचार–पत्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि जबकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीधे मानव उपभोग के लिए आयोडीन रहित नमक की बिक्री पर प्रतिबंध हटा लिया है, वहीं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य सरकारों को महिलाओं और बच्चों के पोषण से संबंधित अपने कार्यक्रमों में केवल आयोडीनयुक्त नमक का ही उपयोग करने का निर्देश दिया है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला और बाल विकास विभाग से प्राप्त सूचना से पता चलता है कि उन्होंने बच्चों और महिलाओं के पूरक आहार वाले कार्यक्रमों में केवल आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश नहीं दिए हैं। शैक्षिक सामग्री, पोषण प्रदर्शन कार्यक्रमों, पोषण परामर्श आदि के माध्यम से आयोडीनयुक्त नमक के लाभकारी प्रभावों के बारे में जन समुदाय को शिक्षित करना खाद्य और पोषण बोर्ड द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है।

केन्द्रीय सरकार ने खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत 30.9.2000 से देश के सभी भागों में सीधे मानव उपभोग के लिए आयोडीनयुक्त नमक की अनिवार्य बिक्री की सांविधिक अनिवार्यता को हटा दिया था। इस उपाय से यह सुनिश्चित होगा कि राज्यों के विभिन्न भागों में पोषणिक स्थिति के आधार पर उनके जिन क्षेत्रों में आवश्यक समझा जाए, वहां पर सीधे मानव उपभोग के लिए केवल आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री की कानूनी बाध्यता के प्रश्न पर राज्य सरकारों द्वारा अधिक सोचा–समझा निर्णय लिया जाएगा।

परिणामी स्थिति से यह सुनिश्चित होगा कि ऐसे क्षेत्रों में जहां राज्य सरकारों द्वारा कानूनी बाध्यता आवश्यक नहीं

समझी जाए, वहां पर आयोडीनयुक्त अथवा आयोडीन रहित नमक लेने के सोचे–समझे विकल्प की अनुमति प्रदान करने में उन्हें पर्याप्त छूट मिल सकेगी और इस प्रकार जन स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में अनावश्यक बाध्यता से बचा जा सकेगा। मानव के सीधे उपभोग के लिए आयोडीनयुक्त नमक की अनिवार्य बिक्री के केन्द्रीय कानूनी उपबंध को हटा लेने के बाद भी केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों तथा आंध्र प्रदेश के कुछ भागों को छोड़कर सभी राज्य खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 7 (IV) के अधीन कानूनी प्रतिबंधों को लागू कर रहे हैं।

आयोडीन रहित नमक के उपभोग के अपने कारण से स्वास्थ्य पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी, प्रजनक आयु वर्ग वाली महिलाओं और बच्चों जैसे जनसंख्या के अतिसंवेदनशील वर्गों को नमक के माध्यम से अथवा किसी अन्य प्रकार से आयोडीन लेने से लाभ हो सकता है।

केन्द्रीय सरकार आयोडीन के अपर्याप्त ग्रहण से होने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में सूचना, शिक्षा और संप्रेषण का एक विशेष अभियान चला रही है। राज्य सरकारों द्वारा लागू की गईं अपेक्षित अधिसूचनाओं के माध्यम से देश के सभी भागों में, जहां कहीं भी यह आवश्यक है, आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर कानूनी बाध्यता के जारी रहने से तथा इसे सूचना, शिक्षा संप्रेषण के और अधिक गहन अभियान द्वारा अनुपूरित होने से आयोडीन की कमी के कारण खतरे में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

डा. सी. पी. ठाकुर : महोदय, वास्तव में साधारण नमक के साथ हमारे देश के लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। साधारण नमक पर प्रतिबंध कुछ समय के लिए अर्थात् 27.5.98 से 7.10.98 के बीच ही लगाया गया था। उससे पहले साधारण नमक पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों के पास उनके अपने कानून थे। यह कुछ राज्यों में आंशिक और कुछ राज्यों में पूर्णरूप से लागू था। इस सभा में भी इसका विरोध किया गया था। आपको याद भी होगा कि गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ सांसदों ने यह कहकर इसका विरोध किया था कि इससे छोटे उत्पादकों को मुश्किलें हो रही हैं। कुछ गांधीवादियों ने भी इस मामले में कहा कि प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए और यह मामला इसके प्रयोक्ताओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इस आधार पर यह प्रतिबंध हटा दिया गया। इस प्रकार, यह प्रतिबंध वहां कुछ ही समय के लिए था। परन्तु हम अभी भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आयोडीनयुक्त नमक को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जिन क्षेत्रों में इसकी कमी है, वहां हम कुछ कार्यवाही कर रहे हैं, हमने आई.ई.सी. गतिविधियां बढ़ा दी हैं। हमने आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता बढ़ा दी है। इस संबंध में हमने सभी प्रयास किए हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अभी तो मुझे पहला ही अनुपूरक प्रश्न पूछना है। मंत्री जी ने मेरे बिना अनुपूरक प्रश्न पूछे ही जवाब दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में तथा अभी जो कहा उसमें भी बताया है कि आयोडीनयुक्त नमक की बिक्री पर कोई जोर नहीं दिया गया है, लेकिन पार्श्यली कंपल्शन किया गया है। केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के कुछ हिस्सों में आयोडीनरहित नमक बेचने की अनुमति दी हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश में कुल कितना आयोडीनयुक्त और कितना आयोडीनरहित नमक का उत्पादन और सेवन होता है और महाराष्ट्र में इसकी स्थिति क्या है?

डा. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 50 लाख टन आयोडाइज्ड साल्ट की रिक्वायरमेंट है और 46 लाख टन की खपत है। हमारी क्षमता 130 लाख टन आयोडाइज्ड नमक बनाने की है। महाराष्ट्र में आयोडीन रहित नमक पर पार्श्यली बैन है अर्थात् कुछ क्षेत्रों में बिक्री की अनुमति है और कुछ में नहीं है। माननीय सदस्य का जो एरिया कोंकण है उसमें बैन नहीं है। हम लोगों की बराबर कोशिश रही है कि जहां–जहां स्पेसिफिक रूप से आयोडीन की डैफीशिएंसी है, उन क्षेत्रों में आयोडीनयुक्त नमक की ज्यादा खपत हो–इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं।

श्री रामशेठ ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार की योजना के अनुसार एक क्षेत्रीय अधिकारी हर राज्य में नमक की पैदावार, खपत और उसके आवागमन को नियंत्रित करने और निगाह रखने के लिए होता है। नमक आयुक्त, जयपुर, महाराष्ट्र और गुजरात में नमक के आवागमन को भी देखते हैं। उन्होंने अपने एक सर्कुलर दिनांक 15.3.2001 के द्वारा 58 हजार टन नमक एक वर्ष में गुजरात से महाराष्ट्र भेजने के निर्देश दिए और स्पष्ट किया कि इतना ही नमक एक वर्ष में गुजरात से महाराष्ट्र जा सकता है, उससे अधिक नहीं, लेकिन छः महीने के अंदर

ही गुजरात ने महाराष्ट्र को 5 लाख टन नमक भेज दिया और इस ज्यादा नमक को भेजने से रोकने के बारे में क्षेत्रीय अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र के 30 प्रतिशत कामगार यानी 20 हजार कामगार बेकार हो गए।

कई बार लोक–प्रतिनिधि और वहां के नमक बनाने वाले लोगों ने शिकायत की लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार गुजरात से महाराष्ट्र को होने वाले नमक की अत्यधिक सप्लाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाएगी और वह कदम कब तक उठाया जाएगा?

डा. सी. पी. ठाकुर : यह स्पैसीफिक प्रश्न है। हम दोनों राँज्यों से बात करेंगे ताकि गुजरात के किसानों की रोजी–रोटी भी न मरे और महाराष्ट्र के किसानों का नुकसान भी न हो। यह बात हम करेंगे।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी का उत्तर पढ़ा है और जिन सांसदों ने आपत्ति की थी उनमें मैं भी था। जहां प्रतिबंध लगाया गया वहां महंगे दामों पर गरीब आदमी को अनावश्यक रूप से नमक खरीदना पड़ा, यह उसका एक पक्ष था। मैं मध्य प्रदेश के बालाघट जिले का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां इसके ठीक उलट बात है कि जिन लोगों ने स्वास्थ्य की अनुकूलता के लिए आयोडीनयुक्त नमक की वकालत की थी, उनके बारे में मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारे यहां चांगोटोला लामता क्षेत्र में आयोडीनयुक्त नमक खाने से गंभीर बीमारियां हुई हैं क्योंकि बालाघाट जिले में मैंगनीज और कॉपर की माइन्स हैं, कारण मुझे नहीं पता, लेकिन आयोडीनयुक्त नमक खाने के कारण वे गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए हैं। इस संदर्भ में मैंने पत्र भी लिखा था। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आयोडीनयुक्त नमक की वकालत की थी, बालाघाट जिले के उन क्षेत्रों में जहां आयोडीनयुक्त नमक खाने के कारण लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, क्या उसकी जांच कराएंगे या दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी?

डा. सी. पी. ठाकुर : इसकी हम जांच करवाएंगे कि आयोडीनयुक्त नमक खाने से उनको क्या हानि हुई है।

श्री शंकर सिंह वाघेला : भारत सरकार बड़ी–बड़ी कंपनियों की आयोडीनयुक्त नमक के लिए गंदी एडवरटाइजमेंट टीवी में दिखा रही है। क्या भारत सरकार टाटा और बड़ी कंपनियों के नीचे काम कर रही है और कहती है कि आप आयोडीनयुक्त नमक खाइए? टी.वी. पर जो एड आता है, वह इतना गंदा होता है जिससे लोगों को लगता है कि आयोडीनयुक्त नमक नहीं खाया इसलिए बच्चे का गला ऐसा हो गया। पता नहीं कहां से ऐसा बच्चा पकड़कर ले आए। उनको लगता है कि यह क्या कर रखा है। आप हमारा दिमाग टेढ़ा करने का काम क्यों कर रहे हैं। नमक नमक होता है। क्या आपने कभी आयोडीनयुक्त नमक खाया है? क्या आपके पिताजी ने भी कभी आयोडीनयुक्त नमक खाया था? ख्वामख्वाह आयोडीनयुक्त नमक कहकर गलत ऐड देकर हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं। मार्केटिंग बड़ी कंपनियां करेंगी, अच्छी पैकिंग देंगी लेकिन क्या भारत सरकार बड़ी कंपनियों के हक में ऐसी चीज रखेगी? छोटे लोग जो नमक पकाते हैं, जहां नमक पकता है, मैं उस प्रदेश से आता हूं, वहां की सरकार में नमक नहीं है, वह अलग बात है, लेकिन ये जो चीजें हैं, आयोडीनयुक्त नमक या साधारण नमक में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।...*(व्यवधान)* भानुमती का कुनबा इकट्ठा हो गया है। जिन राज्यों में प्रतिबंध है, साधारण नमक बेचने पर प्रतिबंध पूरे हिन्दुस्तान के किसी जिले में नहीं होना चाहिए। क्या ऐसी कोई पालिसी आप हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट में रखेंगे कि जिसे जो नमक खाना हो खाए और जिस डिपार्टमैंट से एडवरटाइजमेंट आता है, क्या उसे रोकेंगे कि ऐसी ऐड्स न दे कि इस नमक से नुकसान होता है?

डा. सी. पी. ठाकुर : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। हम एडवरटाइज़मैंट को देखेंगे, बड़ी–बड़ी कंपनियों के... *(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा : क्या करेंगे? उत्तर बिहार में आयोडीन नमक नहीं मिलता है। लोग नमक नहीं खा रहे हैं और परेशान हैं। इन्होंने जिनका नमक खाया है उसे छोड़ दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुनाथ जी, आप क्या कर रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाइए।

डा. सी. पी. ठाकुर : जहां–जहां आयोडीन की कमी है, उस डैफिशियेन्सी की जांच कराने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रीशन से अभी हमने सर्वे कराना है। पूरे देश में एक साल में वह सर्वे कम्प्लीट हो जाएगा कि किस राज्य में कितनी कमी है और हम वहां कितना नमक दे सकते हैं। इसका सर्वे हम लोग करा रहे हैं। उसके बाद झा जी के इलाके में अगर कमी है तो वहां पूरा आयोडाइज्ड साल्ट भेजेंगे और वाघेला जी के यहां अगर कमी नहीं है तो वहां लोग साधारण साल्ट खाएंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज हाउस में भी नमक ज्यादा हो गया है।

रक्त का अवैध व्यापार

+

***44. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में अनेक निजी और सरकारी ब्लड बैंक रक्त के अवैध व्यापार में लिप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे ब्लड बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या रक्तदाता का रक्त लेने से पूर्व उसके रक्त का पूर्व परीक्षण करना अनिवार्य है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

देश में सभी रक्त बैंकों के कार्यकरण का विनियमन औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 और इसमें बाद में किए गए संशोधनों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय एवं राज्य औषध नियंत्रक प्राधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार इसका संचालन करते हैं। इन नियमों के अंतर्गत सभी रक्त बैंकों के कार्य शुरू करने के पहले उनके पास केन्द्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी की सहमति से राज्य औषध नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लाइसेंस का होना अनिवार्य है। रक्त निरापदता के बारे में औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित सभी विनियामक कार्य राज्य एवं केन्द्रीय औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा किए जाते हैं।

बिना लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों के चलने तथा प्राइवेट रक्त बैंकों द्वारा पैसे लेकर रक्त देने वाले व्यक्तियों से रक्त एकत्र करने जैसे अवैध रक्त व्यापार की छिट–पुट घटनाएं हुई हैं। सरकारी रक्त बैंकों द्वारा अवैध रक्त व्यापार में लिप्त होने का कोई उदाहरण नहीं है।

हाल ही में मेरठ में दो रक्त बैंकों को रक्त के अवैध कारोबार में लिप्त होने के कारण उन्हें औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अंतर्गत 14 जून, 2001 से रक्त एकत्र करने के काम को बंद करने का आदेश दिया गया। इन दो रक्त बैंकों के परिसरों को सील कर दिया गया और इसी शहर में दो अन्य बिना लाइसेंसशुदा रक्त बैंकों के विरुद्ध अभियोग चलाया जा रहा है। इन रक्त बैंकों के मालिकों और अन्य मुख्य व्यक्तियों, जो इस अनुचित धंधे (मैल प्रैक्टिस) में लिप्त हुए थे, को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस तथा मेरठ के औषध नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा भारतीय दंड संहिता तथा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा–18 के अंतर्गत अभियोग आरंभ किया गया है। औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के मानदंडों के अनुरूप न पाए जाने पर आंध्र प्रदेश में भी 5 रक्त बैंकों के लाइसेंस वापस ले लिए गए हैं।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के उपबंधों के अंतर्गत स्वैच्छिक रक्तदाताओं से एकत्र किए गए रक्त की प्रत्येक इकाई (यूनिट) के एच.आई.वी.–1 एवं 2 एंटीबाडीज, हेपेटाइटिस–बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस–सी एण्टीबॉडी, मलेरिया और सिफलिस से मुक्त होने के लिए रक्ताधान करने से पूर्व उसकी जांच करना आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में इस समय रक्त का अवैध धंधा काफी तेजी से चल रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई बड़े रैकेट भी पकड़े गए हैं। मेरठ में भी पकड़े गए और अखबारों की सूचना से ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश और विभिन्न क्षेत्रों में ब्लड बैंक के माध्यम से रक्त का अवैध धंधा चल रहा है। इतना ही नहीं, यह प्रश्न पहले भी कई बार उठा है। इसमें एक पॉलिसी बनाने की माननीय मंत्री जी ने बात की थी। इस बात को सरकार भी स्वीकार कर रही है कि पूरे देश में ब्लड बैंक्स में अवैध धंधा चल रहा है, कुछ प्रोफेशनल डोनर्स हैं और बड़े–बड़े रैकेट भी पकड़े जा रहे हैं। इसी प्रकार गुर्दे के ट्रांसप्लाण्टेशन की भी बात देश में आई थी और उसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया था। वह कानून काफी इफैक्टिव रहा, जिसकी वजह से गुर्दे के अवैध प्रत्यारोपण की कार्रवाई रुकी थी। मेरा मंत्री जी से पूछना है कि क्या सरकार इस पर विचार कर रही है कि ब्लड बैंक का जो अवैध धंधा चल रहा है, इसमें संलग्न लोगों के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई हो सके, इसके लिए कोई विशिष्ट एक्ट अलग से बनाने का सरकार विचार

कर रही है, क्या सरकार इसकी आवश्यकता समझती है, मैं यही माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं?

डा. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना कि ब्लड बैंक में अवैध धंधा चल रहा है, सरकार के नोटिस में ऐसी बात आई है। मेरठ का वे उदाहरण दे रहे थे। मेरठ में जो लोग पकड़े गए हैं, अभी तक वे सभी जेल में बंद हैं। अभी तक उनको जमानत नहीं मिली और उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी पांच ब्लड बैंक्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है। पूरे देश में 30 ब्लड बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं। पी.एम.सी.एस., पटना का भी केस था, उसको फिर रैस्टोर करने की बात हो रही है। इस धंधे को रोकने और प्रोफेशनल डोनर्स ब्लड नहीं दें, उसके लिए कानून बना हुआ है कि पेशेवर रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान करने पर पूर्ण प्रतिबंध है। स्टेट गवर्नमेंट और सैण्ट्रल गवर्नमेंट मेनली स्टेट गवर्नमेंट का इसमें जूरिस्डिक्शन है, लेकिन लाइसेंसिंग ऑथोरिटी फाइनल एप्रूवल के लिए सैण्ट्रल गवर्नमेंट में आता है। बीच–बीच में उसका इन्सपैक्शन भी किया जाता है। रैंडम चैक भी किया जाता है कि कोई काम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है और इसमें काम भी हो रहा है। जैसा मैंने बताया कि जो लोग पकड़े गए हैं, वे जेल में हैं। इस तरह से काम हो रहा है। आपका कहना है कि विशेष लैजिस्लेशन होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास जो कानून है, उस कानून के तहत यदि हम चाहें तो उनको जेल में भेज सकते हैं, जेल में बंद कर सकते हैं।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, अनस्टार्ड क्वश्चन नं. 3333 के जवाब में अगस्त, 2000 में माननीय मंत्री जी द्वारा इसी सदन में जवाब दिया गया था जिसमें नेशनल ब्लड पॉलिसी बनाने की बात कही गई थी।

यह जवाब दिया गया था कि ब्लड पॉलिसी फार्मूलेट कर ली गई है, लेकिन अभी केबिनेट से उसकी स्वीकृति नहीं मिली है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसकी स्वीकृति मिल गई या अभी भी वहीं पर मामला रुका पड़ा है? इसके साथ ही मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि आपने पूरे देश में हजारों की संख्या में लाइसेंस प्रदान किए हैं, लेकिन माडर्न इक्वीपमेंट्स उन बैंक्स में नहीं है, जिससे वहां लोग टैस्ट करा सकें, देख सकें और समझ सकें तथा ब्लड का अच्छी तरह से टैस्ट करके उसका इन्फ्यूजन हो। क्या सरकार इस ओर भी ध्यान देकर कुछ फंड उसमें भी लगाना चाहेगी, जिससे इन बैंक्स का आधुनिकीकरण हो सके?

डा. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने पालिसी की बात कही है, वह विचार विमर्श के लिए, कुछ संशोधन करने के लिए, केबिनेट से लौटकर आई है। हम फिर उसको बनाकर केबिनेट के सामने ले जा रहे हैं। उसमें विभिन्न विभागों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, उनको भी सन्निहित किया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : एक साल से ऊपर हो गया है।

डा. सी. पी. ठाकुर : विचार–विमर्श चलता रहता है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : एक साल पहले भी यही जवाब था।

डा. सी. पी. ठाकुर : इस समय वह फाइनल स्टेज पर है। आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि ब्लड बैंक्स की मदद की जाए–मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने 800 से ज्यादा ब्लड बैंक्स की मदद करके माडर्नाइज किया है। जो पिछड़े राज्य हैं, वहां स्टेट आफ दि आर्ट दो–दो ब्लड बैंक खोले जाएंगे और अभी देश में 815 ब्लड बैंक्स का आधुनिकीकरण किया है।

श्री सुन्दर लाल तिवारी : आप तो डाक्टर हैं, आपको इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए और जल्दी देना चाहिए, बावजूद इसके कि एक साल से आपकी पॉलिसी केबिनेट में पड़ी हुई है और उसको आपने पास नहीं कराया।

डा. सी. पी. ठाकुर : उसके चलते एड्स के इंसीडेंस जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से होते हैं, अब आठ से घटकर तीन रह गए हैं।

[अनुवाद]

श्री ए. सी. जोस : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है रक्तदान के अवैध व्यापार को रोकने के लिए, अनेक गैर–सरकारी संगठन रक्तदान केन्द्र खोलने के लिए अब आगे आ रहे हैं। भारतीय चिकित्सा संघ (आई.एम.ए.) की शाखाएं विशेष रूप से रक्तदान केन्द्र स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र त्रिचूर में आई.एम.ए. ने ब्लड बैंक स्थापित करने के लिए एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना बनाई है।

महोदय, आपके माध्यम से, मेरा सरकार से यह प्रश्न है कि क्या सरकार इस प्रकार के सरकारी तथा वास्तविक गैर–सरकारी संगठन, जो खोज कार्य के साथ–साथ ब्लड बैंकों की स्थापना भी कर रहे हैं, को प्रोत्साहित करने के लिए आगे

आएगी और उन्हें कुछ अनुदान अथवा राजसहायता प्रदान करके उनकी मदद करेगी।

डा. सी. पी. ठाकुर : वास्तव में, हम अच्छे ब्लड बैंकों को प्रोत्साहन देते हैं और यदि हमें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, गुजरात के अंदर स्वयं सेवी संस्थाएं अधिकतर किसी महापुरुष की जन्म तिथि पर जितने साल के वे हुए, उतनी ब्लड की बोतलें जमा करते हैं। वहां लोग आकर रक्त दान करते हैं। ऐसी संस्थाएं गुजरात में बहुत हैं। कई लोग मजबूरी के कारण, कई लोग इसको व्यवसाय के रूप में लेकर और कुछ लोग अपनी आदत के कारण रक्त दान करते हैं। क्या ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कोई योजना बनाई गई है?

डा. सी. पी. ठाकुर : ऐसी संस्थाओं की मदद की जाती है, लेकिन उनको पंजीकृत जरूर होना चाहिए, निजी एजेन्सीज की हम मदद नहीं करते।

दत्तक कानूनों में परिवर्तन

+

***45. श्री रामपाल सिंह :**

डॉ. वी. सरोजा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार, अनाथ बच्चों को सही व्यक्तियों को सौंपने में आने वाली बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से वर्तमान दत्तक कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) कानून के वर्तमान उपबंधों को पर्याप्त समझा जाता है। वर्तमान में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं है।

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बताया गया है कि कानून में कोई संशोधन की जरूरत नहीं है। क्या मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि पिछले तीन साल में कितने ऐसे बच्चों को सरकार ने संरक्षण दिया है।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, गत पांच वर्षों में 16,866 बच्चे गोद लिए गए हैं, जिनमें से 9,551 बच्चे देश में ही गोद लिए गए हैं, देश से बाहर के लोगों ने यहां से 7,315 बच्चे गोद लिए हैं। ये वे बच्चे हैं जिन्हें केन्द्रीय दत्तक शोध एजेंसी (कारा) के अंतर्गत आने वाली एजेंसियों के माध्यम से गोद लिया गया है। राज्य की एजेंसियों तथा निजी एजेंसियों के माध्यम से गोद लिये गए बच्चों का ब्यौरे का मिलान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो बच्चे एडॉप्शन में दिए गए हैं, क्या उनके बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण कराया है कि एडॉप्शन के बाद उनकी क्या दशा रही–गिरी या सुधरी?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी : दत्तक ग्रहण के मामलों में गोद लेने वाले परिवार के बारे में काफी खोजबीन के पश्चात ही दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया सम्पन्न की जाती है। देश में तथा देश से बाहर, दोनों ही मामलों में गोद देने वाले परिवारों की व्यापक खोजबीन की जाती है। स्वैच्छिक स्थापन एजेंसियां घर जाकर यह देखती हैं कि गोद लेने वाला युगल इसमें सक्षम है अथवा नहीं। उसके बारे में सख्त दिशानिर्देश हैं। संभवतः इतने सख्त दिशानिर्देश नहीं होते तो दत्तक दिए गए बच्चों की संख्या अधिक हो सकती थी। ऐसे बच्चों की संख्या अधिक न हो पाने का यही कारण है कि हम बच्चे की देखभाल को बहुत महत्व देते हैं और यह मानकर चलते हैं कि सभी बच्चे अच्छे परिवारों में जाएं।

डॉ. वी. सरोजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर में यह कहा गया है कि वर्तमान नियम पर्याप्त हैं। दत्तक ग्रहण संबंधी आवेदन पत्र को सरल बनाने के लिए मैंने उसकी एक प्रति 11.1.2001 को मंत्री महोदय के पास भिजवाई थी। उस फार्म में बहुत सी असंगत बातें हैं, जो दत्तक ग्रहण के लिए उपयुक्त नहीं हैं। उदाहरण के लिए दत्तक प्रक्रिया के लिए जाति–संबंधी–प्रमाण पत्र लेना और चिकित्सा जांच करवाना तर्कसंगत नहीं

है। इसके साथ क्षेत्रीय दबाव भी है। क्या माननीय मंत्री महोदय को इसके बारे में जानकारी है? जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि 1990 के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेश के अंतर्गत केन्द्रीय दत्तक अनुसंधान एजेंसी (सेंट्रल एडॉप्शन रिसर्च एजेंसी) की स्थापना की गई है। क्या कोई प्राधिकरण अथवा निगरानी समिति अथवा कोई आयोग दत्तक प्रक्रियाओं के लिए सांविधिक और स्वायत्तशासी निकाय की तरफ ध्यान दे रहा है? अनेक माता–पिता बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। देश के भीतर की बजाय देश के बाहर बच्चे गोद लेना अधिक पसंद किया जाता है और इस प्रथा को बढ़ावा दिया जाता है। क्या भारत सरकार दत्तक प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी तथा देश से बाहर बच्चे गोद लेने के बजाय देश के भीतर ही गोद लेने की प्रथा को प्रोत्साहित करेगी?

श्रीमती मेनका गांधी : जहां तक इस प्रक्रिया को सरल बनाने का संबंध है, यह कुछ ऐसा मामला है जिसके कारण मुझे भी चिंता हुई है। हमने समयावधि को कम करने का भरसक प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, हमने महान्यायवादी, जो उच्चतम न्यायालय गए और इन प्रक्रियाओं को स्थापित किया, की सहायता से इसमें कुछ सरलीकरण किया है। सरकार से पुनर्विचार की अवधि तीन माह से घटाकर दो माह करने का प्रयास किया है। वी.सी.ए. प्रतीक्षा अवधि को दो माह से घटाकर एक माह कर दिया गया है। हमने देश से बाहर बच्चे गोद लेने वालों के लिए प्रभार बढ़ा दिया है। हमने देश से बाहर बच्चे गोद लेने वालों के लिए रख–रखाव लागत 100 रुपये प्रतिदिन कर दी है। 'केरा' एक स्वायत्तशासी निकाय है जो वी.सी.ए. तथा नियोजन एजेंसियों के निरीक्षण को देखता है, वे नियमित जांच करते हैं। इन जांचों के कारण कुछ एजेंसियां अनाधिसूचित कर दी गई हैं और उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं तथा उन्हें और कार्य करने की अनुमति नहीं है। लोगों के आवेदन के साथ हम एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करते रहते हैं। जहां तक देश से बाहर बच्चे गोद लेने अथवा देश में ही बच्चे गोद लेने पर अधिक बल देने के संबंध का है, हम स्वयं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भारतीय माता–पिता के पास ही जाएं। इसलिए हमने देश में ही दत्तक ग्रहण के लिए वी.सी.ए. को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि कर दी है। हमने शिशुगृहों को अधिक धनराशि दी है। हमने एक योजना बनाई है जिसमें हमने गैर–सरकारी संगठनों से ही नहीं बल्कि सभी सरकारी एजेंसियों से शिशुगृह चलाने के लिए कहा है, जो परित्यक्त अथवा गुम हुए बच्चों को एक वर्ष से लेकर छह वर्ष तक औपचारिक रूप से अपने यहां रखती हैं।

हमने सभी सरकारी नियोजन एजेंसियों को शिशुगृह कार्य में लगाया है और इन गृहों को चलाने तथा बच्चों को दत्तक ग्रहण को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार ने उपलब्ध धनराशि को 1.88 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 करोड़ रुपये कर दिया है। हमने गुम हुए तथा परित्यक्त बच्चों को गोद लिए जाने हेतु नए जे.जे. अधिनियम में उपबंध किए हैं। हमने 'न्यू फास्टर पेरेंटिंग स्कीम' शुरू की है। जो अब तैयार है ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो हमने देश के भीतर गोद लेने को प्रोत्साहित करने के लिए किए हैं।

देश के भीतर गोद लेने के लिए आवेदन करने के संबंध में प्रत्येक राज्य का अपना आवेदन पत्र है जबकि 'केरा' का भी आवदेन पत्र है। जिसे आप पढ़ रहे हैं और जिसमें सरलीकरण की आवश्यकता है. वह शायद राज्य का आवेदन पत्र है।

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति : माननीय अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में हाल ही में बच्चे गोद लेने के संबंध में घपला हुआ है। हमें गोद लेने तथा बेचने के बीच अंतर करना होगा। इनमें से अनेक मामलों में बच्चे बेचे जा रहे हैं न कि गोद लिए जा रहे हैं। इसलिए, क्या मंत्री महोदय गोद लेने की प्रथा उसी राज्य तक सीमित रखेंगे जहां ये बच्चे गोद लिए जा रहे हैं? अन्यथा इस पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। राज्य से बाहर गोद लेने के मामले में भी कोई नियंत्रण नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्य डॉ. वी. सरोजा ने बताया है कि यह राज्य के भीतर ही होना चाहिए।

दूसरी बात अनाथ बच्चों के बारे में है। यदि कोई उन्हें गोद लेता है तो उन्हें सरकार के नियंत्रणाधीन चल रहे शिशुगृहों की देखरेख में ही रखना चाहिए। संतानविहीन माता–पिता ही उन्हें गोद ले सकते हैं अन्यथा वे सरकार के नियंत्रण में रहें। कोई तो इसका खर्च वहन कर सकता है। क्या सरकार द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे अथवा नहीं? यह हमारे बच्चों को दूसरे देशों में बेचने और इसे प्रोत्साहित करने का प्रश्न नहीं है। ऐसी अनेक बातें हो रही हैं, अनेक लोग इस काम में पैसे कमा रहे हैं। इससे पूरा देश अपमानित होता है। इसे रोका जाना चाहिए। इसके बारे में मैं मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

श्रीमती मेनका गांधी : विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के मामले में महीनों से सी.बी.आई.–सी.आई.डी. की जांच चल रही है। पांच नियोजन एजेंसियों में से, जिनकी हम जांच कर चुके हैं, उनमें से दो एजेंसियों के हमने लाइसेंस रद्द करने के लिए कहा है। 'केरा' ने राज्य सरकार से कहा कि वे इन्हें बंद करें लेकिन इसके बावजूद ये एजेंसियां काम कर रही हैं।

जहां तक बच्चे बेचने की बात है, यह अभी तक सिद्ध

नहीं हुई है यद्यपि सामान्यतः यह संदेह है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने किसी व्यक्ति द्वारा गरीबी के आधार पर अपने बच्चे बेचना तथा उनकी सुपुर्दगी के प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करना गैर–कानूनी बना दिया है। इससे बच्चों की तथाकथित बिक्री पर रोक लगनी चाहिए।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : दत्तक नियमों के संदर्भ में मैं यह कहना चाहती हूं कि विदेशों में बसे ईसाइयों को भारतीय बच्चे गोद लेने की अनुमति है जबकि भारत में बसे ईसाइयों को बच्चे गोद लेने की अनुमति नहीं है। हम केवल संरक्षक बन सकते हैं। मैं इस भेदभाव के कारणों के बारे में जानना चाहती हूं और क्या सरकार का इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का विचार है?

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, दत्तक कानून सभी समुदायों पर लागू नहीं होता है, ऐसा कानून लाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जो सभी समुदायों को बच्चे गोद लेने की अनुमति दे। वर्ष 1967 से हर बार संसद में दत्तक कानून प्रस्तुत हुआ है, इसे प्रवर समिति को भेजा गया है और इसे कभी किसी समुदाय ने तो कभी किसी ने पुनः वापस भेज दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि ईसाइयों को बच्चे गोद लेने की अनुमति नहीं है। मैं नहीं समझती कि यदि वे बच्चा गोद लेना चाहें तो उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। अनेक ईसाइयों ने बच्चे गोद लिए हैं।

डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स डिसूजा : वे केवल संरक्षक बन सकते हैं लेकिन उन्हें कानूनी रूप से गोद नहीं ले सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी : यह सच है क्योंकि कभी किसी समुदाय ने तो कभी किसी ने स्वयं इस पर आपत्ति की है। बच्चों को गोद लेने संबंधी विधेयक 1967 में प्रस्तुत हुआ, इसे वापस कर दिया गया, फिर दुबारा विधेयक 1976 में प्रस्तुत हुआ इसे फिर वापस कर दिया गया तथा यह 1980 में पुनः प्रस्तुत किया गया, इसे फिर वापस कर दिया गया। जब तक हम ऐसा अधिनियम नहीं लाते हैं जिसमें बच्चे गोद लेने हेतु सभी समुदाय सहमत हों, तो इसे हर मामले में लागू करना कठिन हो जाएगा।

एड्स/एच.आई.वी. का उन्मूलन

\+

***46. श्री किरीट सोमैया :**

श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने एड्स पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष सत्र में व्यक्त की गई चिंता को गंभीरता से लिया है;

(ख) क्या भारत इससे प्रभावित देशों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या देश में एड्स/एच.आई.वी. की घटनाओं में चिंताजनक ढंग से वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्य–वार और संघ राज्य–क्षेत्र–वार एड्स/एच.आई.वी. से प्रभावित कितने रोगियों का पता चला है;

(च) क्या माताओं और गर्भवती महिलाओं की विशेष देखभाल किए जाने की आवश्यकता है;

(छ) यदि हां, तो उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों को और अधिक निधियां प्रदान किए जाने के लिए सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ज) भावी पीढ़ी को एड्स से मुक्त करने के लिए क्या विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) से (ज) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सभा/एड्स के विशिष्ट अधिवेशन में व्यक्त आशंकाओं को गंभीरता से लिया है। वर्ष 1998, 1999 और 2000 के दौरान की गई राष्ट्रव्यापी प्रहरी निगरानी से पता चलता है कि देश में एच.आई.वी. संक्रमण के फैलाव में वृद्धि नहीं हुई है। अनुमानित एच.आई.वी. संक्रमणों की संख्या इस प्रकार है :

1998	–	35 लाख
1999	–	37 लाख
2000	–	38.6 लाख

यह एक सत्य है कि एच.आई.वी. संक्रमणों की कुल संख्या की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। तथापि, संचरण की दर और भी कम है जिसका लगभग 0.35 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रव्यापी प्रहरी

निगरानी से पता चलता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर, नागालैंड, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में जन्मपूर्व महिलाओं में एच.आई.वी. संक्रमण 1 प्रतिशत से अधिक है जबकि अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यह काफी निम्न स्तर पर है।

अस्पतालों में ऐसे रोगियों को भर्ती करने के लिए चिकित्सीय और परा–चिकित्सीय व्यवसायियों के अनिच्छुक होने के मुख्य कारण और रोग से जुड़े कलंक के कारण देश में एड्स के रोगियों की सूचना मिलने में अधिकांशतः कमी होती है। तथापि, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा सूचित किए गए एड्स के रोगियों की संख्या के आधार पर एड्स रोगियों का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वार संवितरण अनुबंध–I में दिया गया है।

(च) से (ज) भारत सरकार ने पांच अधिक व्याप्तता वाले राज्यों नामतः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में चुनिंदा 11 केन्द्रों में एच.आई.वी. पॉजिटिव गर्भवती माताओं को एंटिरेट्रोवायरल औषधें देकर मां से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया है। जन्मपूर्व माताओं की अनुक्रिया उत्साहवर्धक पाई गई है। मई, 2001 के महीने तक मां से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम संबंधी व्यवहार्यता अध्ययन की निष्पादन रिपोर्ट अनुबंध–II में दी गई है।

भारत सरकार ने पहले ही स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम (राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण–II) के पांच वर्षों के दौरान देश में सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को शामिल (कवर) करना है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत स्कूलों को कवर करने का प्रस्ताव है। "लर्निंग फॉर लाइफ" नामक एक स्कूल मैनुअल तैयार किया गया है और देश में स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम में इस्तेमाल करने हेतु राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने इसे राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों को वितरित किया है।

कालेज और विश्वविद्यालय छात्रों के लिए, युवा मामले एवं खेल विभाग की राष्ट्रीय सेवा स्कीम के सहयोग से विश्वविद्यालय वार्ता एड्स परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना में कार्यशालाएं, सेमिनार आयोजित करने तथा उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई लिखित सामग्री के माध्यम से छात्रों और युवाओं में एच.आई.वी./एड्स से संबंधित मुद्दों के संबंध में जागरूकता पैदा करना शामिल है। स्कूल से बाहर के युवाओं के लिए ग्रामीण युवाओं में जागरूकता पैदा करने में नेहरू युवक केन्द्रों की सेवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अनुबंध-I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, भारत वर्ष 1999–2000 के दौरान एड्स के रोगी

क्रमांक	राज्य	1998	1999	2000
1	2	3	4	5
1	तमिलनाडु	532	2730	3866
2	महाराष्ट्र	824	64	279
3	कर्नाटक	39	47	541
4	मणिपुर	0	61	344
5	मध्य प्रदेश	76	116	279
6	गुजरात	2	1	245
7	दिल्ली	13	0	64
8	उत्तर प्रदेश	16	41	93
9	चंडीगढ़	0	124	93
10	केरल	1	0	56
11	राजस्थान	25	27	53
12	पांडिचेरी	9	0	0
13	पंजाब	48	52	31
14	असम	3	11	62
15	नागालैंड	0	19	43
16	पश्चिम बंगाल	0	0	0
17	उड़ीसा	0	0	49
18	आंध्र प्रदेश	7	2	0
19	हरियाणा	0	0	47
20	हिमाचल प्रदेश	0	16	15
21	बिहार	0	0	36
22	गोवा	0	7	10

1	2	3	4	5
23	मिजोरम	0	7	3
24	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	9
25	मेघालय	0	0	0
26	जम्मू एवं कश्मीर	0	0	0
27	सिक्किम	1	0	0
28	दमन एवं दीव	1	0	0
29	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0
30	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
31	लक्षद्वीप	0	0	0
32	त्रिपुरा	0	0	0
	कुल	1597	3325	6218

अनुबंध-II

पी.एम.टी.सी.टी. पर व्यवहार्यता अध्ययन की निष्पादन रिपोर्ट मई, 2001 तक

कुल नए ए.एन.सी. उपस्थिति : 149004

*परामर्श दी गई गर्भवती माताओं की संख्या : 115090 (77.24 प्रति.)

*एच.आई.वी. जांच स्वीकार करने वाली गर्भवती माताओं की संख्या : 84531 (73.45 प्रति.)

*एच.आई.वी. पॉजीटिव पाई गई गर्भवती महिलाओं की संख्या : 1540 (1.82 प्रति.)

ए.जेड.टी. रोग निरोधन के लिए दर्ज गर्भवती माताओं की संख्या :

*ए.जेड.टी. वाले प्रसवों की संख्या : 507

*जांच किए गए 48 घंटे में पी.सी.आर. नमूनों की संख्या : 484

*पॉजिटिव जांचे गए नमूनों की संख्या : 38 (7.8 प्रति.)

*2 महीनों में जांचे गए पी.सी.आर. नमूनों की संख्या : 283

*पॉजिटिव जांचे गए नमूनों की संख्या : 20 (7.07 प्रति.)

*दो महीनों में स्तनपान वाले शिशुओं की संख्या : 74 (14.6 प्रति.)

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जी पूछना चाहूंगा कि महाराष्ट्र और मुंबई में एड्स इफेक्टेड एच.आई.वी. पोजिटिव ज्यादा है, क्या उसके बारे में कोई विशेष सर्वे किया गया है? हमारी जानकारी के अनुसार मुंबई के तीन म्युनिसिपल होस्पिटल्स में एच.आई.वी. पोजिटिव प्रेगनेंट वूमेन दो प्रतिशत से ज्यादा पाई गईं तो एड्स फ्री नेक्स्ट जेनरेशन की दृष्टि से प्रेगनेंट वूमेन को मेडिसन ज्यादा मात्रा में देने के लिए, आपने जैसा उत्तर में कहा है, क्या उसका विस्तार करेंगे?

डा. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना ठीक है कि महाराष्ट्र में एड्स के रोगी और एच. आई.वी. पोजिटिव की संख्या अधिक है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत काम भी हो रहा है। माननीय सदस्य का दूसरा प्रश्न यह है कि मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या सरकार कुछ इंतजाम कर रही है–इस साल से मदर चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने के लिए महाराष्ट्र में जो हमारा एक्सपेरीमेंट चल रहा था, वह पूरा हो गया है। अब हम लोग उसे इंट्रोड्यूस करेंगे। एक नेबरापिन दवा है जो लोगों के लिए ज्यादा कंविनिएंट है। उसकी एक डोस मदर को दी और एक डोस चाइल्ड को दी। हम दो कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरू करने जा रहे हैं।

श्री किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एच.आई.वी. पॉजिटिव पेशेंट को देने के लिए जो मेडिसन है, वह बहुत महंगी है। उसका महीने का चार हजार रुपये बिल आ रहा है। हमने कुछ फार्मास्युटिकल कंपनियों और मेडिकल एसोसिएशन से चर्चा की। क्या सरकार उसमें एक्साइज ड्यूटी और सैल्स टैक्स माफ करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और संबंधित मंत्रियों से बात करेंगे? दूसरे अफ्रीका में यह पाया गया है कि डब्ल्यूटीओ ट्रिम एग्रीमेंट पेटेंट एक्ट में एड्स की दवाई कोई लोकल कंपनी बना नहीं पाती है। हिन्दुस्तान में जो नया पेटेंट एक्ट आ रहा है, क्या सरकार उसमें प्रारंभ में ही एड्स की मेडिसन को उसमें लागू करेगी, क्या इस प्रकार का प्रावधान करेगी?

डा. सी. पी. ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का पहले खंड का जो प्रश्न है उस पर हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर से बात करेंगे। इसमें इन्होंने शायद यह कहा है कि अभी कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है।

श्री किरीट सोमैया : मैंने कहा कि अभी तक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज़ ड्यूटी और सेल्स टैक्स भी माफ नहीं किया है। सरकार एक तरफ पैसा खर्च कर रही है और दूसरी तरफ टैक्स वसूल कर रही है।

डा. सी. पी. ठाकुर : इसमें स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से सहमत है, क्योंकि एड्स की दवा बहुत महंगी है और साल में एक पेशेंट का इस पर काफी खर्चा होता है। इसलिए सरकार सहमत है, कि यह कम होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री किरीट सोमैया : क्या पेटेंट एक्ट में ही ऐसा प्रावधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह दवा बहुत महंगी है।...*(व्यवधान)*

डा. सी. पी. ठाकुर : दुनिया भर में डिमांड है कि पेटेंट एक्ट के तहत, पेटेंट एक्ट के परव्यू में एड्स की मेडिसिन न रखी जाए। सारे देशों के लोग डिमांड कर रहे हैं और भारतवर्ष में भी उसकी सहमति थी। अभी जो यूएन असेम्बली में हुआ कि एड्स की दवा को इसके परव्यू से बाहर रखा जाए, हम लोग इससे सहमत हैं।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के संबंध में माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्टि मिलती है यद्यपि उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि जहां तक एड्स का संबंध है, दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। जैसाकि उत्तर में बताया गया है कि संचरण दर अभी भी कम है, हम इस तथा से कुछ राहत महसूस करते हैं। इससे हमें राहत महसूस नहीं करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि सबसे पहले यह सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं कि एड्स संवेदनशील क्षेत्रों विशेषरूप से ऐसे क्षेत्र जहां चालक अपने घरों से लंबे समय तक बाहर रहते हैं, की तरफ ध्यान दिया जाए। दूसरे, देश में ऐसे प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी है जो एड्स से निपट सकें। इस संबंध में विशेष रूप से क्या कार्यवाही की गई है?

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या एन.ए.सी.ओ. के कार्यकरण की नियमित निगरानी की जाती है; क्या मंत्री महोदय का विचार राज्यों में ऐसे एकक स्थापित करने का है?

डा. सी. पी. ठाकुर : माननीय सदस्य के प्रश्न के पहले भाग के संबंध में, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें इस बीमारी को नियंत्रित करने अथवा इसके मामलों को न्यूनतम करने के बारे में गंभीर हैं। मैं इस सभा के समक्ष यह बताना चाहता हूं कि इस बीमारी के नियंत्रण के संबंध में क्रियाकलापों की निगरानी स्वयं प्रधान मंत्री करते हैं।

प्रधान मंत्री ने चार कदम उठाए हैं। इसलिए उन्होंने हाल ही में उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात की है जहां एड्स के मामले बहुत अधिक हैं और उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों से भी बात की है जहां एड्स के मामले बहुत कम हैं। हम यह कार्य भी कर रहे हैं और इस दिशा में चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। वास्तव में, हमने अभी तक अपने कार्यक्रम में एड्स के उपचार को शामिल नहीं किया है लेकिन जहां तक उपचार के तरीकों का संबंध है। निश्चित रूप से चिकित्सक प्रशिक्षित हैं और इसकी आवधिक रूप से जांच की जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

आयुध डिपुओं में आग

***43. श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सेना के आयुध डिपुओं में आग की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि होने के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान हुए प्रत्येक अग्निकांड में पृथक–पृथक मात्रा में तथा कितने मूल्य का गोला–बारूद नष्ट हुआ तथा जान–माल की कितनी–कितनी क्षति हुई;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक घटना की अलग–अलग कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक जांच के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई और सरकार द्वारा प्रभावित नागरिकों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(च) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति

को रोकने और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) सेना आयुध डिपुओं में पिछले तीन वर्षों में आग लगने की छह घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या, जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने तक उपस्करों, गोलाबारूद के नुकसान का प्रारंभिक प्राक्कलन और इन घटनाओं के संबंध में लागत प्राक्कलन नीचे तालिका में दर्शाया गया है ·

क्र.सं.	यूनिट का नाम	घटना की तारीख	जन हानि	गोलाबारूद का नुकसान (लागत)	सिविल संपत्ति
(क)	गोलाबारूद डिपो, भरतपुर	28 अप्रैल, 2000	2 (ग्रामीण) और 7 व्यक्ति घायल	393 करोड़ रु. (अनुमानित)	70 लाख रु. की संपत्ति का नुकसान
(ख)	गोलाबारूद डिपो, देहू रोड	3 मई, 2000	शून्य	शून्य	शून्य
(ग)	केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर	28 मई, 2000	शून्य	4 करोड़ रु. (वस्त्र और उपस्कर)	शून्य
(घ)	2 गोलाबारूद उप डिपो (18 फील्ड गोलाबारूद डिपो) पठानकोट	29 अप्रैल, 2001	शून्य	27.69 करोड़ रु.	शून्य
(ङ)	2 गोलाबारूद उप डिपो (24 फील्ड गोलाबारूद डिपो बिरधवाल (गंगानगर)	24 मई, 2001	01 (सैनिक)	378 करोड़ रु. अनुमानित)	शून्य
(ङ)	आयुध डिपो, शकूरबस्ती, नई दिल्ली	3 जून, 2001	शून्य	2.68 करोड़ रु. (अनुमानित)	शून्य

गोलाबारूद डिपो, भरतपुर, गोलाबारूद डिपो, देहू रोड, केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर और 2 गोलाबारूद उप डिपो (18 फील्ड गोलाबारूद डिपो), पठानकोट के संबंध में जांच अदालत की कार्यवाही पूरी हो गई है। 2 गोलाबारूद उप डिपो (24 फील्ड गोलाबारूद डिपो), बिरधवाल (गंगानगर) और आयुध डिपो, शकूरबस्ती के संबंध में जांच आदलत की कार्यवाही जारी है।

2. पूरी हो चुकी जांच अदालतों की कार्यवाहियों के निष्कर्षों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(1) गोलाबारूद डिपो, भरतपुर (28 अप्रैल, 2000)

यह अग्निकांड 28.4.2000 को हुआ। इसमें 393 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। आग लगने का संभावित कारण गार्ड चौकी 11 के समीप खंभा सं. 4 पर शार्ट सर्किट/स्पार्किंग होना था। तथापि, विशिष्ट प्रत्यक्ष सबूत के माध्यम से इस तथ्य की पुष्टि करना संभव नहीं हो पाया है। परंतु लापरवाही संबंधी चूक के लिए प्रशासनिक कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

(2) गोलाबारूद डिपो, देहू रोड (3 मई, 2000)

अग्निकांड की यह घटना उच्च तापमान की वजह से घास में आग लगने के कारण हुई और यह तेज हवाओं के कारण फैल गई।

(3) केन्द्रीय आयुध डिपो, कानपुर (28 मई, 2000)

आग लगने की इस घटना के कारण को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सका। यद्यपि तोड़फोड़/आगजनी की संभावना सिद्ध नहीं हो पाई तथापि इस संभावना से इंकार नहीं किया गया है। जांच रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है।

(4) 2 गोलाबारूद उप डिपो, 18 फील्ड गोलाबारूद डिपो, पठानकोट (29 अप्रैल, 2001)

पर्याप्त सबूतों के अभाव में जांच अदालत कारणों को निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं कर पाई है। इसका संभावित कारण सिगरेट/माचिस के इस्तेमाल में लापरवाही बरतना हो सकता

है। जांच अदालत ने तोड़फोड़ की संभावना से भी इंकार नहीं किया है। जैसाकि विभिन्न जांच अदालतों ने सिफारिश की है, इन डिपुओं में सुरक्षा तथा अग्निशमन क्षमता सुदृढ़ कर दी गई है।

3. जहां तक गोलाबारूद डिपो, भरतपुर में 28 अप्रैल, 2000 को हुए अग्निकांड में प्रभावित सिविलियनों को मुआवजे के भुगतान का संबंध है, राजस्थान सरकार से प्राप्त ब्यौरों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने इस अग्निकांड में मारे गए दो व्यक्तियों के परिवारों को दो–दो लाख रुपये और घायल हुए सात व्यक्तियों को मुआवजे के तौर पर एक लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है।

4. आयुध और गोलाबारूद डिपुओं में भविष्य में इस प्रकार के अग्निकांड को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

(1) सभी डिपुओं को संरक्षा और सुरक्षा अनुदेशों को अद्यतन किए जाने का निर्देश दिया गया है।

(2) अफसरों के बोर्ड ने संरक्षा और सुरक्षा व्यवस्था की पर्याप्तता की जांच करने के लिए सभी डिपुओं का निरीक्षण किया है।

(3) अग्निशमन उपस्करों की कमी को पूरा किया जा रहा है और खराब उपस्करों की मरम्मत की जा रही है।

(4) अनुपयोगी गोलाबारूद का प्राथमिकता के आधार पर निबटारा किया जा रहा है।

(5) अतिरिक्त भंडारण स्थान बनाने और इस समय तंबुओं के नीचे खुले में रखे हुए गोलाबारूद को विस्फोटक भंडार गृहों में स्थानांतरित किए जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू करना

***47. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति** : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी को और अधिक प्रोत्साहन देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो ये भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान किन–किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पहल किए गए विभिन्न प्रमुख प्रयास तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित प्रयास नीचे दिए गए हैं :

– सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्यागिकी पर एक कार्यकारी दल का गठन किया था। कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। इस कार्यदल ने वर्ष 2008 तक कम से कम 100 मिलियन इंटरनेट संपर्क तथा 1 मिलियन समर्थित आईटी कियॉस्क/साईबर कैफे स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जो देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल में फैले होंगे। कार्यकारी दल द्वारा जन सामान्य के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए सचिव (सूचना प्रौद्योगिकी) की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया है।

– सूचना प्रौद्योगिकी की पहुंच जन सामान्य तक बढ़ाने के लिए सरकार सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी 487 ब्लॉकों में सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सीआईसी) की स्थापना कर रही है।

– सरकार ने देश के अलग–अलग क्षेत्रों में स्थापित सॉफ्टवेयर निर्यातकारी इकाइयों को तीव्रगति डेटा संचार सुविधाएं एवं आरंभिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से देश भर में 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों (एसटीपी) की स्थापना की है।

– सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों को उद्यमपूंजी वित्त उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि से एक राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग उद्यमपूंजी निधि (एनएफएसआईटी) की स्थापना की गई है।

– मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास पर एक कार्यदल का गठन किया गया है। कार्यदल ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/क्षेत्रीय इंजीनियरी कॉलेजों में अगले शैक्षिक सत्र से भर्ती क्षमता को दोगुना करने और अगले दो वर्षों में इसे तीन गुना करने की सिफारिश की है।

– सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित करने तथा इसके विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहनों की भी घोषणा की है। इन प्रोत्साहनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

– सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीआईएल) कार्यक्रम के अंतर्गत शैक्षिक तथा अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में भारतीय भाषाओं के लिए कई उपाय शुरू किए गए हैं और इनमें भारत के संविधान की सभी राजभाषाएं शामिल हैं।

– ई–वाणिज्य, ई–शासन, ई–सुरक्षा, ई–अधिगम आदि के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास के कई प्रयास शुरू किए गए हैं।

– मेसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत सरकार के संयुक्त उपक्रम के रूप में मीडिया लैब एशिया नामक परियोजना भी हाल ही में शुरू की गई है।

– सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास तथा बढ़िया क्वालिटी की जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी केन्द्र (एनसीएसटी) को सुदृढ़ किया गया है।

– इलेक्ट्रॉनिक संविदाओं की स्वीकार्यता को कानूनी रूप देते हुए देश में ई–वाणिज्य एवं ई–शासन की सुविधा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया है।

– सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयोजन से इसके मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित उपायों की जांच की जा रही है।

– 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के प्रयोजन से व्यापक कार्ययोजना तथा प्रौद्योगिकी परिदृश्य तैयार करने के लिए सात अध्ययन दल गठित किए गए हैं।

(ग) और (घ) सूचना प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास कार्यदल ने सिफारिश की है कि देश में आईआईटी/आईआईआईटी स्तर के नए संस्थान स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। यह भी सिफारिश की गई है कि राज्य/केन्द्र के वित्तपोषण (तथा बाह्य वित्तपोषण) और उद्योग के सहयोग से अनन्यतः सूचना प्रौद्योगिकी के एक संस्थान को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक बड़े राज्य को सहायता प्रदान की जाए। कार्यदल ने ऐसे संस्थानों की किसी संख्या, उनमें विद्यार्थियों की भर्ती की संख्या या प्रति विद्यार्थी व्यय का कोई अनुमान अंकित नहीं किया है।

विवरण

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5 प्रतिशत शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी देहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. व्यवसाय से उपभोक्ता (B_2C) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रस्तावों को स्वतः अनुमोदन।

3. ईएचटीपी तथा एसटीपी योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थाई समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यंत निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है। अनुमति पत्र में शामिल मदों के लिए हार्डवेयर इकाइयों की घरेलू शुल्क क्षेत्र बिक्री में ब्रोडबैंडिंग की अनुमति।

5. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रोनिक इकाइयों को लिए कम्प्यूटरों एवं पेरिफेरलों पर वृद्धिमान ह्रास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। अब इन कटौतियों की संपूर्ण

सीमा पहले के 5 पर्ष के स्थान पर 3 वर्ष की अवधि में 90 प्रतिशत तक होगी।

6. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

7. अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के तहत रूस को रुपये में होने वाले निर्यात में मूल्य संसाधित मानदंडों को 100 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत तक करना।

8. कम्प्यूटर पर 60 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यहास।

9. वर्ष 2001–02 के बजट में उच्चतम सीमा शुल्क की उच्चतम दर 35 प्रतिशत है। सामान्य तौर पर सभी प्रकार के आयातों पर से 10 प्रतिशत की दर का सीमा शुल्क अधिभार समाप्त कर दिया गया है, किन्तु विशिष्ट छूटों को छोड़कर सभी प्रकार के आयातों पर 4 प्रतिशत की दर से विशिष्ट अतिरिक्त शुल्क (एसएडी) जारी है। वर्ष 2000–01 के बजट में कम्प्यूटर तथा उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया था और इस वर्ष भी यही दर है। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्मसंसाधकों, रंगीन मॉनीटरों के डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर सीमा शुल्क शून्य दर तक घटा दिया गया है। वर्ष 2001–02 के बजट में विश्व व्यापार संगठन (आईटी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क की विद्यमान दर 20–25 प्रतिशत को घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर सीमा शुल्क की रियायती दर चालू है। दूरसंचार के कल–पुर्जों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सेमी–कंडक्टर के विनिर्माण के लिए पूंजीगत वस्तुओं की 32 मदों (अतिरिक्त) पर 5 प्रतिशत की दर से रियायती सीमा शुल्क की अनुमति दी गई है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16 प्रतिशत की एकल दर को लागू करते हुए संरचना को तर्कसंगत बनाया गया है और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) की 16 प्रतिशत की एकल दर से है।

11 सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10A तथा 10B के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80 एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण को शामिल कर लिया गया है।

16. धारा 80 एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध होंगे।

17. आयकर अधिनियम की धारा 10A, 10B तथा 80 एचएचई के तहत आईटी समर्थित सेवाओं को आयकर लाभ के योग्य बनाया गया है।

18. संख्या ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धर्मार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों आदि को दान करने की अनुमति दी गई है।

19. विदेशी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर को सीमा शुल्क से छूट दी गई है।

20. उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कंपनी, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल कर लिया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में उद्यम पूंजी उपक्रम किए गए निवेश से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

21. उद्यम पूंजी वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

22. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों से वितरित आय पर कर, आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों के आधार पर निवेशकर्ता पर लगेगा। उन उद्यम पूंजी उपक्रमों के शेयर जिनमें उद्यम पूंजी निधियों ने आरम्भिक निवेश किया था, बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो जाने पर भी उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

23. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को किसी कंपनी में साम्यपूंजी के कुल 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001–02 के बजट में इस सीमा को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया है।

24. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत, आईटी सॉफ्टवेयर एवं सेवा कंपनियों के निवासी कर्मचारी द्वारा विदेशी मुद्रा में खरीदे गए जीडीआर से हुई आय पर 10 प्रतिशत के रियायती दर पर आयकर देय होगी।

25. धारा 80-IA (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधान के अंतर्गत करावकाश का विस्तार इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रदाताओं को उपलब्ध कराया गया है।

26 एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

27. कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के लिए वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125 प्रतिशत की भारित कटौती का प्रावधान किया गया है।

28. सरकार ने 100 करोड़ रुपये की संग्रह राशि से सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग (एनएफएस आईटी) के लिए एक राष्ट्रीय उद्यम निधि (एनएफएस आईटी) का गठन किया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का अंशदान 30 करोड़ रुपये होगा।

29. एसटीपीआई ने एसटीपी इकाइयों के कारोबार को बढ़ाने और लघु एवं मझौले उद्यमियों को विपणन सहायता उपलब्ध कराने के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में व्यवसाय सहायता केन्द्र की स्थापना की है, यह नवंबर 1999 से कार्य कर रहा है।

30. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम को अधिनियमित किया है। यह अधिनियम साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और सुरक्षा से संबंधित विधिक पहलुओं से संबंधित है। यह इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करेगा।

वृद्धि-दर बढ़ाने की रणनीति

***48. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :**

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृद्धि–दर को 5.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इस नई रणनीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के गत चार वर्षों के दौरान वार्षिक वृद्धि–दर लक्षित दर से नीचे रही है;

(घ) यदि हां, तो उत्पादन की लक्षित वृद्धि–दर तथा इसके सापेक्ष वास्तविक वार्षिक वृद्धि–दर कितनी है;

(ङ) क्या सरकार ने वृद्धि–दर के वर्तमान निम्न स्तर के कारणों का पता लगाया है;

(च) यदि हां, तो कम वृद्धि–दर के लिए उत्तरदायी कारकों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) योजना आयोग में दसवीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) और (घ) योजनाओं के लिए विकास लक्ष्य वार्षिक रूप से निर्धारित नहीं किए जाते हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–98 से 2000–02 तक) के लिए, स्थिर कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर द्वारा मापित, अर्थव्यवस्था की लक्षित विकास दर औसत प्रतिवर्ष 6.5 प्रतिशत निर्धारित की गई थी। इसकी तुलना में, नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों (1997–98 से 2000–01 तक) के दौरान अर्थव्यवस्था में 5.75 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि दर प्राप्त हुई है।

(ङ) और (च) वृद्धि दर के निम्न स्तर होने का मुख्य कारण कृषि, खनन और उत्खनन, विनिर्माण एवं विद्युत, गैस और जलापूर्ति क्षेत्रक में अपर्याप्त निष्पादन है। वृद्धि निष्पादन में कमी का एक मुख्य कारण सार्वजनिक निवेश में कमी और कमजोर शासन है।

(छ) सार्वजनिक निवेश बढ़ाना, राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति दर में कमी लाना, अवसंरचना विकास में निजी पहल को प्रोत्साहित करने के लिए सेवाओं का उचित मूल्य निर्धारित करना और शासन में सुधार लाना कुछ ऐसे उपाय हैं जो वृद्धि निष्पादन में सुधार लाने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाए गए हैं।

दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप में हवाई अड्डों की कमी

***49. श्री रामजीवन सिंह :**

श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण प्रायद्वीप में बचाव और आक्रामक दृष्टि से अपर्याप्त हवाई अड्डे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) भारतीय वायुसेना के दक्षिणी वायुसेना कमान तथा दक्षिण में नौसेना बेसों के पास सभी आवश्यक संक्रियात्मक कार्य करने के लिए दक्षिणी प्रायद्वीप में सामरिक दृष्टि से अवस्थित अपेक्षित सुविधाएं हैं।

आधुनिकीकरण तथा बुनियादी ढांचे का आगे विकास एक सतत प्रक्रिया है।

सरकार द्वारा नौकरशाहों की संख्या में कमी

***50. श्री रघुनाथ झा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नौकरशाहों की संख्या में कमी की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक भारत सरकार में निदेशक के पद से ऊपर के कितने पद समाप्त किए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2001 के दौरान और कितने पदों की संख्या में कटौती किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय म राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) वर्ष 1992 में, सरकार ने विभिन्न स्तरों पर पदों की संख्या में 10 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया था जिसके फलस्वरूप लगभग 1.83 लाख पद समाप्त कर दिए गए हैं। चूंकि रैंकवार सूचना संकलित नहीं की जाती है, इसलिए भारत सरकार में समाप्त किए गए निदेशक के रैंक से ऊपर के पदों के अधिकारियों के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, 1992 में सचिवों के ग्रुप द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संयुक्त सचिव और उसके समकक्ष 135 पद समाप्त कर दिए गए हैं। अभी हाल ही में कुछ विभागों को समाप्त किया गया है/मिला दिया गया है तथा कुछ अन्य किफायती उपाय किए गए हैं। इसके फलस्वरूप सचिव स्तर के सात पद समाप्त कर दिए गए हैं।

(ग) 28 फरवरी, 2001 को संसद में नई भर्ती को सीमित रखने हेतु बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मई, 2001 में यह अनुरोध करते हुए अनुदेश जारी किए हैं कि वे सीधी भर्ती संबंधी वार्षिक योजनाएं तैयार करें जिसमें यह सुनिश्चित करें कि सीधी भर्ती

किसी भी हालत में विभाग के कुल स्वीकृत पदों की संख्या के 1 प्रतिशत से अधिक न हो।

सरकारी जन–शक्ति की पुनःसंरचना करना/उसे युक्ति–संगत बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है और इसलिए चालू वर्ष के दौरान समाप्त किए जाने वाले संभावित पदों की सही संख्या बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नौवीं पंचवर्षीय योजना

***51. डा. मदन प्रसाद जायसवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजन करने को प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य–वार अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में से एक है :

> "पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन करने तथा गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।"

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। खादी ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) भी ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र में सृजित किए गए रोजगार के अवसरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) कार्यक्रमों की समय–समय पर समीक्षा की जाती है तथा मूल्यांकन किया जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में विशेष रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनुभव की गई कुछ कठिनाइयों को दर्शाया गया है

- रोजगार आश्वासन स्कीम के मामले में सार्वजनिक कवरेज में राज्यों से उनको उपलब्ध राजकोषीय संसाधनों के बाहर निधियों के लिए मांग उठने लगी;
- उपलब्ध संसाधनों को सूक्ष्मता से विस्तारित किया गया ताकि रोजगार की अवधि के लिए बिना किसी चिंता के लाभभोगी/मुद्दों की कवरेज बढ़ सके;
- प्रतिव्यक्ति सृजित रोजगार इतना अपर्याप्त था कि वह लाभभोगियों की आमदनी में किसी प्रकार की अर्थपूर्ण वृद्धि नहीं कर सकता था;
- निधियों के व्यपगत होने से बचने के लिए कभी–कभी अनावश्यक परियोजनाएं शुरू की गईं;
- कुछ राज्यों में, परियोजनाओं को ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किया गया जिन्होंने बाहर से कम मजदूरी पर मजदूर किराए पर लिए तथा कुछ मामलों में श्रम सघन विधि के बजाय ट्रक व ट्रैक्टरों का प्रयोग किया गया;
- कार्यक्रमों के अंतर्गत सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा कम था;
- उपस्थिति पंजिका तथा पुस्तक मापन फर्जी होने के परिणामस्वरूप निधियों की व्यापक हानि हुई जिसे अन्यथा ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण में लगाया जा सकता था;
- ग्राम पंचायतों से नौकरी तलाशने वालों के पंजीकरण की प्रणाली सामान्यतः प्रचलित नहीं थी;
- रोजगार तलाशने वाले उन पंजीकृत व्यक्तियों का अनुपात जिन्हें वास्तव में रोजगार प्राप्त हुआ था प्रतिदर्श गांवों में बहुत ही कम अर्थात लगभग 25 प्रतिशत था;
- कभी–कभी फील्ड कर्मचारियों ने बोगस आंकड़े सूचित करते हुए यह दर्शाया कि सतही स्थितियों के बावजूद लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं; तथा
- ऐसे कार्यक्रमों से राजनीतिक तथा प्रशासनिक दोनों स्तरों पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है।

आईआरडीपी तथा संबद्ध कार्यक्रम जैसे ट्राइसेम, ड्वाकरा, सिट्रा तथा एमडब्ल्यूएस सहित जीकेवाई को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के अंतर्गत विलय करके एक कार्यक्रम बना दिया गया है। दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के लिए योजना आयोग द्वारा गठित कार्यदल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अनुभव की जा रही कठिनाइयों पर काबू पाने के उपायों की जांच कर रहे हैं।

विवरण

केन्द्र सरकार के चयनित कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रकों में सृजित रोजगार के अवसर

राज्य	केवीआई[1] कार्यक्रम सृजित रोजगार 1997–2000 ('000)	एसजीएसवाई[2] स्वरोजगारियों को सहायता 1999–2001 ('000)	ईएएस[3] सृजित रोगजार के श्रम दिवस 1997–2001[4] ('000)
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	10.66	244 (फरवरी)	110785 (फरवरी)
अरुणाचल प्रदेश	0.01	4 (फरवरी)	12178 (जनवरी)
असम	3.57	30 (मार्च)	69418 (मार्च)
छत्तीसगढ़	10.81	232 (मार्च)	128066 (अगस्त)
चंडीगढ़	**	30 (मार्च)	8332@ (मार्च)
गोवा	0.17	0 (मार्च)	748 (मार्च)
गुजरात	3.04	48 (मार्च)	28427 (मार्च)
हरियाणा	2.73	43 (मार्च)	8104 (मार्च)
हिमाचल प्रदेश	2.44	19 (फरवरी)	10826 (फरवरी)
जम्मू व कश्मीर	3.27	10 (जनवरी)	24795 (फरवरी)
झारखण्ड	**	30@ (दिसम्बर)	6048@ (दिसम्बर)
कर्नाटक	4.67	48 (मार्च)	93133 (मार्च)
केरल	6.44	68 (मार्च)	16881 (फरवरी)
मध्य प्रदेश	3.90	184 (मार्च)	128964 (फरवरी)
महाराष्ट्र	13.69	176 (मार्च)	92288 (फरवरी)
मणिपुर	1.38	0 (एनआर)	4436 (जुलाई)
मेघालय	0.42	2 (फरवरी)	2608 (दिसंबर'99)
मिजोरम	0.40	1 (फरवरी)	4836 (मार्च)
नागालैंड	0.58	5 (जुलाई)	18636 (जुलाई)
उड़ीसा	5.79	161 (मार्च)	113290 (मार्च)
पंजाब	5.32	14 (मार्च)	5682 (मार्च)
राजस्थान	13.12	79 (मार्च)	62047 (फरवरी)
सिक्किम	0.15	3 (मार्च)	2579 (फरवरी)
तमिलनाडु	33.11	149 (मार्च)	128222 (फरवरी)
त्रिपुरा	0.74	23 (मार्च)	12147 (जनवरी)
उत्तर प्रदेश	32.72	185 (मार्च)	197277 (जनवरी)
उत्तरांचल	**	0@ (अक्तूबर)	684@ (सितंबर)
पश्चिम बंगाल	11.82	102 (फरवरी)	47485 (फरवरी)

1. केवीआई–खादी व ग्रामोद्योग।
2. एसजीएसवाई–स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। अतः दो वर्षों 1999–2000 तथा 2000–01 के आंकड़े प्रस्तुत हैं।
3. ईएएस–रोजगार आश्वासन स्कीम।
4. कोष्ठक में दिए गए महीने उस माह को दर्शाते हैं जिस तक राज्यों से वर्ष 2000–01 आंकड़े प्राप्त हुए हैं।

* 500 से कम।

** नव सृजित राज्य।

एनआर का अभिप्राय है "सूचित नहीं"।

@ वर्ष 2000–2001 से संबंधित।

[अनुवाद]

बंगलादेश के साथ वीजा समझौता

***52. श्री बसुदेव आचार्य :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बंगलादेश के साथ दोनों देशों के लोगों की यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से तीन दशक पूर्व हस्ताक्षर किए गए पैकेज में संशोधन करके एक नए वीजा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत और बंगलादेश के बीच संशोधित यात्रा व्यवस्था से संबद्ध करार 23 मई, 2001 को ढाका में संपन्न हुआ। इस संशोधित व्यवस्था में अन्य बातों के साथ–साथ व्यापारियों, निवेशकों, व्यावसायिकों, अनुसंधानविदों, छात्रों और चिकित्सा आधार पर यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दीर्घावधि बहुप्रवेश वीजा प्रदान करने को सुलभ बनाने के लिए भारत और बंगलादेश की 1972 वीजा व्यवस्था में उदारता लाने का अनुरोध किया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

***53. डा. जसवंतसिंह यादव :**
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विकास रणनीति में मूलरूप से किस बात पर बल दिया गया है;

(ग) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्राथमिकता वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र अभी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

[हिन्दी]

मादा भ्रूण हत्या

***54. श्रीमती रेनु कुमारी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'इंडियन मेडिकल एसोसिएशन' के तत्वावधान में "मादा भ्रूणहत्या" के मुद्दे पर हाल ही में दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो देश में मादा भ्रूणहत्या को रोकने के लिए बैठक में कौन–कौन से उपाए सुझाए गए; और

(ग) सरकार द्वारा इन उपायों को द्रुत गति से क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है अथवा/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी. पी. ठाकुर) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा संघ ने सूचित किया है कि उन्होंने दिनांक 24 जून, 2001 को नई दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में निम्नलिखित उपायों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी :

1. समाज में कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता पैदा करना;
2. आम जनता के बीच इस विचार का प्रचार करने के लिए धार्मिक नेताओं की सेवाओं को उपयोग में लाना;
3. भारतीय चिकित्सा संघ ने सुस्पष्ट रूप से कहा कि वे सभी डाक्टर जो इस भ्रूणहत्या को करेंगे, अनुशासनिक उपायों के अध्यधीन होंगे; और
4. कांची के जगद्गुरू शंकराचार्य के मार्गदर्शन में प्रतिज्ञा ली गई (प्रति विवरण के रूप में संलग्न है)।

(ग) लिंग चयनात्मक कन्या भ्रूणहत्याओं को कम करने और उनका उन्मूलन करने के लिए जम्मू व कश्मीर को छोड़ कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पहली जनवरी, 1996 से प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 लागू है जिसमें भ्रूण का लिंग बताने पर प्रतिबंध है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे जनता और सेवा प्रदानकर्ताओं को इस अधिनियम के उपबंधों से अवगत कराने के लिए एक प्रभावकारी जागरूकता अभियान चलाएं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन की सूचना देने अथवा शिकायतें दायर करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को सुरक्षा प्रदान करें। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को प्रतिकूल लिंग अनुपात के मुद्दे पर

ध्यान केन्द्रित करने के लिए पत्र लिखे गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को भी हाल ही में पत्र लिखे गए हैं कि वे प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के कार्यान्वयन का अनुवर्तन करें।

इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य/जिला स्तर पर कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं। इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के संबंध में परियोजनाएं चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर के गैर–सरकारी संगठनों से अनुरोध किया गया है कि वे डाक्टरों/क्लीनिकों/कानून प्रवर्त्तन प्राधिकारियों और जनता के बीच व्यापक रूप से इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए परियोजनाएं शुरू करें। पंजीकृत/गैर–पंजीकृत क्लीनिकों का पता लगाने के लिए अपने–अपने क्षेत्राधिकर में उन परिसरों, जहां गर्भ का चिकित्सीय समापन किया जा रहा है, के नाम और पते सूचीबद्ध करने और बताने के लिए गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी प्राप्त किया गया है। बहुत निचले स्तर पर प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (दुरुपयोग का विनियमन और निवारण) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन के लिए नियुक्त किए गए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के उपयुक्त प्राधिकारियों को अधिनियम के उपबंधों के प्रवर्त्तन के लिए उपाय करने हेतु सुग्राही बनाने के लिए उनकी एक बैठक नई दिल्ली में 30 जून, 2001 को आयोजित की गई थी।

विवरण

शपथ

हम सब भारत के नागरिक तथा भारत के विभिन्न धर्मों और हिस्सों के प्रतिनिधि एकमत होकर तथा बहुत कड़े तौर पर कन्या भ्रूण हत्या जैसे अमानवीय तथा शर्मनाक प्रचलन की निन्दा करते हैं।

हमारी मातृभूमि में महिलाओं का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है तथा रहेगा। धार्मिक नेताओं के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हम सब यह शपथ लेते हैं कि हम सब भारत के जनसाधारण में हमारे देश से कन्या भ्रूण हत्या जैसे नृशंस कृत्य को दूर रखने के लिए हमें प्राप्त सभी संसाधनों का पूरा उपयोग करते हुए प्रचार करेंगे।

हम भारतवर्ष की भूमि में कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य कुकृत्य को हटा देने वाले इस अभियान को अपना सर्वस्व प्रदान करने की प्रतिज्ञा करते हैं तथा इसके लिए हम कोई भी कदम उठा रख नहीं छोड़ेंगे।

[अनुवाद]

अमरीकी आसूचना निदेशकों का आकलन

***55. श्री चन्द्र विजय सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संयुक्त राज्य अमरीका के केन्द्रीय आसूचना के उत्तरोतर निदेशकों ने यह आकलन किया है कि भारतीय उपमहाद्वीप ऐसे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जहां परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इस स्थिति का स्वयं कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा संभावित परमाणु युद्ध के खतरों से नागरिकों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सी आई ए के निदेशकों द्वारा भारत के आसपास की स्थिति, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय हथियारों के अधिग्रहण से उत्पन्न स्थिति पर प्रस्तुत अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्टों को ध्यानपूर्वक देखा है।

(ग) से (ङ) सरकार सभी घटनाओं का लगातार पुनरीक्षण करती रहती है और ऐसे सभी आवश्यक उपाय करने के लिए वचनबद्ध है, जिसमें उसके अपने स्वयं के मूल्यांकन के अनुसार राष्ट्र की सुरक्षा के हित में न्यूनतम विश्वसनीय नाभिकीय निवारक रखना शामिल है। भारत ने प्रधान मंत्री की लाहौर यात्रा के दौरान नाभिकीय क्षेत्र में विश्वास कायम रखने के विभिन्न उपायों से संबद्ध प्रस्ताव पाकिस्तान के समक्ष रखे थे। राष्ट्रपति मुशर्रफ की हाल की भारत यात्रा में सरकार ने सुरक्षा और नाभिकीय अवधारणाओं में विश्वास कायम करने के उपायों पर द्विपक्षीय विचार–विमर्श करने की अपनी वचनबद्धता को दोहराया था।

[हिन्दी]

पार-पत्र (पासपोर्ट) जारी करना

***56. श्री रामानन्द सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या पार–पत्र जारी करने से संबंधित अनेक मामले विभिन्न पार–पत्र कार्यालयों में लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 2001 की स्थिति के अनुसार कार्यालय–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्धारित अवधि के भीतर पार–पत्र जारी करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) पासपोर्ट जारी करने में देरी के विभिन्न कारण हैं जैसे आवेदनों की प्राप्ति में 19 प्रतिशत की बढ़ोतरी तथा चालू वर्ष के पहले छह महीने में पासपार्टों को जारी करना, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में कर्मचारियों की कमी एवं पासपोर्ट पुस्तिकाओं की अनियमित आपूर्ति।

(घ) पासपोर्ट जारी करने के लिए क्रियाविधि को सरल और कारगर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। पासपोर्ट आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए किए गए उपायों में कार्रवाई की क्रियाविधि का कम्प्यूटरीकरण, स्पीड पोस्ट से पासपोर्ट को भेजना, मशीन द्वारा पासपोर्टों की लिखाई शुरू करना और अपने–अपने संबंधित क्षेत्रों में पासपोर्ट अधिकारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ नियमित रूप से परामर्श के जरिए पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट को शीघ्र मांगना शामिल हैं। प्रत्येक पासपोर्ट कार्यालय में बकाया मामलों की सप्ताह के आधार पर निगरानी रखी जाती है तथा अहमदाबाद स्थित पासपोर्ट कार्यालय में बकाया मामलों में कमी लाने के लिए उक्त कार्यालय में अन्य पासपोर्ट कार्यालयों से कर्मचारियों को तैनात किया गया है। मार्च, 2001 से कई पासपोर्ट कार्यालयों में स्पीड पोस्ट केन्द्रों के जरिए पासपोर्ट सेवाओं का विकेन्द्रीकरण शुरू किया गया है।

विवरण

30.6.2001 की स्थिति के अनुसार विभिन्न पासपोर्ट कार्यालयों में बकाया आवेदनों की संख्या

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय का नाम	बकाया आवेदनों की संख्या
1	2	3
1.	अहमदाबाद	25370
2.	बंगलौर	3615
3.	बरेली	643
4.	भोपाल	7
5.	भुवनेश्वर	0
6.	चंडीगढ़	3815
7.	चेन्नई	3225
8.	कोचीन	251
9.	दिल्ली	4431
10.	गाजियाबाद	1541
11.	गुवाहाटी	38
12.	हैदराबाद	13678
13.	जयपुर	2717
14.	जालंधर	1456
15.	जम्मू	170
16.	कोलकाता	1334
17.	कोजीकोड	1722
18.	लखनऊ	3523
19.	मुबंई	849
20.	नागपुर	0
21.	पणजी	105

1	2	3
22.	पटना	140
23.	पुणे	0
24.	श्रीनगर	912
25.	थाणे	1600
26.	त्रिची	4347
27.	त्रिवेन्द्रम	592
28.	विशाखापट्टनम	188
	योग	76269

• किसी आवेदन को केवल तभी बकाया माना जाता है जब वह पूरी तरह से सही हो और उसमें कोई आपत्ति न की गई हो जिसमें पुलिस साक्ष्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो परन्तु अधिकारी द्वारा आवेदन देने के पांच सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी न किया गया हो।

[अनुवाद]

विशेष श्रेणी के राज्य

***57. श्री त्रिलोचन कानूनगो :**
श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा कब से दिया गया है;

(घ) इन राज्यों में से प्रत्येक को, विशेषकर उत्तरांचल को, उपलब्ध कराई गई विशिष्ट सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य को कितनी अवधि के लिए विशेष दर्जा प्रदान किया गया है;

(च) क्या सरकार का विचार छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों को भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान करने का है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) छत्तीसगढ़ और झारखंड समेत प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य द्वारा राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में अंशदान और प्रति व्यक्ति आय का ब्यौरा क्या है; और

(झ) छत्तीसगढ़ और झारखंड के त्वरित विकास के लिए क्या विशेष कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। निम्नलिखित राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है : अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तरांचल।

(ग) असम और जम्मू व कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों को आरंभ से ही विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। जम्मू व कश्मीर और असम के मामले में, शुरू में विशेष श्रेणी का दर्जा केवल जम्मू व कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र और असम के पहाड़ी क्षेत्रों तक प्रतिबंधित किया गया था। तथापि, बाद में इन राज्यों के सभी क्षेत्रों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था।

(घ) उत्तरांचल सहित सभी विशेष श्रेणी राज्यों को 90 : 10 के अनुदान–ऋण अनुपात में उदारीकृत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्हें अपनी गैर–योजना आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत के विचलन की अनुमति भी दी जाती है।

(ङ) इस प्रकार की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि, इस संबंध में निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही लिया जाना है।

(च) और (छ) विशेष श्रेणी दर्जा उन राज्यों को दिया जाता है, जिनका सर्वाधिक क्षेत्र पहाड़ी हो और जिनकी जनजातीय जनसंख्या बहुत अधिक हो, जो संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में स्थित हों, जिनकी सामाजिक–आर्थिक आधारिक संरचना अल्प विकसति हो, जिनका निम्न राजस्व आधार हो और जिसके राज्य के वित्त की प्रकृति गैर–व्यवहार्य हो और जो समग्र रूप से पिछड़े हों। चूंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य ये शर्तें पूरी नहीं करते हैं, अतः उन्हें विशेष श्रेणी राज्यों में शामिल करना संभव नहीं होगा।

(ज) प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के तुलनीय अनुमान, जीएसडीपी और वर्ष 1996–97 के लिए राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों सहित विशेष श्रेणी राज्यों का योगदान संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(झ) राज्यों की वार्षिक योजनाओं में विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों का लक्ष्य राज्यों के विशिष्ट क्षेत्रकों/क्षेत्रों के विकास को तीव्र करना है। इन कार्यक्रमों में प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई), प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एचएडीपी), विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सड़कों और पुलों आदि के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता शामिल हैं। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों के तीव्रीकृत विकास को भी सुकर बनाएंगे।

विवरण

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी), प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद और राज्य का कुल अखिल भारत में हिस्सा–1996–97

(प्रचलित मूल्यों पर)

राज्य	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (लाख रु.)	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (रु.)	अखिल भारत सकल राज्य घरेलू (जीएसडीपी) में प्रतिशत हिस्सा
1	2	3	4
1 अरुणाचल प्रदेश	116,748	11,043	0.1%
2 असम	2,093,933	8,385	1.7%
3 छत्तीसगढ़	2,257,214	11,368	1.9%
4 हिमाचल प्रदेश	883,754	14,508	0.7%
5 जम्मू व कश्मीर	1,004,289	11,087	0.8%
6 झारखंड	2,309,851	9,691	1.9%
7 मणिपुर	225,187	10,062	0.2%
8 मेघालय	223,159	10,318	0.2%
9 मिजोरम	120,337	14,260	0.1%
10 नागालैंड	208,609	14,018	0.2%
11 सिक्किम	60,179	12,133	0.0%
12 त्रिपुरा	302,848	9,013	0.3%
13 उत्तरांचल	1,209,867	15,232	1.0%
अखिल भारत	120,791,018	12,805	

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन।

टिप्पणी आंकडे अनंतिम हैं।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री की मलेशिया यात्रा

***58. श्री अजय सिंह चौटाला :**
श्री माधवराव सिंधिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 2001 में प्रधान मंत्री की मलेशिया यात्रा के दौरान भारत और मलेशिया के बीच किन–किन मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ख) इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्र–वार हस्ताक्षर किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या चर्चा के लिए प्रत्यर्पण का मुद्दा भी सामने आया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) मई, 2001 में प्रधान मंत्री की मलेशिया की यात्रा के दौरान विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और सार्वभौम महत्व के मसलों पर चर्चा हुई थी। जिन मसलों पर चर्चा हुई थी उनकी सूची विवरण के रूप संलग्न है।

(ग) भारत और मलेशिया के बीच 13–16 मई, 2001 तक प्रधान मंत्री की मलेशिया की यात्रा के दौरान दो करार और 5 समझौता ज्ञान संपन्न हुए। ये करार सरकारी और राजनयिक पासपोर्टों के संबंध में कोंसली सेवाओं के क्षेत्र में तथा दोहरे कराधान के परिहार के संशोधन और आयकरों के संबंध में राजकोषीय वंचन की रोकथाम के लिए संपन्न हुए थे। बंदरगाहों में सहयोग के क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी और सेवाओं के संबंध में सहयोग, सिविल सेवाओं, कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन में सहयोग, इरकान के साथ दोहरा पथ और रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया तथा मलेशिया के सिक्योरिटीज कमीशन के बीच सहायता और परस्पर सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन संपन्न हुए।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारत और मलेशिया के बीच इस यात्रा के दौरान प्रत्यर्पण संधि संपन्न नहीं हो सकी चूंकि मलेशियाई पक्ष द्वारा अपेक्षित क्रिया–विधिक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं हुई हैं।

विवरण

1. मलेशिया के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण किश्त प्रदान करने संबंधी भारत सरकार का निर्णय।
2. मलेशिया में बैंक आफ बड़ौदा की एक शाखा खोलना।
3. भारत में बंदरगाहों के निर्माण और प्रबंधन में सहयोग विशेषरूप से जे एन पी टी, मुंबई।
4. यूनीवर्सिटी केबांगसान मलेशिया में समसामयिक भारतीय अध्ययन की एक पीठ और चेन्नई में मद्रास विश्वविद्यालय में मलेशियाई भारतीय अध्ययन या पीठ की स्थापना का निर्णय।
5. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग।
6. भारतीय कुशल कामगारों और व्यावसायिकों को पेश आ रही वीजा और श्रम समस्याएं।
7. मलेशिया की सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालयों की उपाधियों को मान्यता न देना।
8. मैसर्स इरकान के लिए आईपोह–पादांग परियोजना 350 किलोमीटर की दोहरी पटरी का 1.5 बिलियन अमरीकी डालर का ठेका।
9. मलेशिया–भारत संवाद का गठन।
10. मलेशिया से आयातित पाम आयल पर आयात शुल्क की समीक्षा।
11. मलेशियाई कंपनियों के लिए रोड परियोजनाओं का ठेका।
12. 3 वर्ष में मलेशिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का प्रधान मंत्री का लक्ष्य।
13. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग।
14. औद्योगिक कौशल के लिए उच्च व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना।
15. मलेशिया में मुगल आर्ट की प्रदर्शनी।
16. भारत के विशेष आर्थिक जोनों में मलेशियाई निवेश।

[अनुवाद]

रक्षा क्षेत्र में निजीकरण

***59. श्री नरेश पुगलिया :**
श्री खारबेल स्वाइं :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आरक्षित रक्षा उपकरण उद्योग को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) सहित निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) के लिए प्रस्तावित रक्षा उपकरणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर भारतीय और विदेशी कंपनियों की क्या प्रतिक्रिया है और रक्षा उत्पादन के क्षेत्रों में इसके लिए क्या सीमाएं निर्धारित की गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार विभिन्न श्रमिक संगठनों और राजनैतिक दलों के कड़े विरोध और रक्षा क्षेत्र के मजदूर संघों द्वारा 23–24 जुलाई को हड़ताल के आह्वान को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रभाव

की गहराई से जांच की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रक्षा संबंधी गोपनीय जानकारी के संभावित लीकेज को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (छ) रक्षा उद्योग क्षेत्र को भारतीय निजी क्षेत्र की 100 प्रतिशत इक्विटी तक की भागीदारी के लिए खोल दिया गया है जिसमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंश के लिए 26 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है किन्तु दोनों ही के लिए लाइसेंस संबंधी अनुमति लिया जाना अनिवार्य है। इसमें सभी तरह के रक्षा उपस्कर शामिल हैं। रक्षा उत्पादन के अतिमहत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में सभी तकनीकी तथा प्रबंधकीय संसाधनों को काम में लिया जाए खासकर तक जबकि हमारे निजी क्षेत्र ने रक्षा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी क्षमताएं पहले ही प्रदर्शित कर दी हैं। इस क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोले जाने से आशा है कि पूंजी तथा प्रौद्योगिकी के समावेश से समय के साथ–साथ धीरे–धीरे रक्षा संबंधी आयातों पर मौजूदा निर्भरता कम होगी। भारतीय निजी उद्योग भी निरंतर इस बात की वकालत करता आ रहा है कि देश के रक्षा उत्पादन में उनकी भागीदारी बढ़ाने की अनुमति दी जाए क्योंकि प्रायः विदेशी निजी कंपनियों से आयात किया जाता रहता है।

रक्षा उद्योग क्षेत्र को निजी उद्यमियों के लिए खोले जाने की इस नीति की घोषणा हाल ही में की गई है। तथापि, इस क्षेत्र में अभी ठोस निवेश के प्रस्तावा की आशा करना जल्दबाजी होगी।

इस क्षेत्र को खोले जाने की तर्कसंगतता से श्रमिक संगठनों को विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया है जहां कि इस बात का उल्लेख किया गया है कि देश की आयुध निर्माणियों का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। परिणामतः उनके द्वारा हड़ताल का प्रस्ताव स्थागित कर दिया गया है।

सुरक्षा संबंधी पहलुओं का लाइसेंसिंग प्रक्रिया द्वारा, बिक्री तथा निर्यात के क्षेत्र में नियंत्रण के माध्यम से सदैव पूरा ध्यान रखा जाएगा।

[हिन्दी]

तालिबान का फरमान

***60. श्री जे. एस. बराड़ :**
श्री रामदास आठवले :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने एक फरमान जारी करके वहां रह रहे हिन्दुओं से कहा है कि वे अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पीली पोशाक पहनें और शरियत का पालन करें अथवा उन पर मुकदमा चलाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस फरमान के अनुसार हिन्दू और मुस्लिम एक ही मकान में नहीं रह सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और अफगानिस्तान में रह रहे हिन्दुओं की धार्मिक और सामाजिक आजादी की सुरक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) :

(i) सरकार ने ऐसी विश्वसनीय खबरें देखी हैं कि तालिबान ने एक फतवा जारी करके अफगानी हिन्दुओं और सिखों के लिए विशेष पहनावा और अलग पहचान वाले चिह्न निर्धारित किए हैं। इस फरमान के तहत अफगानी हिन्दुओं और सिखों पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। अफगानी हिन्दू पुरुषों को सलवार कमीज अथवा सफेद पगड़ी पहने से वंचित कर दिया गया है। उन्हें काली टोपी पहनने और पहचान चिह्न के रूप में लाल तिलक लगाने का निदेश दिया गया है। हिन्दू महिलाओं से भी कहा गया है कि वे जब भी अपने घरों से बाहर निकलें तो वे एक पीले कपड़े से अपने आपको पूरी तरह ढक लें और लोहे का एक नेकलेस पहन लें। सभी हिन्दुओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने घरों पर एक पीला झंडा लगाकर रखें। मुसलमान और हिन्दुओं को एक ही घर में रहने से मना कर दिया गया है।

(ii) सरकार ने तालिबान के फतवे को अत्यंत गंभीरता से लिया है। सरकार ने इस फरमान की निंदा और भर्त्सना की है जो अल्पसंख्यकों के प्रति स्पष्ट रूप से भेदभाव करता है।

(iii) तालिबान का यह फतवा इस समूह की पिछड़े और दकियानूसी सैद्धांतिक आधार का एक और सबूत है। ऐसे आदेशों को धर्म के आधार पर औचित्यपूर्ण ठहराने का तालिबान का प्रयास भी निन्दनीय है। तालिबान के इस आदेशपत्र से वे कार्रवाइयां जायज

लगती हैं जो यू एन एस सी आर–1333 जैसे संकल्पों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान पर प्रतिबंध लगाकर की हैं।

(iv) सरकार ने द्विपक्षीय तौर पर और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों के साथ अपने विचार–विनिमय में तालिबान के फतवे का मामला भी उठाया है। परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूरोपीय संघ और अमरीका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तालिबान के फतवे की व्यापक निंदा की है।

पेंशन संशोधन

418. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या 1 नवंबर, 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने सरकारी कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन संबंधित विभागों द्वारा संशोधित नहीं की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उनकी पेंशन को शीघ्र संशोधित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के आधार पर, पेंशन संशोधित करते समय उत्पन्न हुई विसंगति दुरुस्त करते हुए नवम्बर 01, 1996 से पहले अर्थात् जनवरी, 1996 से सितंबर, 1996 के बीच की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हो गए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संबंध में, दिनांक 18.10.1999 का कार्यालय–ज्ञापन संख्या 45/86/97–पी. एण्ड पी.डब्ल्यू(ए) जारी किया गया। पेंशन शीघ्र ही संशोधित की जानी सुनिश्चित करने की दृष्टि से, पेंशन और पेंशनभोगी–कल्याण–विभाग ने अपने उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन द्वारा, भारत–सरकार के मंत्रालयों/विभागों को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारियों से पेंशन के संशोधन के आवेदन पत्र नए सिरे से मांगे बिना ही उनकी पेंशन स्वतः ही संशोधित करने के निदेश दिए थे। चूंकि पेंशन की मंजूरी और उसके भुगतान का काम–काज, पूर्णतः विकेन्द्रीकृत है, अतः पेंशन के निबटारे/संशोधन के बारे में इस मंत्रालय में कोई केन्द्रीकृत रेकॉर्ड नहीं रखा जाता।

दक्षिण भारत में संयुक्त राज्य अमीरात वाणिज्य दूतावास की स्थापना

419. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या दक्षिण भारत में अपना वाणिज्य दूतावास खोले जाने हेतु संयुक्त राज्य अमीरात की सरकार से कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) लागू नहीं।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा के नजदीक सुरंग का पता लगना

420. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि भारत–पाक सीमा के नजदीक हाल ही में एक सुरंग का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) ऐसी गतिविधियों में शामिल पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) गुरदासपुर में चोंत्रा के जनरल एरिया में सीमा–बाड़ से हमारी तरफ लगभग 55 गज पर 1.3.2001 को एक ऐसी सुरंग का पता चला था जिसको खोदे जाने का कार्य अभी जारी था। इस सुरंग का प्रवेश बिन्दु अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगभग 50 गज दूर पाकिस्तान में पाया गया था।

इस मामले की एक विशेष जांच अदालत द्वारा जांच करवाई गई है। इस अदालत ने पर्यवेक्षी स्टाफ को कर्त्तव्य की अवहेलना का दोषी ठहराया है। तदनुसार, विभागीय अनुशासनिक कार्यवाई शुरू की जा रही है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों की स्थापना

421. श्री के. ए. सांगतम : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समूचे पूर्वोत्तर में केवल गुवाहाटी में ही एक पासपोर्ट कार्यालय है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) उत्तर–पूर्व राज्यों सहित भारत के प्रत्येक राज्य के लिए पासपोर्ट जारी करने की सुविधाएं प्रदान करना सरकार का प्रयास रहा है। कर्मचारियों की कमी की समस्या का हल किया जाना अपेक्षित है और नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने से पूर्व प्रशासनिक तौर–तरीके तैयार किया जाना अपेक्षित है।

मिनी टूलरूम और ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना

422. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री 21.3.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3527 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने मिनी टूल रूम और ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करने के लिए निर्धारित प्रपत्र पर केन्द्र सरकार को संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) केरल, मध्य प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों ने योजना के अंतर्गत विचार हेतु संशोधित प्रस्ताव भेज दिए हैं।

भारत-लेटिन अमरीका संधि

423. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेटिन अमरीकी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं/किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन देशों में सद्भावना मिशन पर कोई प्रतिनिधिमंडल भेजा गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन देशों से उच्च स्तरीय सद्भावना मिशन को आमंत्रित करने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) लेटिन अमरीकी देशों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए भारत के निरंतर और सतत् प्रयास रहे हैं। इन उपायों में आवधिक आधार पर उच्च स्तरीय राजनीतिक यात्राओं का आदान–प्रदान, नियिमित सरकारी स्तर के परामर्श, संयुक्त आयोग का आयोजन, आईटेक सहयोग का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी और व्यावसायिक तथा सांस्कृतिक शिष्टमंडलों की यात्राएं शामिल हैं।

(ग) से (च) उपरोक्त सूचीबद्ध विभिन्न पारस्परिक क्रियाओं से लातिन अमरीकी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों में सद्भावना उत्पन्न होने के अलावा संबंध भी काफी सुदृढ़ होंगे।

[हिन्दी]

आवेरी (हिमाचल प्रदेश) में छावनी

424. श्री माहेश्वर सिंह :

श्री सुरेश चंदेल :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में आवेरी में छावनी स्थापित करने के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का कुल क्षेत्र कितना है;

(ख) अधिग्रहण का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् इसकी स्थापना में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इसमें धीमी प्रगति के क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सेना यूनिटों को अवस्थित किए जाने के प्रयोजन से कुल्लू जिले के आवेरी नामक गांव में 1259 बीघा व 16 बिस्वा भूमि अधिग्रहीत की गई है। राज्य सरकार उन 33 परिवारों को वहां से स्थानांतरित किए जाने की प्रक्रिया में लगी हुई है जो इस अधिग्रहीत भूमि पर अभी भी रह रहे हैं। उक्त परिवारों के स्थानांतरण के पश्चात् इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली

425. श्री टी. गोविन्दन : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अमरीका द्वारा हाल ही में घोषित प्रक्षेपास्त्र रक्षा प्रणाली के विरुद्ध रूस और चीन के साथ हाथ मिलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पर्यावरण पर परमाणु ऊर्जा का प्रभाव

426. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा से ऊर्जा उत्पादन से पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) परमाणु ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन की वजह से पर्यावरण पर नगण्य प्रभाव पड़ता है।

(ख) परमाणु विद्युत रिएक्टरों को अपने परिचालन के दौरान विकिरणसक्रिय सामग्री उत्सर्जित करने की अनुमति होती है। ये उत्सर्जित सामग्री परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर ही होती है। संयंत्रों से उत्सर्जित होने वाली विकिरणसक्रिय सामग्री को निरंतर मानीटर किया जाता है। प्रत्येक परमाणु बिजलीघर में स्थित पर्यावरण सर्वेक्षण प्रयोगशालाएं खाद्य पदार्थों, जल तथा वायु में विकिरणसक्रियता की सांद्रता को मापती हैं। उत्सर्जनों की वजह से निकलने वाली विकिरण की मात्रा, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं का एक छोटा सा अंश है। इस संबंध में और कोई उपाय किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

बंगाल की खाड़ी के देशों के समूह की बैठक

427. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में अप्रैल 2001 में परिवहन और संचार के संबंध में बंगाल की खाड़ी के देशों के समूह की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में किन–किन देशों ने भाग लिया; और

(ग) इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) परिवहन और संचार से संबद्ध आर्थिक सहयोग से संबद्ध बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड के विशेषज्ञों के समूह की पहली बैठक 23–24 अप्रैल, 2001 को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस बैठक में पांच सदस्य देशों के विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(ग) इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बंगलादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाइलैंड–आर्थिक सहयोग के देश– निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग करेंगे : परिवहन और सीमा पार आवाजाही को सुसाध्य बनाना, बहुरूपात्मक परिवहन और परिभारिकी; समुद्री सीमा परिवहन (अंतर्देशीय जल परिवहन सहित); आधारिक संरचना विकास; संचार संपर्क और नेटवर्किंग; परिवहन और संचार के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे

428. श्री राधा मोहन सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के छापे के बारे में 16 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7857 और 6 दिसंबर, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2779 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या जांच रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारियों को भेज दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा की गई/की जा रही कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

उत्तरांचल में के.वी.आई.सी.

429. श्री समर चौधरी : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए पर्वतीय राज्य उत्तरांचल में ग्रामीण उद्योगों को सुदृढ़ किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) औद्योगिकीकरण संबंधित राज्य सरकारों का विशिष्ट उत्तरदायित्व है, और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपर्ति करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए अनुदानों, ब्याज सब्सिडी, छूट प्रशिक्षण, विपणन आदि के रूप में सहायता प्रदान करता है, तथापि यह स्वयं अपनी कोई इकाई स्थापित नहीं करता है।

[हिन्दी]

जम्मू और कश्मीर के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता

430. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर द्वारा कुल कितनी अतिरिक्त वित्तीय सहायता मांगी गई;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान योजना–वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) प्रत्येक मामले में मांग के अनुसार पूरी धनराशि उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या राज्य द्वारा मागी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध करा दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जम्मू व कश्मीर सरकार केन्द्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता की मांग करती आ रही थी जिससे राज्य के अपने संसाधनों (एसओआर) में व्यापक घाटे को पूरा करने के बाद उसे समुचित योजना परिव्यय प्राप्त हो सके। जम्मू व कश्मीर सरकार का संसाधन घाटा जम्मू व कश्मीर बैंक से ओवरड्राफ्ट करने, ऋणों/ देयताओं के इकट्ठा हो जाने, पहले ही किए जा चुके कार्य के भुगतान न किए गए बिलों तथा गैर–योजना राजस्व व्यय आदि के अंतर्गत भारी जवाबदेहियों के कारण था। वर्ष 1998–99, 1999–2000 तथा 2000–01 हेतु जम्मू व कश्मीर का अनुमोदित योजना परिव्यय क्रमशः 1750.00 करोड़ रुपये, 1758.00 करोड़ रु. तथा 1757.80 करोड़ रुपये रहा है। पिछले तीन वर्षों के

दौरान, जम्मू व कश्मीर की वार्षिक योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता नियमानुसार है :

आबंटित वित्तीय सहायता

(करोड़ रु.)

वर्ष	अतिरिक्त वित्तीय सहायता	सामान्य केन्द्रीय सहायता	योग
1998–99	1483.16	986.08	2469.24
1999–2000	1973.70	1066.28	3039.98
2000–01	904.78*	1066.28	1971.06

*2000-01 से जम्मू व कश्मीर सरकार को 11वें वित्त आयोग अवार्ड के अनुसार राजस्व अंतराल अनुदान के कारण पर्याप्त वृद्धि दी गई। अतः 2000-01 के लिए दी गई अतिरिक्त वित्तीय सहायता पिछले वर्ष में आबंटित राशि की तुलना में कम थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता के स्कीमवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

1998–99 : इसमें 11 करोड़ रुपये ईएपी के लिए, 850 करोड़ रुपये विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए, 164.80 करोड़ रुपये वीएमएस के लिए, 6.59 करोड़ रुपये गंदी बस्ती विकास के लिए, 50 करोड़ रुपये एआईवीपी के लिए, 7.39 करोड़ रु. टीएसपी के लिए, 31.38 करोड़ रुपये बीएडीपी के लिए, 250 करोड़ रु. विशेष योजना सहायता के लिए, 87 करोड़ रुपये सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए तथा 25 करोड़ रु. डल झील के लिए शामिल हैं।

1999–2000 : इसमें 25 करोड़ रु. ईएपी के लिए, 850 करोड़ रु. विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए, 180.15 करोड़ रु. बीएमएस के लिए, 7.25 करोड़ रु. गंदी बस्ती विकास के लिए, 50 करोड़ रु. एआईवीपी के लिए, 7.78 करोड़ रु. टीएसपी के लिए, 33.52 करोड़ रु. बीएडीपी के लिए, 300 करोड़ रु. विशेष योजना सहायता के लिए, एमओयू के अंतर्गत 400 करोड़ रु., 87 करोड़ रु. सड़कों एवं पुलों के पुनर्निर्माण के लिए तथा 25 करोड़ रु. डल झील के लिए शामिल हैं। इसमें कारगिल के लिए 4.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, बौद्ध संघ के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के पुनर्वेधीकरण हेतु 1.00 करोड़ रु. वनों में आग लगने की घटनाओं से बचाव के लिए 1.00 करोड़ रु. तथा राष्ट्रीय मत्स्य बीज फार्म, मानसबल के लिए 2.00 करोड़ रु. भी शामिल हैं।

2000–01 : इसमें ईएपी के लिए 69 करोड़ रु., विशेष केन्द्रीय सहायता के लिए 100 करोड़ रु., प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) के लिए 171.58 करोड़ रु., प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण सड़कों) के लिए 80 करोड़ रु., गंदी बस्ती विकास के लिए 7.25 करोड़ रु., एआईबीपी के लिए 50 करोड़ रु., सड़कों व पुलों के लिए 7.10 करोड़ रु., बीएडीपी के लिए 39.65 करोड़ रु., विशेष योजना सहायता के लिए 300 करोड़ रु., सड़कों व पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 20 करोड़ रु. तथा डल झील के लिए 12.42 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें ढह गई स्कूली इमारतों के लिए 24 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, स्पितुक मठ के लिए 0.78 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, कारगिल के लिए 3 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और लद्दाख स्वायत्तशासी पर्वत विकास परिषद के लिए 20 करोड़ रु. भी शामिल हैं।

(घ) से (च) वर्तमान वर्ष (2001–02) के लिए, राज्य के स्वयं के संसाधनों (एसओआर) में बहुत अधिक अंतर होने के बावजूद, जम्मू व कश्मीर सरकार ने 2000 करोड़ रु. के योजना परिव्यय का बजट किया था, परन्तु उससे अधिक आबंटनों की मांग की थी।

योजना आयोग जम्मू व कश्मीर की 2001–02 की वार्षिक योजना के लिए 2050 करोड़ रु. के परिव्यय हेतु सहमत हो गया है :

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	अतिरिक्त वित्तीय सहायता	सामान्य केन्द्रीय सहायता	योग
2001–02	1186.25	1079.69	2265.94

अतिरिक्त वित्तीय सहायता के स्कीमवार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2001–02 : इसमें ईएपी के लिए 77.20 करोड़ रु., वित्त मंत्रालय द्वारा जारी राजकोषीय सुधार कार्यक्रम के अनुसार गैर–योजना अंतराल अनुदान से गत वर्ष की कटौती राशि के बदले में 316.75 करोड़ रुपये, पीएमजीवाई (ग्रामीण सड़कों को छोड़कर) के लिए 192.17 करोड़ रुपये, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण सड़कों) के लिए 20 करोड़ रु., गंदी बस्ती विकास हेतु 7.25 करोड़ रु., एआईवी पी के लिए 50 करोड़ रु., सड़कों व पुलों के लिए 29.73 करोड़ रु., वीएडीपी के लिए 34.85 करोड़ रु., विशेष योजना सहायता के लिए 300 करोड़ रु., पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए 10 करोड़

रु. तथा डल झील के लिए 15.00 करोड़ रु. शामिल हैं। इसमें औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए 10.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, कारगिल के विकास के लिए 6.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, लेह डिग्री कॉलेज के लिए 5.00 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, लेह एवं कारगिल जिलों के लिए सौर ऊर्जा कार्यक्रम हेतु 2.30 करोड़ रु. की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी शामिल है। इसमें अबद्ध योजना सहायता के लिए 50.00 करोड़ रु. तथा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण सड़कें) के लिए पिछले वर्ष में आबंटन में से बकाया 60.00 करोड़ रु. भी शामिल हैं।

केन्द्र की संसाधन स्थिति और अन्य राज्यों की तत्काल मांगों को पूरा करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य को अधिकतम संभव वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

यू. आर. सी. कर्मचारी

431. श्री जयप्रकाश : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मुख्यालय उत्तर प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न यूनिटों द्वारा चलाई जा रही कैंटीनों में कार्य कर रहे अनेक असैनिकों से स्टाम्प पेपर पर नए करार बंध पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि बरेली, लखनऊ, बुलंदशहर, मेरठ, शाहजहांपुर, कानपुर, इलाहबाद में कार्यरत सभी यू. आर. सी. कर्मचारियों की सेवाएं उन्हें कारण बताए बिना समाप्त कर दी गई थीं;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2001 को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यू.आर.सी. कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीनों के कर्मचारियों को नियत अवधि के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों के साथ संविदात्मक समझौता बंध–पत्रों का मौजूदा नियमों के अनुसार नवीकरण किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, समुचित कानूनी कार्रवाई के अतिरिक्त यूनिटों द्वारा संचालित कैंटीन कर्मचारियों की सेवा–शर्तों को तैयार किया जा रहा है।

कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

432. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों/पंजीकृत सोसाइटियों/धर्मार्थ संस्थाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) कैंसर नियंत्रण के लिए कौन–कौन सी विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/पंजीकृत सोसाइटियों/धर्मार्थ संस्थाओं को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ख) और (ग) ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्रीय कैंसर केन्द्रों को दी गई वित्तीय सहायता

1998-99 लाख रुपये में

1	2	3
1.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	330.00
2.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	82.50
3.	इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल (एआईआई एमएस), नई दिल्ली	770.00
4.	आचार्य हरिहर रेस. एंड ट्रीटमेंट सोसाइटी, कटक	81.20

1	2	3
5.	एम.एन.जे. इन्स्टीट्यूट आफ ऑकोलॉजी, हैदराबाद	82.50
6.	कैंसर हास्पिटल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	67.50
7.	कमला नेहरू स्मारक हास्पिटल, इलाहाबाद	82.50
8.	किदवई मैमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ ऑकोलोजी, बंगलौर	82.50
9.	गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद	78.30
10.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर, तिरूवनन्तपुरम	81.65
11.	आरएसटी कैंसर हास्पिटल, नागपुर	75.00
1999-2000		लाख रुपये में
1.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	313.00
2.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	75.00
3.	इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल (एआईआई एमएस), नई दिल्ली	470.00
4.	आचार्य हरिहर रेस. एंड ट्रीटमेंट सोसाइटी, कटक	75.00
5.	कैंसर हास्पिटल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	75.00
6.	कमला नेहरू स्मारक हास्पिटल, इलाहाबाद	75.00
7.	किदवई मैमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ ऑकोलोजी, बंगलौर	75.00
8.	गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद	75.00
9.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर, तिरूवनन्तपुरम	75.00
10.	आईजीआईएमएस, पटना	75.00
11.	आरएसटी कैंसर हास्पिटल, नागपुर	75.00
12.	आचार्य तुलसी रिजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर	75.00
13.	आर सी सी सोसाइटी, हिमाचल प्रदेश	73.00

1	2	3
2000-2001		लाख रुपये में
1.	चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता	300.00
2.	कैंसर अनुसंधान संस्थान, चैन्नई	75.00
3.	इन्स्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पिटल (एआईआई एमएस), नई दिल्ली	415.00
4.	आचार्य हरिहर रेस. एंड ट्रीटमेंट सोसाइटी, कटक	75.00
5.	कैंसर हास्पिटल अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर	75.00
6.	कमला नेहरू स्मारक हास्पिटल, इलाहाबाद	75.00
7	आईजीआईएमएस, पटना	75.00
8.	आरएसटी कैंसर हास्पिटल, नागपुर	75.00
9.	आचार्य तुलसी रिजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, बीकानेर	75.00
10.	इन्दिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	75.00
11	किदवई मैमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ ऑकोलोजी, बंगलौर	75.00
12.	गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद	75.00
13.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर, तिरूवनन्तपुरम	75.00

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत अर्बुद विज्ञान विंगों के विकास के लिए वित्तीय सहायता

1998-99		लाख रुपये में
1.	शेर–ए–कश्मीर, इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सोरा, श्रीनगर	150.00
2.	चिकित्सा कालेज पर्यारम, केरल	150.00
3.	डा. एस.एन. मेडिकल कालेज एवं ए.जी. हास्पिटल, जोधपुर, राजस्थान	150.00
4.	राजिन्दर मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, पटियाला, पंजाब	49.00

1	2	3
5.	नीलरत्न सरकार मेडिकल कालेज हास्पिटल, कोलकाता	130.00
6.	एस.पी. मेडिकल कालेज एवं ए.जी. हास्पिटल, बीकानेर, राजस्थान	150.00
1999-2000		लाख रुपये में
1.	सिलचर मेडिकल कालेज, असम	3.24
2.	राजेन्द्र मेडिकल कालेज, पटियाला, पंजाब	21.00
3.	शेर–ए–कश्मीर इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, सोरा, श्रीनगर	36.00
4.	गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल, काकीनाड़ा, आ. प्र.	200.00
5.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोट्टायम, केरल	200.00
6.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिचूर, केरल	180.00
7.	किंग जार्ज हास्पिटल, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश	200.00
8.	गवर्नमेंट राजाजी हास्पिटल, मदुरई	119.00
2000-2001		लाख रुपये में
1.	मेडिकल कालेज, मैसूर	200.00
2.	बंगलौर मेडिकल कालेज एंड विक्टोरिया हास्पिटल, बंगलौर	200.00
3.	एस.जी. कैंसर हास्पिटल एंड एमजीएम मेडिकल कालेज, इन्दौर	150.00
4.	कामा एंड अल्बलेस हास्पिटल, मुंबई	150.00
5.	नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कालेज, जबलपुर, मध्य प्रदेश	120.00
6.	गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल, मध्य प्रदेश	50.00

स्वास्थ्य शिक्षा एवं कैंसर का पता लगाने संबंधी कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को दी गई सहायता का ब्यौरा

1998-99	लाख रुपये में
शून्य	

1	2	3
1999-2000		लाख रुपये में
1.	सरपास हेल्थ एजूकेशन एंड डिक्टेशन एक्टिविटीज, हैदराबाद	3.50
2.	कछार कैंसर हास्पिटल सोसाइटी, सिलचर	3.00
3.	मलनकारा आर्थोडाक्सीरियन चर्च मेडिकल मिशन हास्पिटल, कोलनेचेरी, केरल	3.50
4.	सर्वजन कल्याण समिति, इलाहाबाद	3.50
2000-2001		लाख रुपये में
1.	इंडियन कैंसर सोसाइटी, नई दिल्ली	3.50
2.	कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद, हेल्थ मेलों के लिए	1.00
3.	सर्वजन कल्याण समिति, काटघर, इलाहाबाद	1.50
4.	पाइलट प्रोजेक्ट आन मेडिफाई डिस्ट्रिक्ट टू कैंसर इन्स्टीट्यूट, चैन्नई	4.00
5.	कमला नेहरू मेमोरियल हास्पिटल, इलाहाबाद फार पाइलट प्रोजेक्ट	8.00
6.	सोसाइटी फार मेंटल हेल्थ केयर, आनन्द निकेतन, बर्दवान, प. बंगाल	0.51
7.	पाइलट प्रोजेक्ट आन मोडिफाई डिस्ट्रीक्ट टू चित्तरंजन नेशनल कैंरार इन्स्टीट्यूट, कोलकाता	10.70

कोबाल्ट थेरोपी एकक की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता

1998-99	लाख रुपये में
1. कैंसर रिलीफ सोसाइटी, कोचीन, केरल (स्तनचित्र)	20.00
2. अवेयर जनरल हास्पिटल इन्स्टीट्यूट आफ आकोलोजी, कैंसर रिसर्च एंड ट्रस्ट, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	100.00
3. श्रीमती एन.बी.टी. रामा राव मेमोरियल कैंसर फाउण्डेशन एंड रिसर्च सेंटर, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	100.00

1	2	3
4.	श्री गुरू राम दास चैरिटेबल हास्पिटल ट्रस्ट, अमृतसर, पंजाब	100.00

1999-2000	लाख रुपये में
1.	कैंसर हास्पिटल एंड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	95.00
2.	गुजरात कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद	100.00
3.	कमला नेहरू स्मारक हास्पिटल, इलाहाबाद	82.00
4.	आरएसटी कैंसर हास्पिटल, नागपुर	100.00
5.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, पटियाला (मैमोग्राफी)	30.00
6.	कैंसर हास्पिटल, अगरतला, त्रिपुरा (मैमोग्राफी)	30.00
7.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर, तिरूवनन्तपुरम	100.00
8.	किदवई मेमोरियल इन्स्टीट्यूट आफ ऑकोलॉजी, बंगलौर	100.00

2000-2001	लाख रुपये में
1.	नामको चैरिटेबल ट्रस्ट, पंचवटी	100.00
2.	डा. एस.एस. यादव भगवान चैरिटेबल इन्स्टी–ट्यूट आफ कैंसर, रिवाड़ी, हरियाणा	100.00
3.	कैंसर इन्स्टीट्यूट, चैन्नई	20.00
4.	चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कोलकाता	150.00
5.	सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली (मैमोग्राफी)	25.00
6.	इन्स्टीट्यूट आफ आबस्टेट्रिक एंड गाइनेकोलॉजी गवर्नमेंट हास्पिटल, तमिलनाडु	150.00
7.	गवर्नमेंट रायापेट हास्पिटल, चैन्नई	150.00
8.	सफदरजंग हास्पिटल, नई दिल्ली (कोबाल्ट यूनिट)	300.00
9.	भिवानी गवर्नमेंट हास्पिटल, हरियाणा	150.00
10.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर, तिरूवनन्तपुरम (संशोधित जिला परियोजना)	7.50
11.	चित्तरंजन नेशनल कैंसर इन्स्टीट्यूट, कोलकाता (संशोधित जिला परियोजना)	7.50

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत वर्षवार चलाई गई जिला परियोजनाएं

1998-99	लाख रुपये में
1	वैशाली, बिहार	15.00
2.	पटना, बिहार	15.00

1999-2000	लाख रुपये में
1.	राजस्थान में 10 जिला परियोजनाएं 15 लाख रुपये प्रत्येक जिले के लिए बूंदी, बारन, सीकर, डूंगरपुर, गंगानगर, चुरू, बाड़मेर, बांसवाड़ा, जालौर और नागौर	150.00
2.	ईस्ट इम्फाल, मणिपुर	150.00
3.	चूराचन्दौर, मणिपुर	15.00

2000-2001	लाख रुपये में
1.	पूर्वी जिला, सिक्किम	15.00
2.	दक्षिण जिला, सिक्किम	15.00

विवरण-II

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न योजनाएं हैं जिनके लिए राज्य सरकारों/संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। ये योजनाएं इस प्रकार हैं :

अर्बुदविज्ञान विंग का विकास

यह योजना देश में कैंसर का पता लगाने और उपचार करने में भौगोलिक अंतरों को दूर करने के लिए केवल राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए उपलब्ध है। यह पाया गया है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी राज्यों में व्यापक भौगोलिक अंतर है। इस योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध उपकरणों की खरीद के लिए किसी संस्थान को 2.00 करोड़ रुपये तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। संबंधित राज्य सरकार/संगठन स्टाफ सहित बुनियादी ढांचा प्रदान करेगी। यह एक–बारी का अनुदान है।

कोबाल्ट थिरेपी एकक की स्थापना

सरकारी संस्थाओं में कोबाल्ट थिरेपी एकक की स्थापना के लिए राज्य सरकार को 1.50 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस एकक को लगाने के लिए विशेष भवन भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई द्वारा निर्धारित किए गए विनिर्देशों से अपने स्वयं के धन में से निर्मित किया जाना है। कोबाल्ट थिरेपी एकक के लिए कोई सहायता जारी करने से पहले विशेष भवन तैयार होना चाहिए। यह एक–बारी का अनुदान है।

राज्य सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर गैर सरकारी संगठनों को कोबाल्ट थिरेपी एकक के लिए 1.00 करोड़ रुपये की धनराशि भी प्रदान की जाती है। यह एक–बारी का अनुदान है।

मेमोग्राफी एकक के लिए सहायता

इस योजना के अंतर्गत कोबाल्ट थिरेपी एकक की स्थापना के लिए मेमोग्राफी उपकरण को भी शामिल किया गया है। कैंसर के रोगियों के उपचार की सुविधाओं वाले उन संस्थाओं/संगठनों जिनके पास सुसज्जित विकिरण चिकित्सा विभाग है, को 30.00 लाख रुपये तक की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा सकती है। यह भी एक–बारी का अनुदान है।

स्वैच्छिक संगठन योजना

यह योजना राज्य सरकार की विशिष्ट संस्तुतियों पर स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर का शुरू में ही पता लगाने संबंधी कार्यकलाप शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के लिए है। उस संगठन को अवश्य ही इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वे पिछले 3 वर्षों से कैंसर नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों में लगे हुए हैं।

गैर–सरकारी संगठनों के लिए योजनाओं पर सामान्य वित्तीय नियम 148 से 151 के उपबंध लागू हैं। गैर–सरकारी संगठनों को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और वे धर्मार्थ संगठन हों। सामान्य वित्तीय नियम 148 के अनुसार उस संस्था के पास अवश्य ही कानूनी हैसियत होनी चाहिए। अतः वह संस्था अवश्य ही संगत अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होनी चाहिए और उसके पास पंजीकरण प्रमाण–पत्र होना चाहिए। इस मंत्रालय को सहायता अनुदान के लिए उनके आवेदन–पत्र अपेक्षित करने से पहले इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सहायतानुदान की जरूरतमंद संस्थाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार आवेदन–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा जिसके साथ पंजीकरण प्रमाण–पत्र सहित संस्था के अंतर्नियम, उपनियम, लेखों का अंकेक्षित विवरण, आय और व्यय का स्रोत और पैटर्न तथा पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्टें लगी हुई होनी चाहिए।

जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

वर्ष 1990–91 के दौरान राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कैंसर का पता लगाने और दर्द राहत उपायों के लिए जिला परियोजना (अवधि–5 वर्ष) के लिए एक योजना शुरू की गई। इस योजना में परियोजनावधि के शेष चार वर्षों के लिए प्रत्येक जिले के लिए 10.00 लाख रुपये प्रति वर्ष के प्रावधान के साथ इस योजना के अंतर्गत चयन किए गए प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार/संघ क्षेत्र प्रशासन को 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5 वर्षों के पश्चात् राज्य सरकार उस परियोजना का अधिग्रहण करेगी। दो समितियां, एक राज्य स्तर पर और दूसरी जिला स्तर पर गठित की जाएंगी। राज्य सरकार इस संबंध में प्रशासनिक आदेश जारी कर सकती है।

प्रत्येक योजना जहां पहले सहायतानुदान जारी किया गया था, का समुपयोजन प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों/संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना है कि कृपया प्रत्येक मामले में संगत परीक्षित लेखे विवरण की प्रतियों सहित समुपयोजन प्रमाण–पत्र तत्काल संदर्भ के लिए संलग्न किए जाएं।

वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

433. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम के संबंध में 2001–2002 के लिए वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कुल परिव्यय कितना है और इसके अंतर्गत आर्थिक विकास, कृषि और औद्योगिक विकास के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, विद्युत और पर्यावरण एवं वन सहित सामाजिक और आर्थिक ढांचे के लिए कितना आबंटन करने का विचार है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) वर्ष 2001–02 की असम की वार्षिक योजना को योजना आयोग के उपाध्यक्ष और असम के मुख्य मंत्री के बीच 22.6.2001 को हुई बैठक में अंतिम रूप दे दिया गया है। कुल परिव्यय 1710 करोड़ रु. निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार से प्रस्तावित क्षेत्रकीय परिव्यय प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। इन प्रस्तावों के राज्य सरकार से प्राप्त हो जाने के बाद इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

हज यात्री

434. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष हज यात्रियों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस कार्य हेतु वर्तमान धनराशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो कब तक; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) व्यय की गई राशि का विवरण इस प्रकार है :

वर्ष	हज यात्रियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि
1999	93,51,77,000 रु. (अनन्तिम)
2000	119,86,82,000 रु. (अनन्तिम)
2001	134,36,83,000 रु. (अनन्तिम)

(ख) से (घ) हज 2001 के लिए वास्तविक अनुमानित लागत प्रत्येक वर्ष की जाने वाली नियमित रूप से होने वाली बोली प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात ही ज्ञात होगी। इसीलिए, इस स्तर पर निधियों में वृद्धि करने के बारे में कहना असामयिक होगा।

अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग

435. श्री राजो सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को बिहार सरकार से राज्य में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य आयोग का गठन करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि से लंबित है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत और क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य सरकार से बिहार राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करने के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त किया गया है। तथापि, बिहार राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना पहले ही की जा चुकी है।

[अनुवाद]

ठोस कचरे का निपटान

436. श्री हरीभाऊ शंकर महाले : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में कितना कचरा निपटान हेतु पड़ा है;

(ख) क्या यह कचरा पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और विभिन्न आयुध निर्माणियों में उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ मात्रा में ठोस कचरा निकलता है जो पर्यावरण तथा स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। यह ठोस कचरा सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से निबटाया जाता है जिससे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए कोई खतरा पैदा नहीं होता है। कुछ विस्फोटकों को नियंत्रित स्थितियों में जलाया जाता है ताकि उसको जलाते समय किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा न हो। अन्य रक्षा स्थापनाओं में ठोस कचरे को इकट्ठा नहीं होने दिया जाता है। जब कभी इस प्रकार का कचरा निकलता है तो उसे निपटाने की नियमित प्रक्रिया है। कचरे का निपटान करते समय उसकी विभिन्न सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

रक्षा विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

437. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या रक्षा मंत्री 14.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4023 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वांछित सूचना एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) इस संबंध में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

नोनिया जाति को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करना

438. श्री बाल कृष्ण चौहान : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने नोनिया जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में सम्मिलित करने हेतु कोई सिफारिश केन्द्र सरकार के पास भेजी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमोदित रूप रेखाओं के अनुसार प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है तथा इसे भारत के महापंजीयक की टिप्पणियों के आलोक में और ब्यौरे भेजने के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है।

[अनुवाद]

युद्ध में विकलांग हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

439. श्री राजैया मल्याला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में युद्ध में विकलांग हुए व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं से प्रतिवर्ष कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) युद्ध में निशक्त हुए ऐसे व्यक्ति, जो केन्द्रीय सरकार के विभागों में सिविल नौकरियों के लिए उपयुक्त हैं, वे समूह "ग" और "घ" के पदों पर प्राथमिकता–I के आधार पर रोजगार प्राप्त करने के पात्र हैं, जिनके लिए भर्ती रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से की जाती है। वे, छोटे/लघु उद्योग तथा छोटे पैमाने के सेवा उद्यम स्थापित करने, कृषि एवं तत्संबंधी क्रिया–कलाप शुरू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में खादी व ग्रामोद्योग स्थापित करने के लिए स्व–रोजगार योजनाओं के अंतर्गत उदारीकृत शर्तों पर ऋण–सहायता का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, क्वीन मेरी तकनीकी संस्थान, पुणे जो एक निजी धर्मार्थ संस्था है, भूतपूर्व निशक्त सैनिकों के पुनर्स्थापन को सुकर बनाने के लिए आई.टी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त व्यासायिक ट्रेड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करती है। इसके अतिरिक्त, पेराप्लेजिक और टेट्राप्लेजिक भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्स्थापन के लिए खड़की एवं मोहाली स्थित पेराप्लेजिक होम चलाए जा रहे हैं। निशक्त सैनिकों को कृत्रिम अंग केन्द्रों द्वारा कृत्रिम अंग भी मुहैया कराए जाते हैं।

आर्थिक लाभ : युद्ध अथवा युद्ध जैसी संक्रियाओं में निशक्त हुए सशस्त्र सेना कार्मिकों, को यदि उनकी निशक्तता की मात्रा 100 प्रतिशत है, अंतिम आहरित गणनीय परिलब्धियों की दर से युद्ध घायल पेंशन दी जाती है और यदि निशक्तता की मात्रा 100 प्रतिशत से कम हो तो यह उसी अनुपात में घटा दी जाती है। अशक्तता के आधार पर सेवामुक्त किए गए निशक्त अफसरों/जूनियर कमीशन–प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों को उनकी निशक्तता की मात्रा के आधार पर अफसरों के मामले में 80,000/– रुपये से लेकर 4 लाख रुपये तक और जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों के मामले में 37,600/– रुपये से लेकर 1,87,500 रुपये की बीमा राशि हेतु सेना सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाता है।

कारगिल संक्रिया में घायल होने के कारण चिकित्सा बोर्ड द्वारा सेवामुक्त किए गए सशक्त सेना कार्मिकों को, आवश्यक प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं पूरी करने पर, उनके घायल होने की मात्रा के आधार पर, राष्ट्रीय रक्षा कोष से 3 से 6 लाख रुपये तक का अनुग्रह अनुदान प्रदान किया गया है। उन्हें रिहायशी यूनिट

हासिल करने अथवा मौजूदा रिहायशी यूनिटों में संवर्धन/परिवर्तन/जीर्णोद्धार करने के लिए इस कोष से 5 लाख रुपये भी दिए गए हैं।

युद्ध में निशक्त हुए ऐसे कार्मिक जो विभिन्न स्कीमों से लाभान्वित हुए हैं की संख्या संबंधी सूचना की केन्द्रीय रूप से मॉनीटरी नहीं की जाती।

विशेष आर्थिक पैकेज

440. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विकास हेतु उसे एक विशेष आर्थिक पैकेज देने और उसके ऋण माफ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या उड़ीसा पर बकाया ऋणों को माफ करने हेतु उड़ीसा सरकार और उस राज्य के संसद सदस्यों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार तथा अन्यों ने राज्य में वित्तीय संकट से उबरने के उपायों हेतु अनुरोध करते हुए हाल ही में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है।

(घ) इससे पहले भी ऋण माफ करने संबंधी ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं, उड़ीसा सरकार को फरवरी, 2001 में तथा पुनः मई, 2001 में सूचित कर दिया था कि भारत सरकार 11वें वित्त आयोग (ईएफसी) की सिफारिशों के द्वारा निर्देशित होती है, जिसने राज्यों की ऋण स्थिति की समीक्षा की थी। तदनुसार, राज्यों की पुनर्भुगतान देयता को केन्द्र से राज्यों को हस्तांतरित करके इसकी सिफारिशों में ले लिया गया है तथा कोई भी चयनात्मक पुनरारंभ ईएफसी स्कीम के संगत नहीं होगा।

अधिक्रमण

441. श्री संतोष मोहन देव : क्या **प्रधान मंत्री** 14.03.2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2488 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडलीय नियुक्ति संबंधी समिति के अनुसार ये आदेश/दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं कि केन्द्रीय सेवाओं में निदेशक के स्तर तक के उन अधिकारियों की पदोन्नति में उनका अधिक्रमण न किया जाए जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब के क्या कारण हैं और ये आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त आदेश आई.ए.एस. और केन्द्रीय सचिवालय की सेवाओं में उप सचिव के पद से निदेशक के पद पर पदोन्नति के समय भी लागू होंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) पदोन्नतियां नियंत्रित किए जाने के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्वांतों में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति–समिति (ए.सी.सी.) के इन निदेशों के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किया जाना अपेक्षित है कि केन्द्रीय सेवाओं के उन अधिकारियों की पदोन्नति के मामलों में कोई अधिक्रमण नहीं हो जो पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाएं। इस क्रम में, संवैधानिक अपेक्षा के अनुसार, उपर्युक्त प्रस्तावित संशोधनों के बारे में संघ–लोक–सेवा–आयोग की सलाह मांगी गई है।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और केन्द्रीय सचिवालय–सेवा के मामले में उप सचिव के स्तर से निदेशक के पद पर पदोन्नति, पहले से ही, पदोन्नति हेतु उपुयक्त समझे गए सभी अधिकारियों की आपसी वरिष्ठता बनाए रखे जाने के सिद्धांत पर आधारित है, जो कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति–समिति के उपर्युक्त निदेशों के अनुरूप है।

सियाचिन से सैनिकों को वापस बुलाना

442. श्री अनन्त नायक :
श्री एन. एन. कृष्णदास :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत और पाकिस्तान सरकार ने सियाचिन और कारगिल से सैनिकों को वापस बुलाने हेतु कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का निर्माण

443. श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री सी.सी.एच.एस. औषधालयों के निर्माण के बारे में 6.12.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2606 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिलशाद गार्डन में सी.जी.एच.एस. औषधालय (संख्या 87) के लिए डी.डी.ए. से प्राप्त प्लाट पर भवन का निर्माण करने हेतु पूर्व–निर्धारित समय–सीमा वाली निश्चित लक्ष्य तिथि निर्धारित की है जिससे भारी किराया देने से बचा जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) दिलशाद गार्डन में औषधालय भवन के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से पहले 1,32,89,500/–रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि निर्माण लागत को सीमित करने का निर्णय लिया गया था जिससे यह 1 करोड़ रुपये से अधिक न बढ़े, इसलिए केन्द्रीय डिजाइन ब्यूरो, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय से नए नक्शे तैयार करने को कहा गया, जिन्हें अब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित आरंभिक अनुमानों के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।

दिलशाद गार्डन में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना भवन के निर्माण के लिए कोई निश्चित समय–सीमा देना संभव नहीं है क्योंकि यह आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताओं, बजट प्रावधानों की उपलब्धता आदि पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए धन का आबंटन

444. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार ने आज तक छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को आबंटित निधियां इस प्रकार हैं :

1. ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में कार्यरत 185 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों के रख–रखाव के लिए 2001–2002 में 1381/– लाख रुपये,

2. प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल निर्माण के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2000–2001 के दौरान 314.10 लाख रुपये,

3. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2000–2001 में प्राथमिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 471 लाख रुपये,

4. प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के लिए वर्ष 2001–2002 में 3517 लाख रुपये की राशि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के छह घटकों के लिए नियत की गई है जिनमें प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या (जिसका कम से कम 10 प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आबंटित होगा) भी शामिल है।

[अनुवाद]

सांविधिक विकास बोर्डों का अध्ययन

445. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में वर्तमान तीन सांविधिक बोर्डों का मूल्यांकन–अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन पूरा हो गया है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले और इसमें क्या–क्या सिफारिशें की गईं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपुर्यक्त (ख) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को लाल किले का क्षेत्र सौंपना

446. श्री एस. डी. एन. आर. वाडियार : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लाल किले का कुल कितना क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है;

(ख) क्या सेना का विचार लाल किले का कुछ क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) लाल किला, दिल्ली में लागभग 80 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है। सेना का उनके कब्जे वाले परकोटे एवं दीवार से लगे भीतर की ओर बने हुए मकानों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपने का प्रस्ताव है। संबंधित सैन्य प्राधिकारी इसकी कार्य–योजनाएं तैयार कर रहे हैं। लाल किले के पास सेना के नियंत्रणाधीन 8 दुकानों पर से अनधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने के पश्चात् इन्हें भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंपे जाने का प्रस्ताव है।

दत्तक गृह

447. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री वाई. एस. विवेकानन्द रेड्डी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के दत्तक गृह में भारी अनियमितताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने देश के विभिन्न भागों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा चलाई जा रही ऐसी एजेंसियों को उजागर करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले पर राज्य सरकार से चर्चा की गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु कोई ठोस कार्य योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश से अनियमितताओं के बारे में रिपोर्टों के प्राप्त होने पर, केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को दत्तक ग्रहण के क्षेत्र में अवैध कार्यकलापों में लगे हुए संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। हमारे अधिकारियों ने आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल का दौरा किया और राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श किया।

(ग) और (घ) सभी राज्य सरकारों से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

1. सभी आवासीय गृहों का लाइसेंसीकरण करना और राज्य दत्तक एकक की स्थापना करना।
2. अनाथालयों तथा एजेंसियों का सयुंक्त निरीक्षण किया जाना चाहिए।
3. अनाथालय तथा अन्य धर्मार्थ गृह अधिनियम, 1960 का प्रवर्तन।
4. आंध्र प्रदेश में हाल की घटनाओं को उद्धृत करते हुए दत्तक कार्यकलापों की मॉनीटरिंग।

इसके अतिरिक्त, इस संबंध में संबंधित एजेंसियों तथा संगठनों को अपने कार्यकलापों को सुचारु बनाने तथा सरकारी दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

जर्मनी के साथ प्रत्यर्पण संधि

448. डा. अशोक पटेल :
श्री पदमसेन चौधरी :

श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ने हाल ही में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त संधि के किस तारीख से प्रभावी होने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) भारत और जर्मनी के बीच 27 जून, 2001 को बर्लिन में एक प्रत्यर्पण संधि हुई थी। इस संधि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) कोई व्यक्ति जिस पर अनुरोधकर्त्ता राज्य में किसी प्रत्यर्पणीय अपराध का आरोप है अथवा दोषी है और वह अनुरोध प्राप्त कर्त्ता राज्य में पाया जाता है तो उसे अनुरोध कर्त्ता राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए।

(ii) कोई ऐसा अपराध, जिसमें एक वर्ष या उससे अधिक की कैद या स्वतंत्रता का वंचन है, तो उसे प्रत्यर्पणीय अपराध माना जाएगा।

(iii) राजनैतिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संधि में ऐसे अपराधों की एक सूची होगी जिन्हें राजनैतिक किस्म का अपराध नहीं माना जाए।

(iv) संविदाकारी राज्य अपने राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित करने के लिए बाध्य नहीं है, और उन्हें किए गए अपराधों के संबंध में अनुरोध प्राप्त कर्त्ता राज्य द्वारा अभियोजित किए जाएं।

(ग) यह संधि अनुसमर्थन दस्तावेजों के आदान–प्रदान के 30 दिन पश्चात लागू होगी।

[अनुवाद]

प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994

449. श्री शिवाजी माने : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रसवपूर्व नैदानिक अधिनियम, 1994 में कुछ संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। 2001 के विधेयक संख्या XXVIII जिसका शीर्षक "प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2001" 7 मार्च, 2001 को राज्य सभा में पहले ही लाया जा चुका है। इस विधेयक में एक उपबंध शामिल किए जाने की व्यवस्था है जिसके द्वारा केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड की तीन महिला सदस्यों के कार्यकाल को बाद में उनकी एक मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा उप मंत्री अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, लोक सभा अथवा उपाध्यक्ष, राज्य सभा के रूप में हुई नियुक्ति से समाप्त हुआ समझा जाएगा।

इस क्षेत्र में निकलने वाली नई प्रौद्योगिकी को देखते हुए तथा प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम, 1994 को और अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए इस समय केन्द्रीय पर्यवेक्षी बोर्ड संशोधनों के एक अन्य सेट की जांच कर रहा है।

लोकपाल विधेयक

450. श्री बिक्रम केशरी देव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हाल ही में संसद में लोकपाल विधेयक लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विधेयक के कब तक लाए जाने और लागू हो जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लोक–सभा के वर्तमान मानसून–सत्र में लोकपाल विधेयक, 2001 प्रस्तुत किए जाने की सूचना सरकार ने 29.06.2001 को पहले ही दे दी है।

भारत-नेपाल संयुक्त कार्यदल की बैठकें

451. डा. रमेश चंद तोमर :
श्री राम मोहन गाड्डे :

श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :

श्रीमती श्यामा सिंह :

श्री शिवाजी माने :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत–नेपाल संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो पिछली तीन बैठकों और हाल में हुई बैठक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सभी चारों बैठकों का क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) सीमा प्रबंधन से संबद्ध भारत–नेपाल संयुक्त कार्य दल की चौथी बैठक 28 और 29 जून, 2001 को नई दिल्ली में संपन्न हुई।

भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार ने किया और नेपाल के शिष्टमंडल का नेतृत्व नेपाल की शाही सरकार के गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री टिका दत्ता निरूला ने किया।

इस तथा इससे पहले की बैठकों में दोनों पक्षों ने अपना–अपना यह निश्चय दोहराया कि वे एक दूसरे के विरुद्ध निदेशित गतिविधियों के लिए अपने–अपने प्रदेशों के प्रयोग की अनुमति नहीं देंगे। उन्होंने भारत–नेपाल सीमा के प्रभावी प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर भी उपयोगी विचारों का आदान–प्रदान किया। वे सीमा पर आतंकवादी, आपराधिक तथा अन्य अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने में सहयोग बढ़ाने तथा इन क्षेत्रों में आसूचना की भागीदारी पर सहमत हुए।

चौथी बैठक के दौरान दोनों पक्षों के बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए भारत तथा नेपाल की इंटरपोल यूनिटों की नियमित बैठकें आयोजित करने पर दोनों पक्ष सहमत हुए। इस बैठक में आपराधिक तथा सिविल मामलों में सहयोग के लिए कानूनी रूपरेखा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ स्तर की चर्चाएं शुरू करने और प्रत्यर्पण प्रबंधों की समीक्षा करने पर भी सहमति हुई।

दोनों पक्ष सीमावर्ती चौकियों पर अवसंरचनात्मक सुविधाओं में सुधार लाने के क्रियाविधिक पहलुओं को शीघ्र करने पर भी सहमत हुए। काठमांडू स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा प्रबंधों में सुधार लाने के बारे में प्रशंसा करते हुए बैठक में आप्रवासन सुविधाओं के शीघ्र कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

गृह सचिव स्तर की बातचीत शीघ्र शुरू करने पर भी सहमति हुई।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण

452. श्रीमती कांति सिंह :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के तहत सन् 2007 तक देश में सभी ग्रामों में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु कोई कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना पर अनुमानतः कितना व्यय होने की संभावना है और सरकार का विचार दीर्घकालीन आधार पर इस परियोजना को किस ढंग से पूरा करने का है;

(ग) क्या यह सच है कि संसद सदस्य स्थानीय विकास निधि के कुछ भाग को इस कार्यक्रम में उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) वित्त मंत्री ने वर्ष 2001–02 के अपने बजट भाषण में बचे हुए अधिकांश गांवों का विद्युतीकरण अगले छः वर्षों में पूरा करने हेतु पहल करने के पैकेज की घोषणा की है। इसमें शामिल हैं :

- पीएमजीवाई के अंतर्गत जिसके निधिकरण में वृद्धि की जा रही है, ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए राज्यों को सहायता का विस्तार।
- दलित बस्तियों, अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के घरों के विद्युतीकरण में तेजी लाने हेतु राज्य बिजली बोर्डों (एसईबी) को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से क्रेडिट सहायता में वृद्धि।
- ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लिए आरआईडीएफ से कम–से–कम 750 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित करना।

— आयकर अधिनियम की धारा 54 ईसी के अंतर्गत नाबार्ड और एनएचएआई के साथ पूंजी लाभ कर छूट बांड जारी करने की अनुमति देते हुए आरईसी के संसाधनों में तेजी लाना।

विद्युत मंत्री ने सभी संसद सदस्यों से लिखकर अनुरोध किया है कि वे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीएलएडीएस) के अंतर्गत उपलब्ध राशि की निधि का पर्याप्त हिस्सा अपने–अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कवर न किए गए गांवों के विद्युतीकरण हेतु निर्धारित करें।

[हिन्दी]

विकलांग व्यक्तियों हेतु केन्द्र

453. श्री निखिल कुमार चौधरी :

श्री दानवे रावसाहेब पाटील :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) बिहार और महाराष्ट्र में विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा इन केन्द्रों को कितना अनुदान दिया गया है;

(ग) क्या सरकार को कुछ केन्द्रों के प्रबंधन के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) बिहार और महाराष्ट्र राज्यों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को प्रोत्साहन देने की योजना और जिला पुनर्वास केन्द्र योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले संगठनों के नाम दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण । और ॥ में दिया गया है। महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में प्रत्येक में चार जिला निःशक्तता पुनर्वास केन्द्रों के लिए वार्षिक व्यय लगभग 14.00 लाख रुपये है।

(ग) और (घ) भाग (क) के उत्तर में सूचीबद्ध संगठनों के प्रबंधन के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा निम्नलिखित है : (1) श्री जम्बूवंत महाराज शिक्षण संस्था, औरंगाबाद (2) भारतीय औषधि अनुसंधान संस्था, भंडारा (3) एनएएसइओएच, मुबंई। राष्ट्रीय संस्थान द्वारा निरीक्षण के दौरान संगठन के कार्यकरण के संबंध में कतिपय कमियां सूचित कर दी गई हैं। इन संगठनों को इस बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं कि आगे का अनुदान क्यों नहीं रोक दिया जाए और संगठनों को काली सूची में डाला जाए।

विवरण-I

वर्ष 1998–99, 1999–2000, 2000–2001 के लिए जिला पुनर्वास केन्द्रों की योजना के अंतर्गत जिला पुनर्वास केन्द्रों और निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र में सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों की सूची

जिला	संगठन का नाम	1998–99	1999–00	2000–01
1	2	3	4	5
अमरावती	ग्रामीण पुनर्वासन आश्रम शाला	0	58500	0
	अपंग जीवन विकास संस्था	1537050	1826640	2476620
औरंगाबाद	श्री जम्बूवंत महाराज शिक्षण संस्था	0	46890	0
भांदरा	भारतीय औषधि अनुसंधान संस्था	0	33210	0
मुंबई	हेलेन केलर इन्स्टीट्यूट फार डीफ एंड डीफ ब्लाइंड	0	1482869	677531
	इंडियन एसोसिएशन फार दि विज्यूली हैंडीकैप्ड	0	0	658156

1	2	3	4	5
	किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल	709854	0	0
	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड (मुंबई)	1705661	2123369	2034132
	नेशनल फेडरेशन फार दि ब्लाइंड (मुंबई)	102672	336907	0
	पेरेन्ट्स टीचर्स एसोसिएशन	0	0	102960
	सोसायटी फार दि एजूकेशन आफ दि क्रिपल्ड	443013	506860	0
	सोसायटी फार दि रिहैब्लीटेशन आफ क्रिपल्ड चिल्ड्रन	0	463057	0
	सोसायटी फार दि वोकेशनल रिहैब्लीटेशन आफ दि	121432	68312	0
	दि एनएसडी इंडस्ट्रीयल होम फार दि ब्लाइंड	0	42768	0
	दि रिसर्च सोसायटी फार दि केयर, ट्रीटमेंट एंड	2036292	2163199	1122102
	ट्रेनिंग आफ चिल्डर्न इन नीड आफ स्पेशल केयर			
	वल्लभदास डागरा इंडियन सोसायटी फार मेंटली रि.	105840	473544	134129
	विजय मर्चेंट रिहैब्लीटेशन सेंटर फार दि डिसेब्लड	199714	591129	193991
	मुबई कुष्ठ परियोजना	0	375441	274869
	इंडियन कैंसर सोसायटी	148824	221807	0
	जानकीबाई शिक्षण संस्थान	0	230364	63495
	एनएएसईओएच	0	127361	0
गादचिरोली	भाग्यशाली बहुद्देशीय कल्याणकारी संस्था (बोरी)	1268604	3080160	2075220
	स्वामी विवेकानन्द ध्यान प्रसारक मंडल	1564020	2871090	1772917
लातूर	श्रीगणेश शिक्षण प्रसारण मंडल	0	0	35104
नांदेड़	श्री शाहिर अन्नाभाउ साठे शिक्षण प्रसारक मंडल	0	0	92430
	अपंग एसोसिएशन	207900	0	0
पुणे	एडीएआरसीएच	0	638559	0
	क्विन मेरी इंस्टीट्यूट फार डिसैब्लड सोलजर्स (क्यूएमटीआई)	0	2200000	0
	अयोध्या चेरीटेबल ट्रस्ट	85797	689760	106357
	पुणे जिला कुष्ठ समिति	2315931	4056341	492026
	सांवली	156720	200000	68951

1	2	3	4	5
	सहरूर मंडल	151929	0	
	श्री ट्रस्ट	176914	1463998	141224
विरार जिला पुनर्वास	डीआरसी, विरार	2200000	2381000	270000
केन्द्र योजना	आरआरटीसी, मुंबई	1700000	1249000	130000

विवरण-II

वर्ष 1998–99, 1999–2000, 2000–01 के लिए निःशक्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले बिहार के गैर सरकारी संगठनों की सूची

जिला	संगठन का नाम	1998–99	1999–00	2000–01
भागलपुर	गिरिजा शंकर दृष्टि विहीन बालिका विद्यालय	333644	300000	0
मुंगेर	बाबा वैद्यनाथ बालिका मूक बधिर विद्यालय	368663	300000	775950
मुजफ्फरपुर	शुबम	0	96375	0
नालन्दा	प्राकृतिक आरोग्याश्रम	606141	263440	400000
पटना	आशादीप, रिहैब्लीटेशन सेंटर फार दि हैंडीकैप्ड	137700	0	0
	आयुर्वेदिक एंड मैग्नोटोथैरेपी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एएमआरआई)	0	66330	861179
	बिहार इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग रिसर्च सेंटर	114903	751657	889455
	आरा बधिर एवं मूक स्कूल	0	40000	0
	भारतीय विकलांग संघ	137646	544638	1227307
	बिहार पुनर्वास एवं कल्याण संस्थान	1265750	1791333	7652330
	जे.एम. इंस्टीट्यूट आफ स्पीच एंड हियरिंग	346429	0	0
	भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान	735768	500000	1598440
सहरसा	कोशी क्षेत्रीय विकलांग, विधवा, वृद्ध कल्याण समिति	1029860	1114578	2113545

[अनुवाद]

काली सूची में दर्ज आपूर्तिकर्त्ता

454. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार में अनेक आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है/उन्हें काली सूची में दर्ज किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीकरण समाप्त किए जाने/उन्हें काली सूची में दर्ज करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार के किसी कर्मचारी/अधिकारी को इन आपूर्तिकर्त्ताओं का पंजीकरण समाप्त करने/इन्हें काली सूची में दर्ज करने के लिए दोषी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) इस बारे में विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	फर्म का नाम	विपंजीकृत किए जाने/वर्ज्य–सूची में डाल दिए जाने के कारण
1.	मै. अमर ट्रेडिंग एजेंसी	रेखाचित्र–सामग्री की आपूर्ति के संबंध में बाजार में प्रचालित दर से अधिक दर लगाने के कारण।
2.	मैं. रिलाएंस मार्किटिंग	कम्प्यूटर की आपूर्ति के संबंध में बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर लगाने के कारण।
3.	मै. इमेज मैट्रिक्स	लॉगीटैक माउस की आपूर्ति के संबंध में बाजार दर से अधिक दर लगाने के कारण।
4.	मै. पाइनिअर एंटरप्राइज़िज	गॉदरेज मल्टी ट्रैक रिबन के संबंध में बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर लगाने के कारण।
5.	मै. शैली एंटरप्राइज़िज	डीलर/आपूर्तिकर्त्ता के, पंजीकृत पते पर नहीं मिलने के कारण।
6.	मै. हरि एंटरप्राइज़िज	केन्द्रीय भंडार की ओर से एम.टी.एन.एल. को सीधे ही डस्टर का अनुमोदित नहीं किया गया नमूना पेश कर दिए जाने के कारण।
7.	मै. राज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर	फोटोकॉपियर–पेपर की आपूर्ति के संबंध में बाजार में प्रचलित दर से अधिक दर लगाने के कारण।
8.	मै. सूर्या एंटरप्राइज़िज	पहले सुपर बाजार द्वारा विपंजीकृत एक सह–फर्म होने के नाते, केन्द्रीय भंडार द्वारा उक्त फर्म को वि–पंजीकृत कर दिया जाना आवश्यक था।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण कार्यक्रम

455. श्रीमती जस कौर मीणा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवाओं के विस्तार हेतु राज्य–वार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) इन सेवाओं पर प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विशेषकर बी.आई.एम.ए.आर. यू. राज्यों में महिला और कन्या शिशुओं में मृत्यु–दर रोकने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को प्रदान किए गए सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) राज्य सरकारें विभिन्न स्तरों पर बुनियादी ढांचे के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पैटर्न के अनुसार खर्च करती हैं। सहायता शुरू में वेतन आदि के लिए आकलित आवश्यकता के आधार पर दी जाती है और अंतिम निपटान राज्य के महालेखाकारों द्वारा दिए गए खातों के अंकेक्षित विवरणों के आधार पर किया जाता है। चूंकि अनुदान उपयोग आवश्यकताओं

के आधार पर दिया जाता है, इसलिए सामान्यतः राज्य सरकारों के पास अतिरिक्त राशि नहीं बचती।

(ग) से (ङ) वर्ष 1997 में आरंभ किए गए प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मातृ एवं बाल स्वास्थ्य में सुधार लाने और शिशु, बाल और मातृ रुग्णता और मृत्यु में कमी लाने के कार्यकलाप सभी राज्यों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। लड़कियों पर विशेषरूप से बल देने के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है। तथापि, राज्यों में, जिनमें बी आई एम ए आर यू राज्य भी शामिल हैं, रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम, दाइयों को प्रशिक्षण और कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं में सुधार लाने के लिए शिविर लगाने जैसी स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता अनुदान (नगद और सामग्री), बकाया राशि सहित

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1998–99			1999–2000			2000–2001		
		नगद	सामग्री	कुल	नगद	सामग्री	कुल	नगद	सामग्री	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	आंध्र प्रदेश	11652.79	2961.41	14614.20	16609.39	3023.31	19632.70	17363.99	3458.96	20822.95
2	अरुणाचल प्रदेश	144.06	75.75	219.81	231.20	103.35	334.55	256.18	130.72	386.90
3	असम	3260.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.68	8492.91	6466.42	1817.62	8284.04
4	बिहार	8792.62	4025.28	12817.90	28435.89	4868.39	33304.28	13087.72	5957.71	19045.43
5	गोवा	184.83	58.94	243.77	243.44	82.50	325.94	269.68	125.61	395.29
6	गुजरात	10503.85	2108.13	12611.98	14612.87	2600.21	17213.08	7201.05	3335.35	10536.40
7	हरियाणा	2746.01	906.66	3652.67	3388.16	1019.59	4407.75	3878.80	1420.10	5298.90
8	हिमाचल प्रदेश	1973.97	399.57	2373.54	2069.01	338.33	2407.34	2778.77	470.20	3248.97
9	जम्मू व कश्मीर	1600.73	455.77	2056.50	1803.97	458.21	2261.85	1913.98	539.43	2453.41
10	कर्नाटक	7681.02	2111.95	9792.97	16978.35	2107.70	19086.05	13002.34	2640.17	15642.51
11	केरल	4190.43	1313.51	5503.94	5487.87	1376.24	6864.11	5478.14	1575.88	7054.02
12	मध्य प्रदेश	8566.08	4587.46	13153.54	11373.95	4988.02	16361.97	10820.86	5477.07	16297.93
13	महाराष्ट्र	11164.04	3872.20	15036.24	11971.24	3924.85	15896.09	13758.03	4423.30	18181.33
14	मणिपुर	622.26	108.80	731.06	907.39	147.96	1055.35	978.87	118.94	1097.81
15	मेघालय	328.75	140.78	469.53	598.21	152.50	750.71	641.79	139.93	781.72
16	मिजोरम	239.11	68.77	307.88	368.47	75.80	444.27	456.13	70.32	526.45
17	नागालैंड	247.96	9031	338.27	402.78	97.73	500.51	457.72	90.13	547.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	उड़ीसा	4710.89	1773.73	6484.62	6053.65	1765.56	7819.21	6742.32	1630.78	8373.12
19	पंजाब	2558.65	1125.51	3684.16	2941.14	1246.95	4188.09	3122.93	1284.46	4407.39
20	राजस्थान	8492.29	2688.55	11180.84	14307.20	3238.37	17545.57	14506.55	4039.05	18545.60
21	सिक्किम	307.72	41.68	349.40	416.73	68.33	485.06	653.55	38.73	692.28
22	तमिलनाडु	9197.30	2582.39	11779.69	21270.03	1833.16	23103.19	21195.98	1708.95	22904.93
23	त्रिपुरा	1781.61	193.98	1975.59	823.48	177.00	1000.48	1683.73	211.06	1894.79
24	उत्तर प्रदेश	42482.52	8773.56	51256.08	26295.63	10356.72	36652.35	22669.33	11338.42	34007.75
25	पश्चिम बंगाल	11122.85	3172.95	14295.80	9003.46	2944.78	11948.24	10813.82	3140.17	13953.89
	कुल (राज्य)	154552.79	44814.99	199367.78	203664.41	48417.24	252081.65	180198.70	55182.95	235381.66
	विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र									
1	पांडिचेरी	137.85	54.55	192.40	148.13	38.19	186.32	432.42	41.17	473.59
2	दिल्ली	1012.59	473.35	1485.94	2092.19	698.88	2791.07	1147.21	686.84	1834.05
	बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र									
1	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	104.60	19.00	123.60	158.60	28.19	186.79	208.40	22.21	230.61
2	दा. एवं न. हवेली	59.31	9.98	69.29	67.55	10.43	77.98	64.70	12.15	76.85
3	चंडीगढ़	131.38	57.72	189.05	180.30	55.44	235.74	199.55	52.16	251.71
4	लक्षद्वीप	30.05	5.01	35.06	31.10	6.87	37.97	40.00	5.80	46.70
5	दमन और दीव	43.50	8.55	52.05	71.00	11.07	82.07	90.00	5.54	95.54
	कुल (संघ राज्य)	1519.23	628.16	2147.87	2748.87	849.07	3597.94	2193.18	825.87	3009.05
	कुल योग	156072.02	45443.15	201515.17	206413.28	49266.31	255679.59	182381.88	56008.83	238390.71

[अनुवाद]

पायलटों की कमी

456. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
डॉ. रमेश चंद तोमर :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 जून, 2001 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में शॉरटेज ऑफ पायलट्स क्रिपिल्स एयर फोर्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पायलटों की कमी का वायु सेना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ग) सरकार द्वारा प्रशिक्षित पायलटों की कमी को पूरा करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) कथित समाचार सरकार की जानकारी में है। यद्यपि, भारतीय वायु सेना में समग्र रूप से पायलटों की कमी है तथापि योधी यूनिटों में कुछ आंतरिक समायोजन करके लगभग शतप्रतिशत कार्मिक तैनात किए जा रहे हैं।

प्रतिभाशाली युवकों को भारतीय वायुसेना में आकर्षित करने के लिए लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इस ओर रुचि जागृत करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के दौरे भी नियमित रूप से किए जाते हैं। कैरियर संबंधी जानकारी देने के वास्ते इंटरनेट पर एक वेबसाइट भी मौजूद है।

भारत-अमेरिका संयुक्त कार्य दल की बैठक

457. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री शिवाजी माने :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि·

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में भारत–अमेरिका संयुक्त कार्य दल की तीसरे दौर की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में सीमापार के आतंकवाद और तालिबान के संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) आतंकवाद के विरुद्ध भारत–अमरीका संयुक्त कार्यकारी दल की तीसरी बैठक 25–26 जून, 2001 को वाशिंगटन डीसी में हुई।

(ख) दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और मादक द्रव्यों के अवैध व्यापार के बढ़ते हुए खतरों के प्रति चिंता व्यक्त की। दोनों ने साफ शब्दों में आतंकवाद से संबद्ध सभी कृत्यों को आपराधिक और अनुचित ठहराया, चाहे वह कहीं भी किसी के द्वारा भी किया गया हो और उसे उचित ठहराने के लिए चाहे जो भी कारण दिया गया हो। भारतीय पक्ष ने, अमरीका द्वारा आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण सहायता कार्यक्रम के क्षेत्र को गुणात्मक रूप से उन्नत तथा व्यापक बनाने और भारत में आतंकवाद विरोधी संस्थागत ढांचे को मजबूत करने में अपने अनुभव और दक्षता में हिस्सेदारी देने की पेशकश के निर्णय का स्वागत किया। इस वर्ष के अंत में रासायनिक, जैवकीय, विकिरणीय तथा नाभिकीय आतंकवादी धमकियों का मुकाबला करने से संबद्ध एक संगोष्ठी करने की अमरीका की पेशकश को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए सूचनाओं के आदान–प्रदान को व्यापक बनाने तथा दृष्टिकोण तथा कार्रवाई में तालमेल को सुदृढ़ बनाने का निश्चय किया। इसके अतिरिक्त, पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध भारत द्वारा प्रस्तावित व्यापक अभिसमय पर चल रही चर्चा पर विचार–विमर्श जारी रखा और उसे शीघ्र पूरा करने के लिए अपना समर्थन दोहराया।

(ग) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत थे कि तालिबान की नीतियां आतंकवाद को निरंतर बढ़ावा दे रही हैं तथा दोनों देशों के हितों के साथ ही क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के लिए खतरा हैं। उन्होंने आतंकवाद को समर्थन देने ओसामा बिन लादेन को शरण देने और अफगानिस्तान में चल रहे आतंकवाद के प्रशिक्षण कैंपों को बंद करने में असमर्थ होने पर तालिबान पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए सुरक्षा परिषद संकल्प 1267 और 1333 के प्रति अपना समर्थन दोहराया। वे उपयुक्त मॉनीटरिंग तंत्र के माध्यम से इन संकल्पों के प्रभावी क्रियान्वयन को अत्यंत महत्व देने पर सहमत हुए।

[हिन्दी]

क्योटो संधि

458. श्री मोहन रावले : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है और यह मांग की है कि इसे क्योटो संधि के दायरे में लाया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) 11 जून, 2001 को वाशिंगटन में दिए गए अपने एक भाषण में अमरीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि हमारा देश, संयुक्त राज्य मानवनिर्मित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का विश्व का सबसे बड़ा देश है।.....चीन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जक देश है। अभी चीन को क्योटो प्रोटोकोल की अपेक्षाओं से पूर्णतया छूट दे दी गई थी। भारत और जर्मनी

शीर्षस्थ उत्सर्जक देशों में से हैं। भारत को भी क्योटो से छूट दी गई थी।

(ख) भारत जलवायु परिवर्तन से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की रूपरेखा के अंतर्गत दायित्वों का निर्वाह कर रहा है। न तो अभिसमय में और न ही क्योटो प्रोटोकोल ने कोई विधिक प्रतिबंध लगाए हैं अथवा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी के लिए विकासशील देशों को लक्ष्य बनाया है। हमारी स्थिति से अमरीकी अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है।

[अनुवाद]

गोला बारूद भंडारण प्रणाली संबंधी विशेषज्ञ दल

459. श्री अधीर चौधरी :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकसित यूरोपीय देशों में गोला बारूद भंडारण प्रणाली का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड और जर्मनी में विशेष दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तत्संबंधी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं तथा इन्हें कार्यान्वित कर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ङ) :

विवरण

वर्ष 1986 में अधिकारियों के एक दल ने यूरोप के कई देशों का दौरा किया ताकि गोला बारूद डिपुओं के आधुनिकीकरण पर अध्ययन और गोला बारूद के लिए किफायती भंडार गृहों का निर्माण करवाया जा सके। इस दल ने अन्य बातों के साथ–साथ कुछ गोला बारूद डिपुओं में परीक्षण के आधार पर 'इग्लू' नमूने के गोला बारूद भंडार गृहों के निर्माण की सिफारिश की। जांच करने पर यह पता चला था कि इन स्थानों की मृदा–सहन–क्षमता 'इग्लू' नमूने के भंडार गृहों के निर्माण के वास्ते उपयुक्त नहीं थी और 'इग्लू' प्रकार के भंडार गृहों के निर्माण की आरंभिक लागत परंपरागत भंडार गृहों की निर्माण–लागत से अधिक थी। तथापि, इनकी मियाद अधिक होने की वजह से 'इग्लू' प्रकार के भंडार गृह दीर्घकाल हेतु किफायती माने गए थे। अतएव संक्रियात्मक आवश्यकताओं, जमीन की उपलब्धता और उपयुक्तता तथा लागत औचित्यता को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 'इग्लू' और परंपरागत दोनों ही प्रकार के भंडार–गृहों का निर्माण करवाने का निर्णय लिया।

गोला बारूद के भंडारण के वास्ते वैकल्पिक प्रकार के भवन का निर्माण करने के लिए सेना मुख्यालय द्वारा एक अन्य अध्ययन करवाया गया था। इस अध्ययन की सिफारिशें कार्यान्वयन के वास्ते स्वीकार कर ली गई हैं। अध्ययन में दिए गए मानदंडों के अनुसार गोला बारूद भंडारण हेतु भवन के वास्ते सभी नवीन जरूरतों का हिसाब लगाया जा रहा है।

[हिन्दी]

गरीबी हटाने हेतु नोडल एजेंसी का बनाया जाना

460. राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति ने गरीबी उपशमन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय नोडल एजेन्सी के गठन की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो नोडल एजेंसी के तहत लाई जाने वाली गरीबी उपशमन संबंधी प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं। योजना आयोग ने योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में ऐसी किसी भी उच्चाधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति का गठन नहीं किया है, जिसने गरीबी उपशमन के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु एक केन्द्रीय नोडल एजेंसी के गठन की सिफारिश की हो।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी हेतु निधियां

461. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में फिलहाल राज्य–वार और स्थान–वार कौन–कौन सी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना से सृजित आय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन–वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य–वार कुल कितनी निधि आबंटित और वितरित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) नामक स्वायत्त संस्था की स्थापना वर्ष 1991 में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एसटीपीआई योजना का कार्यान्वयन करने के उद्देश्य से की गई थी। एसटीपीआई ने भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से देश के विभिन्न स्थानों में अब तक बीस एसटीपीआई केन्द्र स्थापित किए हैं। विस्तृत सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है। एसटीपीआई निकट भविष्ट में भारत सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से संलग्न विवरण–II में दी गई सूची के अनुसार स्थानों में कुछ और एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की योजना बना रही है।

सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न योजनागत कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2001–2002 का कुल आबंटन 425 करोड़ रु. है जिसमें अनुसंधान एवं विकास के लिए 76.42 करोड़ रु., मूलसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 130.45 करोड़ रु., मानव संसाधन विकास के लिए 18.97 करोड़ रु. तथा राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र के लिए 175.05 करोड़ रु. शामिल हैं। अनुसंधान एवं विकास के कार्यक्रमों सहित सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के लिए वर्ष 2001–2002 के आबंटन के विस्तृत विवरण संलग्न विवरण–III में दिए गए हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 277.9 करोड़ रु. के परिव्यय की दो सौ सत्रह प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं को सहायता प्रदान की गई, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, मंत्रालय का योगदान 192.6 करोड़ रु. था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समर्थित प्रौद्योगिकी विकास की परियोजनाओं की संख्या के राज्य–वार ब्यौरे संलग्न विवरण–IV में दिए गए हैं।

(ग) वर्ष 2000–2001 के दौरान निर्यात में सॉफ्टवेयर केन्द्रों का योगदान 20,051 करोड़ रु. था, जो राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 70 प्रतिशत है। प्रत्येक केन्द्र के निर्यात के ब्यौरे संलग्न विवरण–V में दिए गए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एसटीपीआई को वितरित कुल धनराशि संलग्न विवरण–VI में दी गई है।

विवरण-I

अब तक एसटीपीआई ने पूरे भारत में 19 अंतर्राष्ट्रीय गेटवे सहित 20 केन्द्रों की स्थापना की है

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
5.	चेन्नई	तमिलनाडु
6.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
7.	गांधीनगर	गुजरात
8.	गुवाहाटी	असम
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	इंदौर	मध्यप्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	मोहाली	पंजाब
13.	मैसूर	कर्नाटक

1	2	3
14.	मणिपाल	कर्नाटक
15.	नवी मुंबई	महाराष्ट्र
16.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
17.	पुणे	महाराष्ट्र
18.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
19.	तिरूवनन्तपुरम	केरल
20.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश

विवरण-II

प्रस्तावित नए एसटीपीआई केन्द्र

क्र.सं.	केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	नागपुर	महाराष्ट्र
2.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
3.	मंगलौर	कर्नाटक
4.	हुबली	कर्नाटक
5	त्रिची	तमिलनाडु
6.	मदुरै	तमिलनाडु
7	सलेम	तमिलनाडु
8.	तिरुनेलवेली	तमिलनाडु
9.	राउरकेला	उड़ीसा
10.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
11.	विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश
12.	वारंगल	आंध्र प्रदेश
13.	तिरुपति	आंध्र प्रदेश
14.	गंगटोक	सिक्किम
15.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
16.	अगरतला	त्रिपुरा
17.	देहरादून	उत्तरांचल
18.	गुड़गांव	हरियाणा

विवरण-III

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय–वार्षिक योजना 2001–02

(करोड़ रुपये)

योजना की संख्या/नाम	वार्षिक योजना (2001–02)					
	परिव्यय	आईआर	ईबीआर	सकल	अति.बज. सहा.	शुद्ध बज. सहा.
1	2	3	4	5	6	7
I. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम						
400 समीर	30.11	1.73	16.38	12.00		12.00
500 औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिकी संवर्धन कार्यक्रम	6.25		3.00	3.25		3.25
600 सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिकी विकास कार्यक्रम–एनएमसी	3.00			3.00		3.00
700 प्रौद्योगिकी विकास परिषद	5.00			5.00		5.00

1		2	3	4	5	6	7
800	सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी उपस्करों का विकास	3.00			3.00		3.00
1201	ईएमडीसी	3.50			3.50		3.50
1202	सी–मेट	2.50	1.00		1.50		1.50
2200	सी–डैक	13.00	3.00		10.00		10.00
2400	फोटॉनिकी/प्रकाश इलेक्ट्रॉनिकी	3.00			3.00		3.00
2700	ईआरडीसी	28.49	13.35	7.14	8.00		8.00
2800	स्वास्थ्य तथा जैव प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी	5.00			5.00		5.00
3200	भारतीय भाषाओं के लिए प्रौद्योगिकी विकास	6.00			6.00		6.00
3300	राष्ट्रीय एचवीडीसी	0.10			0.10		0.10
3400	बौद्धिक विनिर्माण प्रणाली का विकास	0.40		0.20	0.20		0.20
3600	पूंजीगत वस्तु उद्योग का विकास	2.00		1.00	1.00		1.00
3800	परिवहन तथा विद्युत वितरण कार्यक्रम	6.50		4.00	2.50		2.50
6400	तरल क्रिस्टल अनुसंधान केन्द्र	1.70			1.70		1.70
6500	विद्युत इलेक्ट्रॉनिकी	2.67		18.67	2.00		2.00
6600	आईपीआर संवर्धन कार्यक्रम	0.40			0.40		0.40
6700	इलेक्ट्रॉनिकी में पर्यावरण प्रबंध	0.17			0.17	0.10	0.7
7200	विशेष सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाएं	3.00			3.00		3.00
7210	जनता के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	2.00			2.00		2.00
7230	एशिया में मीडिया प्रयोगशाला	0.10			0.10		0.10
	अनुसंधान एवं विकास उप–योग	145.89	19.08	50.39	76.42	0.10	76.32
II. विकसित मूल संरचनात्मक सुविधाओं का विकास							
1700	अर्नेट	5.00			5.00		5.00
1000	एसटीक्यूसी	27.00			27.00	2.00	25.00
1600	सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन (एसईपीपी)	6.00			6.00		6.00
1610	सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई)	8.00			8.00		8.00
7000	राष्ट्रीय सूचना मूल संरचना	5.00			5.00		5.00

1		2	3	4	5	6	7
7010	सूचना प्रौद्योगिकी उद्यम पूंजी	1.00			1.00		1.00
7020	सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविध योजनाएं	0.40			0.40		0.40
7030	इलेक्ट्रॉनिक शासन	9.00		4.00	5.00		5.00
7050	सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम/प्रमाणन	5.00			5.00		5.00
7100	उच्च प्रौद्योगिकी पूंजी निवेश पार्क	0.05			0.05		0.05
7300	सेमीकंडक्टर लेआउट डिजाइन अधिनियम–2000	1.00			1.00		1.00
7400	सामुदायिक सूचना केन्द्र	67.00			67.00		67.00
	मूल संरचना उप–योग	134.45	0.00	4.00	130.45	2.00	128.45
III. मानव संसाधन विकास							
2903	सीईडीटी	8.00	4.00		4.00		4.00
1500	एनसीएसटी	6.30	3.70		2.60		2.60
2907	दीर्घकालिक सहायता योजना–इम्पैक्ट	1.37			1.37		1.37
2910	सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए जनशक्ति विकास	6.00			6.00		6.00
2920	एसिक डिजाइन के लिए विशेष जनशक्ति	2.00			2.00		2.00
2840	अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े क्षेत्रों के लिए रोजगार सृजन	3.00			3.00		3.00
	एचआरडी उप–योग	26.67	7.70		18.97		18.97
IV. ग्रामीण विकास							
2300	ग्रामीण क्षेत्र के लिए ईआई+ज्ञान पर आधारित उद्यम	12.94		8.94	4.00		4.00
V. विविध		**0.00**			**0.00**		
4000	मुख्यालय (सचिवालय भवन)	10.00			10.00		10.00
5500	इलेक्ट्रॉनिकी में प्रौद्योगिकी सूचना तथा पूर्वानुमान	0.50			0.50		0.50
6800	इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग सूचना कार्यक्रम	0.25			0.25		0.25
6810	औद्योगिक व्यापार एवं नीति प्रणाली	0.10			0.10		0.10
6820	इलेक्ट्रॉनिकी वाणिज्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा	4.50			4.50		4.50

1		2	3	4	5	6	7
6830	नीति निर्माण एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आर्थिक विश्लेषण	0.60			0.60		0.60
	विविध योग	15.95	0.00	0.00	15.95	0.00	15.95
	उपयोग (I से V)	335.90	26.78	63.33	245.79	2.10	243.69
VI. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम							
100	ईटी एण्ड टी लि.	0.10			0.10		0.10
200	सेमीकंडक्टर कॉम्पलेक्स लि.	0.60			0.60		0.60
300	सीएमसी लि.	16.00	0.80	15.20	0.00		
	पीएसयू उप–योग	16.16	0.80	15.20	0.16		0.16
	योग	352.06	27.58	78.53	245.95	2.10	243.85
VII. एनआईसी		175.05			175.05	3.05	172.0
VIII. ईएससी		7.95	3.95		4.00		4.00
	कुल योग	535.06	31.53	78.53	425.00	5.15	419.85

विवरण-IV

अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के विकास से सबंधित कार्यकलाप नौवीं योजना (राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं की संख्या
1	2
आंध्र प्रदेश	17
असम	01
अरुणाचल प्रदेश	01
बिहार	03
चंडीगढ़	05
दिल्ली	34
गोवा	–
गुजरात	06
हरियाणा	04
हिमाचल प्रदेश	–
जम्मू व कश्मीर	–
कर्नाटक	13
केरल	21
महाराष्ट्र	36
मणिपुर	01
मध्य प्रदेश	02
मिजोरम	–
मेघालय	–
उड़ीसा	03
पंजाब	03

1	2
पांडिचेरी	01
राजस्थान	10
सिक्किम	03
तमिलनाडु	14
पश्चिम बंगाल	17
उत्तर प्रदेश	25

टिप्पणी : उपर्युक्त सूचना में कुछ ऐसी परियोजनाओं की सूचना शामिल है जिनमें अनुसंधान एवं विकास संबंधी कार्यकलाप एक से अधिक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में किए जाते हैं।

विवरण-V

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	राज्य	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4
1.	बंगलौर	कर्नाटक	7,475.00
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	200.00
3.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल	250.00
4	चेन्नई	तमिलनाडु	2,956.00
5.	गांधीनगर	गुजरात	102.00
6.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1,990.00
7.	जयपुर	राजस्थान	30.00
8	मोहाली	पंजाब	40.00
9.	नवी मुबंई	नवी मुंबई	1,610.00
10.	नोएडा	उ.प्र., म.प्र., हरियाणा, दिल्ली	4,350.00
10.	पुणे		960.00
11.	तिरुवनन्तपुरम		88.00
	योग		20,051.00

विवरण-VI

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एसटीपीआई को वितरित राज्यवार तथा वर्ष वार सहायता अनुदान के ब्यौरे

(लाख रु. में)

वर्ष	महाराष्ट्र	तमिलनाडु	कर्नाटक	उड़ीसा	आंध्र प्रदेश	जम्मू एवं कश्मीर	असम	मध्य प्रदेश	सिक्किम	कुल योग
98–99		50.00	50.00		50.00		100.00		100.00	350.00
99–00			50.00				100.00			150.00
2000–01	100.00		50.00			50.00		50.00		250.00
कुल योग	100.00	50.00	150.00	–	50.00	50.00,	200.00	50.00	100.00	750.00

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

462. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकार जिलाधिकारियों द्वारा स्वीकृत की गई राशियों के आधार पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के उल्लंघन के बावजूद निधियां स्वीकृत करती जा रही है और वास्तविक उपयोग पर ध्यान नहीं दे रही जिसके कारण काफी बड़ी राशियां उपयोग में नहीं लाई जा रहीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना के आरंभ से अब तक केवल 64.2 प्रतिशत राशि का ही उपयोग किया गया है,

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत जिलाध्यक्षों को सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों की स्थापित क्रिया विधियों का अनुपालन करते हुए करना होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इनका कार्यान्वयन निधियों की कमी के कारण प्रभावित न हो, यह निर्णय लिया गया है कि, योजना के अंतर्गत, निधियां स्वीकृत कार्य की लागत के आधार पर अवमोचित की जाएंगी। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अथवा राज्य सभा सांसद के पक्ष में अस्वीकृत शेष 50 लाख रुपये से कम होने पर 1 करोड़ रुपये की अगली किस्त जारी की जाती है।

(ग) से (ङ) योजना के लागू होने से अब तक अवमोचन की तुलना में उपयोग 70 प्रतिशत से कम हुआ है। सामान्यतया संबंधित जिलाध्यक्षों द्वारा निधियों की प्राप्ति के पश्चात ही स्वीकृतियां जारी की जाती हैं। इनका उपयोग इसके पश्चात होता है। इसलिए, निधियों के अवमोचन एवं उनके वास्तविक व्यय में काफी समय का कुछ राज्यों में सीमित कार्य–मौसम निर्वाचन के दौरान आदर्श आचार संहिता का लागू होना, योजना के अंतर्गत काफी संख्या में कार्यों का भार, प्रत्येक में लघु परिव्ययों का शामिल होना, जैसे कारक भी उपयोग के इस स्तर के लिए उत्तरदायी हैं। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना के अंतर्गत कार्यों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए जिलाध्यक्षों को समय–समय पर निर्देश जारी करता है।

एड्स पीड़ित

463. श्री संजय लाल :
श्री दलपत सिंह परस्ते :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने अपनी ताजा रिपोर्ट में भारत में एड्स के कारण 17,000 मौतों की बात कही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एड्स पीड़ितों को आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। भारत में दिसंबर, 2000 तक एड्स से होने वाली मौतों की बताई गई संख्या 1759 है। एड्स का कोई इलाज नहीं है, तथापि, सरकार दीर्घायु एवं जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकारी क्षेत्र के अस्पतालों में एड्स रोगियों के अवसरवादी संक्रमण हेतु निःशुल्क उपचार प्रदान कर रही है। भारत में एच आई वी/एड्स को फैलने से रोकने और इसको नियंत्रित करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में एक व्यापक कार्यक्रम इस समय देश–भर में चलाया जा रहा है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं :

- लक्षित आबादी की पहचान और संगी–साथियों (पीयर्स) को परामर्श प्रदान करके, कण्डोम को बढ़ावा, यौन संचारित संक्रमणों का उपचार करके उच्च जोखिम वाले समूहों में एचआईवी के फैलाव को कम करना।
- सूचना, शिक्षा और संचार और जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक परीक्षण और परामर्श की व्यवस्था, सुरक्षित रक्ताधान सेवाएं और व्यावसायिक एक्सपोजर के द्वारा आम जनता के लिए निवारक उपचार।
- अवसरवादी संक्रमणों, गृह और समुदाय आधारित परिचर्या के लिए एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों को वित्तीय सहायता करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और म्यूनिसिपल स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय वित्तीय वहनीयता (ससटेनेबिलिटी) सुदृढ़ करना।
- जनता, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।

विमान दुर्घटना

464. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :
श्री राजैया मल्याला :
श्री उत्तमराव पाटील :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

डॉ. नीतिश सेनगुप्ता :

श्री थावरचन्द गेहलोत :

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष श्रेणी–वार कितने युद्धक विमान, हैलीकॉप्टर और परिवहन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) इन विमानों और हैलीकॉटरों के निर्माताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन विमानों और हैलीकॉप्टरों के निर्माताओं के साथ इस मामले को उठाया है;

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इन दुर्घटनाओं में कितने मूल्य की सरकारी/निजी संपत्ति का नुकसान हुआ और कितने विमान चालकों की मृत्यु हुई और प्रत्येक को कितना–कितना मुआवजा दिया गया;

(च) इस संबंध में कराई गई प्रत्येक जांच का क्या निष्कर्ष निकला और उक्त अवधि के दौरान उस पर क्या कार्यवाई की गई; और

(छ) दुर्घटनाओं की इस असामान्य वृद्धि, विशेषतः मिग युद्धक विमानों की दुर्घटनाओं को रोकने और इन विमानों का उन्नयन और निर्माण देश में ही करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुए युद्धक विमानों, हैलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

युद्धक विमान

मिग–21	–	35
मिग–23	–	09
मिग–27	–	07
मिग–29	–	01
जगुआर	–	04
योग		**56**

हैलीकॉप्टर

चीता	–	04
एम आई–8	–	03
एम आई–17	–	02
एम आई–25	–	01
योग		**10**

परिवहन विमान

ए एन–32	–	02

(ख) ये युद्धक विमान रूस और ब्रिटेन से हैं। परिवहन विमान रूसी मूल के हैं और हैलीकॉप्टर रूसी तथा हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत के हैं।

(ग) और (घ) रूस, ब्रिटेन और अन्य देशों के मूल उपस्कर निर्माताओं से तकनीकी खामियों को दूर करने के वास्ते सहायता उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया गया है। गंभीर उड़ान सुरक्षा मुद्दों पर विचार–विमर्श के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से भी निरंतर संपर्क रखा जा रहा है। कई उपचारात्मक उपाय, विशेषकर हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विनिर्मित/ओवरहाल किए गए विमानों के संबंध में जांच/संशोधन कार्य, आरंभ किए गए हैं।

(ङ) नष्ट हुई सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति का मूल्य तथा सिविलियनों को वर्षवार भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। सेना नियमों के अनुसार इन दुर्घटनाओं में मारे गए 34 पायलटों के मामले में मुआवजा दिया गया था।

(च) और (छ) जांच अदालतों ने इन दुर्घटनाओं के लिए मानवीय चूक (चालक दल), पक्षी टकराने एवं तकनीकी खराबी को मुख्य कारण बताया है। जांच अदालत की सिफारिशों के आधार पर प्रत्येक जांच अदालत के बाद उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। कौशल स्तर को बेहतर बनाने, ठोस निर्णय लेने की योग्यता तथा परिस्थितिजन्य जागरूकता में सुधार संबंधी प्रशिक्षण गुणवत्ता बेहतर, बनाने संबंधी उपायों की अनवरत पुनरीक्षा करके उन्हें कार्यान्वित किया जाता है। सिम्युलेटरों तथा प्रशिक्षण विमान को हासिल करने के लिए नए सिरे से किया जा रहा प्रयास मशीन पर कार्यरत आदमी के कौशल को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही कुल 125 मिग–21 बिस रूपांतरण विमानों के उन्नयन की योजना बनाई

गई है। रूस में प्रशिक्षण के दौरान इनमें से दो विमानों को डिजाइन एवं विकास चरण के दौरान उन्नत किया गया है, जोकि हाल ही में पूरा हुआ है। शेष वायुयानों के हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, नासिक में उन्नयन की योजना है।

विवरण

वित्तीय वर्ष	वित्तीय हानि (करोड़ रु. में)	सिविलियनों को दिया गया मुआवजा (करोड़ रु. में)
1998–1999	197.12	20,89,725.00
1999–2000	375.69	10,61,765.00
2000–2001	104.89 (19 विमान संबंधी अदालतों को अंतिम रूप दिया गया है।)	4,05,720.00

[हिन्दी]

रिपोर्ट में की गई सिफारिशें

465. श्री अखिलेश यादव :
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि ·

(क) क्या मात्रात्मक प्रतिबंधों के हटाए जाने से लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु उद्यमों के विकास संबंधी अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाले गए हैं और क्या सिफारिशें की गई हैं और सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार देश में लघु उद्योगों सहित अर्थव्यवस्था पर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने और विश्व व्यापार संगठन समझौतों के प्रभाव का निरंतर अनुवीक्षण कर रही है। यद्यपि मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने से लघु उद्योगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, तथापि इस कदम के परिणामस्वरूप आयातों में कोई प्रवाह नहीं आया है। 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योगों के विकास के लिए एक व्यापक पॉलिसी पैकेज की घोषणा की गई। यह पॉलिसी पैकेज सरल क्रेडिट, 25 लाख रु. तक के कोलेट्रल युक्त मिश्रित ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए पूंजी सब्सिडी और सुधरी हुई आधारभूत संरचना के माध्यम से लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेगा।

(ग) जी, हां।

(घ) अध्ययन दल की मुख्य सिफारिशों में लघु उद्योगों हेतु तीन टायर परिभाषाएं, क्षेत्र हेतु एक व्यापक कानून जिसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, आरक्षण का जारी रहना, निवेश सीमा में चुनिंदा वृद्धि, आधारभूत संरचनागत और उद्भवन केन्द्रों हेतु सामग्री का सृजन एवं मिश्रित ऋणों की सीमा में वृद्धि के माध्यम से ऋणप्रवाह में सुधार, विभिन्न वित्तीय और राजकोषीय उपायों जैसे कि उत्पाद शुल्क छूट में वृद्धि और अन्य उपाय, प्रौद्योगिकी उन्नयन योजनाएं, विपणन आदि भी शामिल हैं। अध्ययन दल द्वारा की गई सिफारिशों में से कई 30 अगस्त, 2000 को लघु उद्योग क्षेत्र हेतु घोषित व्यापक नीति पैकेज के माध्यम से कार्यान्वित की गई हैं।

इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पार्क

466. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने संबंधी कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के किन–किन स्थानों पर इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए राज्य में इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की कोई योजना चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां। भारत सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमआईटी) ने एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत

विभिन्न राज्यों में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किए जाएंगे जहां आज तक कोई पार्क स्थापित नहीं किया गया है। सॉफ्टवेयर निर्यात की क्षमताओं और राज्य तथा केन्द्र सरकार की सहायता को ध्यान रखते हुए भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नामक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत स्वायत्त संस्था की इन राज्यों में चरणबद्ध रूप से नए एसटीपीआई केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के इन्दौर में सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क पहले ही स्थापित किया है। यह पार्क जनवरी, 2001 से कार्य कर रहा है।

विवरण

अब तक एसटीपीआई ने पूरे भारत में 19 अतर्राष्ट्रीय गेटवे सहित 20 केन्द्रों की स्थापना की है

क्र.सं.	एसटीपीआई केन्द्र	राज्य
1	2	3
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	भुवनेश्वर	उड़ीसा
3.	बंगलौर	कर्नाटक
4.	कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
5.	चेन्नै	तमिलनाडु
6.	कोयम्बटूर	तमिलनाडु
7	गांधीनगर	गुजरात
8.	गुवाहाटी	असम
9.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
10.	इंदौर	मध्य प्रदेश
11.	जयपुर	राजस्थान
12.	मोहाली	पंजाब
13.	मैसूर	कर्नाटक
14.	मणिपाल	कर्नाटक
15.	नवी मुबंई	महाराष्ट्र
16.	नोएडा	उत्तर प्रदेश
17.	पुणे	महाराष्ट्र
18.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
19.	तिरुवनन्तपुरम	केरल
20.	वाइजैग	आंध्र प्रदेश

वर्ष 2000–2001 के दौरान निम्नलिखित एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना के लिए अब तक केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है

क्र.सं.	स्थापना स्थल	राज्य
1.	गुवाहाटी	असम
2.	इंदौर	मध्य प्रदेश
3.	श्रीनगर	जम्मू तथा कश्मीर
4.	हुबली	कर्नाटक
5.	शिमला	हिमाचल प्रदेश
6.	पांडिचेरी	पांडिचेरी
7	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
8.	नागुपर	महाराष्ट्र

[अनुवाद]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

467. डा. डी. वी. जी. शंकरराव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत संसद सदस्यों द्वारा स्वीकृत किए गए कार्यों के पूरा होने में प्रक्रिया संबंधी खामियों के कारण अत्यधिक विलंब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना, पंचायती राज विभागों, लोक निर्माण विभागों, आदि का काम करने वाली एजेंसियों को नए अनुदेश जारी

करने का है ताकि संसद सदस्यों द्वारा उन्हें सौंपी गई योजनाओं का निर्धारित समय में कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यों के कार्यान्वयन की धीमी गति के संबंध में सांसदों से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) सरकार ने योजना के अंतर्गत प्रगति में तीव्रता लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जिलाध्यक्षों को सुझाव दिया गया है कि वे सांसदों द्वारा निधियों की उनकी वार्षिक पात्रता की सीमा के अंदर अनुशंसित कार्यों पर प्रक्रिया करने व स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की प्रकृति के आधार पर किसी कार्य को एक निश्चित समय–सीमा के अंदर पूरा करने हेतु कार्यकारी अभिकरणों के लिए एक समय–सीमा निर्धारित करें। सभी राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे सभी जिलाध्यक्षों को, सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों पर शीघ्र प्रक्रिया करने तथा प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति 45 दिनों के अंदर प्रदान करने और सर्वसंबंधित द्वारा प्रबोधन के प्रावधानों का दृढ़ता से पालन करने के संबंध में निर्देश जारी करें। राज्य मंत्री (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु राज्यों में बैठकें आहूत की जा रही हैं। पूर्व में ऐसी बैठकें बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गोवा और महाराष्ट्र में आयोजित की गई थीं।

[हिन्दी]

सिक्किम पर चीन का रुख

468. श्री भीम दाहाल :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने सिक्किम को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन ने हाल ही में अपनी सरकारी वेबसाइट पर सिक्किम को एशियाई राष्ट्रों की सूची में दर्शाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में राजनयिक स्तर पर क्या कार्यवाही की है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) चीन ने अभी सिक्किम को भारत के अंतरंग भाग के रूप में मान्यता नहीं दी है। चीन के सरकारी नक्शों में सिक्किम को भारत से बाहर एक अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया जाना जारी है।

(ग) और (घ) जी, हां। चीन के विदेश मंत्रालय की वेबसाइट बताती है कि "चीनी सरकार सिक्किम को अवैध रूप से मिलाने को मान्यता नहीं देती है।"

(ङ) हमने सिक्किम को नक्शे में गलत ढंग से दर्शाने से संबंधित मसला चीनी पक्ष के साथ उठाया है। हमने यह इंगित किया है कि सिक्किम जो कि भारत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता से संबंधित मसला है, के बारे में उनकी स्थिति भारत के साथ सद्भावना और मैत्री के उनके कथित उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है और न ही यह पंचशील के सिद्धांतों के अनुरूप है। इससे भारतीय जनता, संसद तथा सरकार के मस्तिष्क में भ्रम पैदा होता है तथा यह विश्वास उत्पन्न करने की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। हमने चीनी पक्ष को यह भी बता दिया है कि हम उनसे आशा करते हैं कि वे इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि सिक्किम भारत का अंतरंग भाग है। इससे दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण, सहयोगात्मक, अच्छे पड़ोसीनुमा तथा परस्पर लाभकारी संबंध बढ़ाने में मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

एड्स की किट

469. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई एड्स किटों को मान्यता प्रदान नहीं की है जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इनका अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 29.4.2001 तक इन्हें मान्यता प्रदान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय ने वर्ष 1999–2000 हेतु प्रदान की गई राशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो आबंटित राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई एड्स किटों का मूल्यांकन किया गया है और विनिर्माण एवं विपणन हेतु लाइसेंस जारी करके इनको समुचित मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) और (घ) जी, हां।

केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान केन्द्र

470. श्री सुरेश कुरुप : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य–वार कितने केन्द्रीय होम्यो अनुसंधान संस्थान काम कर रहे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्थान को प्रतिवर्ष कितनी निधियां आबंटित की गईं और प्रत्येक संस्थान ने प्रतिवर्ष कितनी निधियों का उपयोग किया;

(ग) क्या इन संस्थानों के विकास का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद की देश भर में 51 संस्थान/एकक हैं। तथापि, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी) सिर्फ एक है जो कोट्टायम, केरल में है।

(ख) कोट्टायम स्थित केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी) को पिछले 3 वर्षों के दौरान आबंटित और खर्च की गई निधियां इस प्रकार हैं :

वर्ष	आबंटित निधि	खर्च की गई निधि
1998–99	रु. 60.00 लाख	रु. 58.32 लाख
1999–2000	रु. 70.00 लाख	रु. 64.33 लाख
2000–2001	रु. 80.00 लाख	रु. 70.91 लाख

(ग) और (घ) केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी) में काफी संख्या में तकनीकी एवं गैर–तकनीकी स्टाफ है। संस्थान के लिए भवन–निर्माण हेतु उपयुक्त भूमि आबंटित करने के लिए केरल सरकार से संपर्क किया गया है।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ी जातियों में कुछ नई जातियों को शामिल करना

471. श्री राम टहल चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्गों में कतिपय जातियों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति में ऐसी जातियों का राज्य–वार और संघ क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम आदमी द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रमाण हासिल करने के लिए कोई दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आवेदन प्राप्त करने के बाद इस प्रकार का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियों/समुदायों के ब्यौरे अब तक जारी 18 राजपत्र अधिसूचनाओं में दिए गए हैं। पिछली अधिसूचना दिनांक 21.9.2000 को जारी की गई थी। अब तक जारी अधिसूचनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए हैं तथा अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रोफार्मा भी निर्धारित किया है। सक्षम प्राधिकारियों को आवेदक का पूर्ववृत सत्यापित करने के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र जारी करने की सलाह दी गई है। दिशा–निर्देशों में ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में जातियों/समुदायों को विनिर्दिष्ट करते हुए अब तक जारी राजपत्र अधिसूचनाएं/संकल्प

क्र.सं.	संकल्प की तारीख	राजपत्र अधिसूचना की तारीख	विषय
1	2	3	4
1.	10.09.1993	13.09.1993	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के संबंध में पिछड़े वर्गों का विनिर्देशन (सं. 12011/68/93–बीसीसी)
2.	19.10.1994	20.10.1994	उड़ीसा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और पांडिचेरी के संबंध में पिछड़े वर्गों का विनिर्देशन (सं. 12011/9/94–बीसीसी)
3.	15.05.1995	16.05.1995	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के संबंध में शुद्धि पत्र (सं. 12011/21/95–बीसीसी)
4.	24.05.1995	25.05.1995	जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, सिक्किम और दिल्ली के संबंध में विनिर्देशन (सं. 12011/7/95–बीसीसी)
5.	17.07.1995	17.07.1995	सिक्किम, मणिपुर और दिल्ली के संबंध में शुद्धि पत्र (सं. 12011/7/95–बीसीसी)
6.	27.01.1996	29.01.1996	असम की कोच राजबंशी का अपमार्जन (सं. 12011/2/96–बीसीसी)
7	09.03.1996	11.03.1996	आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल की सूचियों में शामिल किया गया (सं. 12011/96/94–बीसीसी)
8.	06.12.1996	11.12.1996	बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सूचियों में शामिल किया गया (सं. 12011/44/96–बीसीसी)
9.	08.07.1997	08.07.1997	उत्तर प्रदेश और बिहार के संबंध में शुद्धि पत्र (सं. 12011/68/93–बीसीसी)
10.	01.09.1997	02.09.1997	केरल के संबंध में शुद्धि पत्र (सं. 12011/12/96–बीसीसी)
11.	03.12.1997	17.12.1997	उत्तर प्रदेश की सूची में शामिल किया गया (सं. 12011/13/97–बीसीसी)
12.	11.12.1997	12.12.1997	चंडीगढ़ के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्ग का विनिर्देशन (सं. 12011/99/94–बीसीसी)
13.	03.08.1998	04.08.1998	महाराष्ट्र के संबंध में में शुद्धि पत्र (सं. 12011/12/96–बीसीसी)
14.	06.08.1998	06.08.1998	मध्य प्रदेश के संबंध में शुद्धि पत्र (सं. 12011/68/93–बीसीसी)
15.	27.10.1999	27.10.1999	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सूचियों में संशोधन (सं. 12011/68/98–बीसीसी)

1	2	3	4
16.	06.12.1999	06.12.1999	आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सूचियों में संशोधन (सं. 12011/88/99–बीसीसी)
17.	04.04.2000	04.04.2000	आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की केन्द्रीय सूची में संशोधन (सं. 12011/36/99–बीसीसी)
18.	21.09.2000	21.09.2000	आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पांडिचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की केन्द्रीय सूची में संशोधन (सं. 12011/44/99–बीसीसी)

स्वयंसेवी/गैर-सरकारी संगठन

472. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत स्वयंसेवी/गैर–सरकारी संगठनों द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त अनुदान सहायता का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान इन्हें जिन योजनाओं के तहत सहायता मिल रही है उनका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा–पटल पर रख दी जाएगी।

राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार

473. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय में राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार की कोई योजना है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या काारण हैं;

(ग) क्या राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार करना सरकार का उत्तरदायित्व है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस शीर्ष के तहत कितनी राशि खर्च की गई?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां। राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा प्रस्तावित प्रोत्साहन योजनाओं के अलावा, हिन्दी में मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने के लिए योजना मंत्रालय की "कौटिल्य पुरस्कार योजना" शीर्षक से अपनी भी एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत, प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर पुस्तकों के पात्र लेखकों को तीन पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कारों की राशि 18000/– रुपये, 12000/– रुपये और 8000/– रुपये है। ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष इस प्रयोजन के लिए गठित मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर दिए जाते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए अलग से कोई लेखा–शीर्ष नहीं है। तथापि, "अन्य प्रभार" आदि शीर्षों के अंतर्गत, राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान खर्च की गई राशि 5,79,440/– रुपये है।

[अनुवाद]

गाडगिल-मुखर्जी सूत्र

474. श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने जून में दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र पर विचार–विमर्श करने के लिए एक

बैठक की थी जिसमें गत 20 वर्षों से राज्यों को निधियां आबंटित करने के गाडगिल–मुखर्जी सूत्र में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर निधियों के आबंटन संबंधी कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ङ) पूर्ण योजना आयोग ने दिनांक 27 और 29 जून, 2001 को हुई अपनी बैठक में, अन्य बातों के साथ–साथ, राज्यों को दी जाने वाली सामान्य केन्द्रीय सहायता के आबंटन के लिए गाडगिल फार्मूले के पुनरीक्षण के मुद्दे पर भी चर्चा की। तथापि, चूंकि फार्मूले की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद (एनडीसी) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है तथा राज्य सरकारों के विचारों में भिन्नता एवं इस मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए भी, यह निर्णय लिया गया कि इस पर आगे भी चर्चा करना तथा एनडीसी द्वारा किसी विकल्प पर विचार करने से पहले एक सर्वसम्मति विकसित करना आवश्यक होगा।

प्राकृतिक आपदाओं के समय एन.सी.सी. की भागीदारी

475. श्री बसनगौडा रामनगौड पाटिल (यत्नाल) :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री आर. एस. पाटिल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के समय राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) की भागीदारी से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के सभी कॉलेजों, विशेष तौर पर कर्नाटक के सभी कॉलेजों को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने की योजना बना रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देशभर में राष्ट्रीय कैडेट कोर की कुल संख्या में एक लाख कैडेटों की बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया गया है।

नागा विद्रोहियों को प्रशिक्षण

476. श्री अनादि साहू : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यांमार नागा विद्रोहियों की प्रशिक्षण भूमि बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो नागा विद्रोहियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने म्यांमार सरकार का सहयोग हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) और (ख) भारत और म्यांमार ने दोनों देशों से संबंधित सुरक्षा से संबद्ध मसलों पर नियमित बातचीत जिसमें सीमा पार विद्रोह का सामना करने के उपायों पर विचार–विमर्श भी शामिल है, के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना की है। म्यांमार सरकार ने भारत सरकार को बार–बार यह आश्वासन दिया है कि वह अपने देश में भारत के हितों के विरुद्ध किसी भी गतिविधि को अनुमति नहीं देगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा कोष

477. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा समाज के सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इन वर्गों के विकास के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में कोई नई योजनाएं तैयार की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) यह मंत्रालय अनुसूचित जातियों अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ऐसी योजनाएं जनजातियों के लिए कार्यान्वित कर रहा है। एक अलग से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष सृजित करने का ऐसा कोई प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) अप्रैल, 2002 से दसवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

बांग्लादेश सीमा पर मारे गए जवान

478. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांग्लादेश सीमा पर कितने सैनिक मारे गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में बांग्लादेश सरकार के साथ बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) शून्य।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सूचना प्रौद्योगिकी नीति

479. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की आर्थिक स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उद्योग की आयात और निर्यात नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने किसी निर्यातोन्मुखी इकाई की स्थापना की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) जिन योजनाओं के अंतर्गत इन इकाइयों की स्थापना की जानी है उन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) वर्ष 2000–2001 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उत्पादन संलग्न विवरण–I में दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के क्षेत्र में लागू नीतियों के ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

(ख) रक्षा संबंधी कुछ वस्तुओं को छोड़कर आमतौर पर सभी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। एक छोटी निषेधात्मक सूची को छोड़कर, जिसमें उच्चशक्ति की सूक्ष्म तरंग नलिकाएं, उच्च कार्यनिष्पादन के सुपर कम्प्यूटर तथा डेटा संसाधन सुरक्षा उपस्कर शामिल हैं, आमतौर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना नहीं की है।

(ङ) आयात–निर्यात नीति के अनुसार जिन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना की जा सकती है, वे इस प्रकार हैं :

– निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) योजना
– निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) योजना
– इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी योजना)
– सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना
– विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) योजना।

विवरण-I

वर्ष 2000–02 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का उत्पादन

(करोड़ रुपये में)

मद	2000–01
1	2
1. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी	11,550
2. औद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी	4,000

1		2
3.	कम्प्यूटर्स	3,400
4.	संचार एवं प्रसारण उपस्कर	4,500
5.	सामरिक इलेक्ट्रॉनिकी	1,750
6.	संघटक पुर्जे	5,500
	उप योग	30,700
7.	निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर	28,350
8.	घरेलू सॉफ्टवेयर	9,400
	योग	68,450

विवरण-II

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए लागू नीतियां

औद्योगिक अनुमोदन नीति

- इलेक्ट्रॉनिक वांतारिक्ष तथा रक्षा उपकरणों को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंसिकरण को वस्तुतः समाप्त कर दिया गया है।

- इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है और प्रत्येक क्षेत्र में निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश का स्वागत है।

- पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण तथा स्थानीय सीमा क्षेत्र एवं भू–उपयोग नियमन के लिए उत्तरदायी प्राधिकारियों की अनुमति के अधीन इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की स्थापना देश में कहीं भी की जा सकती है।

प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश नीति

- कारोबार से उपभेक्ता (B_2C) इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश प्रस्तावों को स्वतः अनुमोदन।

आयात-निर्यात नीति

- रक्षा संबंधी कुछ वस्तुओं को छोड़कर आमतौर पर सभी इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है। एक छोटी निषेधात्मक सूची को छोड़कर, जिसमें उच्चशक्ति की सूक्ष्म तरंग नलिकाएं, उच्च कार्यनिष्पादन के सुपर कम्प्यूटर तथा डेटा संसाधन सुरक्षा उपस्कर शामिल हैं, आमतौर पर सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों का मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता है।

- 10 वर्ष तक पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

राजकोषीय नीति

- इलेक्ट्रॉनिक मदों पर सीमा शुल्क की उच्चतम दर 35 प्रतिशत है। कम्प्यूटर तथा उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क की दर 15 प्रतिशत है। सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, रंगीन मॉनीटरों की डेटा प्रदर्श ट्यूबों एवं विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर सीमा शुल्क शून्य प्रतिशत है। वर्ष 2001–02 के बजट में विश्व व्यापर संगठन (आईटी तथा दूरसंचार उत्पाद) के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क की विद्यमान दर को 20–25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। दूरसंचार के कल–पुर्जों पर सीमा शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति दी गई है।

- इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर उत्पाद शुल्क की दर सामान्यतः 16 प्रतिशत है।

- सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

अधिकारियों की तैनाती

480. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश का विभाजन करके बनाए गए राज्य में कर्मचारियों की तैनाती के मामले में केन्द्र सरकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक सरकार को ऐसे कितने मामलों की जानकारी मिली है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन से उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) नव सृजित छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य–सेवाओं के कार्मिकों को अनंतिम आबंटन, संघ–सरकार द्वारा जारी मानदंडों के अनुसार किया गया था। जहां तक अंतिम रूप से आबंटन किए जाने का प्रश्न है, इसके पहले चरण में, राज्य–सलाहकार–समिति द्वारा, अनन्तिम रूप से तैयार की गई अंतिम आबंटन–सूची का प्रकाशन संकल्पित है। दूसरे चरण में, राज्य–सलाहकार–समिति द्वारा अंतिम आबंटन सूची का तैयार किया जाना और संघ–सरकार द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, उसके द्वारा, अंतिम आबंटन–सूचियों का अधिसूचित किया जाना शामिल है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती राज्यों के मामले में अनन्तिम रूप से अंतिम आबंटन–सूचियां, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों में निहित मानदंडों के अनुसार तैयार की जा रही हैं।

सकल घरेलू उत्पाद विकास दर

481. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2000–2001 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वार्षिक विकास दर लगभग 5.2 प्रतिशत रही है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है;

(ग) इस विकास दर में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का क्षेत्रवार अंशदान कितना है; और

(घ) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2000–2001 के दौरान विकास दर में क्षेत्र–वार किस सीमा तक वृद्धि हुई या कमी आई?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां। वर्ष 2000–2001 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 5.2 प्रतिशत आंकी गई है।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) वर्ष 1999–2000 तथा 2000–2001 के दौरान स्थिर (1993–94) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों का क्षेत्रवार अंशदान तथा क्षेत्रवार विकास दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

स्थिर (1993–94) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद का क्षेत्रवार अंशदान तथा उनकी विकास दरें (गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन)

क्षेत्र	सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान (रु. करोड़ में)			गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
	1998–99	1999–2000	2000–2001	1999–2000	2000–2001
1	2	3	4	5	6
कृषि	288401 (26.6)	290334 (25.2)	290895 (24.0)	0.7	0.2
उद्योग	291429 (26.9)	310162 (26.9)	326682 (27.0)	6.4	5.3
सेवा	503217 (46.5)	551495 (47.9)	594170 (49.0)	9.6	7.7

1	2	3	4	5	6
कुल सकल घरेलू उत्पाद	1083047 (100.0)	1151991 (100.0)	1211747 (100.0)	6.4	5.2

नोट : कोष्ठकों में आंकड़े प्रतिशत भाग दर्शाते हैं।

कृषि क्षेत्र में फसलें, पशुधन उत्पाद, वानिकी तथा मत्स्यन शामिल हैं।

उद्योग क्षेत्र में खनन, विनिर्माण, विद्युत तथा निर्माण शामिल हैं।

सेवा क्षेत्र में व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार तथा सभी अन्य सेवाएं शामिल हैं।

[अनुवाद]

स्वदेशी उपस्करों का परीक्षण

482. डॉ. मन्दा जगन्नाथ :
श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना ने परमाणु, जैविक हमले का सामना करने की तैयारी करने के लिए मई, 2001 में राजस्थान में (पूर्ण विजय के नाम से) युद्धाभ्यास किया था;

(ख) यदि हां, तो इस युद्धाभ्यास में कितने सैनिकों और लड़ाकू विमानों ने भाग लिया;

(ग) रक्षा की दृष्टि से इस युद्धाभ्यास को किस प्रकार सफल माना जा रहा है;

(घ) क्या पंजाब क्षेत्र में भी इसी प्रकार का युद्धाभ्यास किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस अभ्यास में सेना की कुछ विरचनाओं तथा भारतीय वायुसेना ने भाग लिया।

(ग) जिन लक्ष्यों के लिए यह अभ्यास किया गया था, उन्हें प्राप्त कर लिया गया है।

(घ) और (ङ) यह अभ्यास पश्चिमी सेक्टर में किया गया था जिसमें उस क्षेत्र में स्थित सीमावर्ती राज्य शामिल थे।

भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी

483. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका की नौसेना ने मई, 2001 में 31 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है जैसा कि 14 मई, 2001 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस मामले को श्रीलंका सरकार के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या परिणाम निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार श्रीलंका के साथ, श्रीलंका की हिरासत में भारतीय मछुआरों की शीघ्र रिहाई और प्रत्यावर्तन के लिए राजनयिक माध्यमों से निरंतर संपर्क बनाए हुए है। यह मामला नई दिल्ली और कोलम्बो दोनों स्थानों पर उपयुक्त स्तर पर उठाया गया और इस पर मछुआरों के रिहा होने और प्रत्यावर्तित होने तक अनुसरण होता रहेगा। 11 जुलाई, 2001 को श्रीलंका की सरकार ने 22 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है जिसमें 13 मछुआरे मई 2001 को बंदी बनाए गए मछुआरों में से शामिल हैं।

गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले में बदलाव

484. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्यों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आबंटन के संबंध में राज्य सरकारों की मांग के

अनुसार गाडगिल–मुखर्जी फार्मूले में परिवर्तन करने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकारों ने क्या विचार किए हैं और उन पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अधिकांश राज्य सरकारों ने अपनी वार्षिक योजना संवीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा असहयोग के मामले की जांच की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) राज्य की वार्षिक योजनाओं के अनुमोदन के लिए चालू वर्ष के दौरान योजना व्यय के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा क्या व्यवस्था अपनाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, हां। राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता (एनसीए) के आबंटन के लिए राज्यों ने गाडगिल फार्मूले में संशोधन करने की मांग की है। तथापि, फार्मूले में संशोधन के राष्ट्रीय विकास परिषद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

(ख) इस संबंध में राज्यों के विचारों में काफी भिन्नता है। सामान्य रूप से, जहां उन्नत राज्यों ने निष्पादन के लिए अधिक वेटेज दिए जाने की मांग की है, वहीं कम उन्नत राज्यों ने पिछड़ेपन पर अधिक वेटेज दिए जाने की मांग की है।

(ग) से (च) राज्यों की वार्षिक योजना 2001–02 को मुख्य मंत्री–उपाध्यक्ष, योजना आयोग के स्तर पर विचार–विमर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है।

(छ) वार्षिक योजना आकार को राज्यों के स्वयं के संसाधन और योजना निधितन के लिए केन्द्र के उपलब्ध संसाधनों पर आधारित, उपध्यक्ष–मुख्य मंत्री के स्तर पर विचार–विमर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों के निष्पादन, राजकोषीय प्रबंधन में प्रगति, राजस्व प्रयास और राष्ट्रीय उद्देश्यों में निष्पादन पर भी विचार किया जाता है।

मझगांव गोदी में पनडुब्बी निर्माण

485. श्री विजय गोयल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या यह सही है कि मझगांव गोदी में भारत–फ्रांस परियोजना के अंतर्गत उन्नत श्रेणी की पनडुब्बी का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो वहां कौन–कौन से प्रकार की पनडुब्बियों का निर्माण किए जाने की संभावना है और ये पनडुब्बियां अन्य पनडुब्बियों, विशेष तौर पर पड़ोसी देशों की पनडुब्बियों से कितनी बेहतर होंगी; और

(ग) नौसेना को और आधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हाल में और क्या बातें जोड़ी गई हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण करने तथा पनडुब्बी–निर्माण में राष्ट्रीय क्षमता प्राप्त करने के लिए एक दीर्घकालीन संदर्शी योजना को अनुमोदित किया है। हमारे स्वदेशी पनडुब्बी–निर्माण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित तकनीकी सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस मामले में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जड़ी-बूटी औषधि उद्योग

486. श्री सुबोध राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 6 जून, 2001 के 'दि हिन्दू' में 'प्लान टू स्ट्रीमलाइन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद अनेक लुप्तप्राय जड़ी बूटियों का निर्यात जारी है; और

(घ) यदि हां, तो हर्बल औषधि उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे पौधों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) "द हिन्दू में 24 जून, 2001 को 'प्लान टू स्ट्रीमलाइन हर्बल ड्रग इंडस्ट्री" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है।

(ख) मंत्रिमंडल की वैज्ञानिक सलाह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कुछ जड़ी–बूटियों का पता लगाने के बारे में ध्यान केन्द्रित किया है जो बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर सकती हैं और मूल्य वृद्धित जड़ी–बूटी अथवा जड़ी–बूटी आधारित उत्पादों के लिए घरेलू और वैश्विक बाजार का लाभ उठा सकती हैं। इस रिपोर्ट में भारत–भर में खेती–बाड़ी के लिए 45 औषधीय जड़ी–बूटियों का पता लगा है जिसमें से 7 जड़ी–बूटियों की तत्काल कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई है।

(ग) वाणिज्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि ऐसा कोई उदाहरण उनके ध्यान में नहीं आया है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

योजना आयोग में नियुक्ति

487. श्री ताराचन्द भगोरा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुप्रयुक्त श्रमशक्ति अनुसंधान संस्थान (योजना आयोग), नई दिल्ली में नियुक्ति संबंधी शर्तें और निबंधन क्या हैं;

(ख) सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए निर्धारित नियमों और शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक नियुक्तियां किन नियमों और शर्तों के अधीन की जा रही हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जनसाधन अनुसंधान संस्थान *(योजना आयोग) नई दिल्ली में नियुक्ति हेतु निबंधन* और शर्तें संस्थान के सेवा उप–नियमों द्वारा शासित हैं। *सीधी भर्ती* और प्रोन्नति के लिए निर्धारित नियम और निबंधन, जैसा कि उक्त उप–नियमों के अध्याय–III में उल्लिखित है, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) संस्थान के उपनियमों में निर्धारित नियमों और शर्तों का अनुपालन नियुक्तियों हेतु किया जाता है।

विवरण

जनसाधन अनुसंधान संस्थान के सेवा और वित्तीय उपनियमों में से लिए गए उद्धरण (जनवरी, 1991 तक संशोधित)

अध्याय-III

भर्ती

नियुक्ति प्राधिकारी :

संस्थान के किसी पद पर नियुक्ति निम्नानुसार की जाएगी :

(i) ग्रेड I और II के अस्थायी और स्थायी पदों के मामले में, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा;

(ii) ग्रेड III से VIII तक में अस्थायी और स्थायी पदों के मामले में, निदेशक द्वारा;

(iii) ग्रेड IX और X-1 में अस्थायी पदों के मामले में, निदेशक द्वारा;

(iv) ग्रेड IX और X-1 में स्थायी पदों और X-I से ऊपर के ग्रेड में स्थायी पदों के मामले में कार्यकारी परिषद द्वारा।

भर्ती की पद्धतियां :

(1) संस्थान में किसी पद पर भर्ती निम्नानुसार की जाएगी :

(i) प्रोन्नति द्वारा; अथवा

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(iii) स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा।

(2) मंजूरीदाता प्राधिकारी प्रत्येक मामले में किसी रिक्ति को भरे जाने की पद्धति निर्धारित करेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती :

(1) किसी भी ग्रेड में पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति या तो स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से की जाएगी-

(i) अगले निचले ग्रेड में पदों पर सेवारत कर्मचारियों में से अथवा

(ii) ठीक निचले ग्रेड में सेवारत असाधारण योग्यता और गुणों वाले कर्मचारियों में से।

(2) प्रोन्नति द्वारा प्रत्येक नियुक्ति वरिष्ठता के संबंध में योग्यता और चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी बशर्ते कि ग्रेड VI और इससे ऊपर के ग्रेड में प्रत्येक नियुक्ति केवल गुणों के आधार पर की जाएगी।

सीधी भर्ती :

सभी ग्रेडों में सीधी भर्ती द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर की जा सकती है।

(i) ग्रेड I से IV में मांग पर रोजगार कार्यालय द्वारा सिफारिश किए गए प्रार्थियों में से अथवा

(ii) इस प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर में, एक वर्ष से अधिक नहीं, की अवधि के लिए पंजीकृत प्रार्थियों में से, या

(iii) किसी विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करने वाले प्रार्थियों में से।

स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति :

स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा किसी भी पद पर नियुक्ति चयन समिति के अनुमोदन से उन निबंधनों और शर्तों पर की जा सकती हैं जिसे मंजूरीदाता प्राधिकारी उचित समझते हैं।

अर्हताएं :

किसी पद पर नियुक्ति की अर्हताएं मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा निर्धारित के अनुसार होंगी।

उपयुक्तता

कोई भी व्यक्ति तब तक सीधी भर्ती द्वारा किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा :

(i) जब तक कि वह निदेशक द्वारा निर्धारित फार्म में स्वः लागत पर इस संबंध में निदेशक द्वारा अनुमोदित मेडिकल प्रैक्टिशनर से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता, और

(ii) नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट है कि उनका चरित्र और पूर्ववृत्त अच्छा है।

अध्याय III के संबंध में व्याख्यात्मक नोट

जनसाधन अनुसंधान संस्थान में विभिन्न पद–ग्रेड–वार

ग्रेड	पद की श्रेणी
1	2
I	(1) सफाई कर्मचारी
	(2) फराश
	(3) चौकीदार
	(4) माली
	(5) संदेश वाहक
II	(1) संदेशवाहक–सह–इलैक्ट्रीशियन
	(2) प्रैस एटेन्डेंट
	(3) दफ्तरी
	(4) जिल्दसाज
	(5) आपरेटर–III
III	(1) स्टाफ कार ड्राइवर
	(2) अवर श्रेणी लिपिक
	(3) स्वागती–सह–टेलीफोन आपरेटर
	(4) संयुक्त आशुलिपिक
	(5) उच्च श्रेणी लिपिक
	(6) आपरेटर–II
	(7) लेखा लिपिक–सह–कैशियर
	(8) स्टोर कीपर
	(9) पुस्तकालय सहायक
IV	(1) ड्राफ्ट्समैन
	(2) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष
	(3) अनुसंधान अन्वेषक

1	2
	(4) निर्माण सहायक
	(5) आपरेटर–I
	(6) प्रैस आपरेटर
	(7) आशुलिपिक
	(8) सहायक
	(9) सहायक लेखाकार
	(10) लेखाकार
V	(1) अनुसंधान सहायक
	(2) प्रलेखन सहायक
	(3) निर्माण सहायक–सह प्रैस प्रबंधन
	(4) उप संपादक
	(5) निजी सचिव (ग्रेड बी)
	(6) कार्यकारी स्हायक
	(7) अनुभाग अधिकारी
	(8) सहायक संपादक
	(9) निजी सचिव (ग्रेड ए)
VI	(1) कार्यकारी अधिकारी
	(2) सहायक प्रलेखन अधिकारी
	(3) मानचित्रकार–सह–अनुसंधान अधिकारी
	(4) अनुसंधान अधिकारी
VII	(1) संपादक
	(2) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी
	(3) प्रलेखन अधिकारी
	(4) प्रशासनिक अधिकारी
VIII	(1) संयुक्त चीफ
IX	(1) चीफ ग्रेड II
X	(1) चीफ ग्रेड I
	(2) चीफ
	(3) सलाहकार

ग्रेड–वार–मंजूरीदाता प्राधिकारी

1. ग्रेड I से IV	निदेशक
2. ग्रेड V और उससे ऊपर	कार्यकारी

[अनुवाद]

एडमिरल गोर्शकोव

488. श्री राम नायडू दग्गुबाटि :
श्री के. येरननायडू :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने रूसी कैरियर 'एडमिरल गोर्शको की मरम्मत, आशोधन और आधुनिकीकरण के विषय में व्यवहार्य रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) नौसेना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस सं में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी तकनी और आर्थिक पहलुओं पर कब तक विचार कर लिए जाने संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : से (ग) रूसी पक्ष ने एक विस्तृत परियोजना दस्तावेज प्र किया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ रूसी विमान वा 'एडमिरल गोर्षकोव' की मरम्मत/रिफिट, सुधार तथा आधुनि करण से संबंधित विभिन्न पहलू सम्मिलित हैं। विस्तृत परियो दस्तावेज की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है तथा इसकी रिपोर्ट पर एडमिरल गोर्शकोव के अधिग्रहण संबंध में निवेश संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

खादी कारीगरों को बीमा कवर

489. श्री सुनील खां : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार खादी कारीगरों बीमा कवर प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को सम्मिलित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योगों के लिए घोषित नए पैकेज के अंतर्गत, खादी कारीगरों को बीमा कवर इस पैकेज का एक घटक है। बीमा द्वारा मृत्यु, अक्षमता और रोगों को कवर करने का प्रस्ताव है। खादी कातने व बुनने वाले सभी लोगों को बीमा योजना के अंतर्गत कवर किए जाने की प्रत्याशा है।

वार्षिक योजना के लिए कार्यनिष्पादन मानदंड

490. श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार राज्यों की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप देते समय कार्यनिष्पादन मानदंड को लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोष निर्गमन को कार्यनिष्पादन से जोड़ने के लिए निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने वित्तीय अनुशासन को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, *सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय* में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (घ) राज्यों को सामान्य केन्द्रीय सहायता आबंटन हेतु गाडगिल फार्मूला में कार्यनिष्पादन मानदंड पहले ही बना दिए गए हैं क्योंकि यह राज्यों के राजकोषीय प्रबंधन, टैक्स प्रयास, राष्ट्रीय उद्देश्यों जैसे जनसंख्या नियंत्रण, निरक्षरता उन्मूलन, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपीज) को समय से पूरा करना तथा भूमि सुधारों में प्रगति आदि को ध्यान में रखता है। योजना लक्ष्यों की प्राप्ति में राज्यों के कार्यनिष्पादन की मॉनीटरिंग राज्यों के साथ अधिकारिक स्तर पर चर्चा, आयोग द्वारा राज्यों के दौरे तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष व राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच चर्चा के माध्यम से की जाती है।

(ङ) 1999–2000 के दौरान राजकोषीय सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले राज्य हैं–आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश।

मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट

491. श्री कोलूर बसवनागौड :
श्री जय प्रकाश :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पहली बार इस प्रकार के मीडिया लैब एशिया प्रोजेक्ट की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या; और

(ग) मीडिया लैबोरेट्री एशिया के माध्यम से राज्य–वार और विशेषकर कर्नाटक में स्वास्थ्य परिवार देखरेख आदि की चुनौतियों से निपटने के लिए निजी भागीदारी और सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) मीडिया लैब एशिया कार्यक्रम एक अलाभकारी संगठन के रूप में कार्य करेगा। मीडिया लैब एशिया संगठन के 30 सितंबर, 2001 से पूर्व कार्य शुरू करने की आशा है। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं अद्यतन तकनीकी जानकारी की एवं भावी प्रौद्योगिकियों का विकास करना और इन प्रौद्योगिकियों को विशेषकर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) में ग्रामीण जनता सहित साधारण जनता के लाभार्थ प्रयोग करना है। इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ जन–सामान्य तक पहुंचाकर अंकीय विभाजन को हटाना और इस प्रकार उन्हें सशक्त बनाना है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार से 65 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से इस

परियोजना को एक वर्ष के आरम्भिक चरण के लिए अनुमोदित किया गया है। पहले वर्ष की प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर इसकी अवधि को आगे बढ़ाने के संबध में निर्णय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी) और भारत सरकार की आपसी सहमति से लिया जाएगा।

(ग) कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में भारत सरकार का योगदान मुख्यतः अन्य पूंजीनिवेशकों को आकर्षित करने हेतु आरंभिक पूंजी के रूप में होगा। शिक्षण/अधिगम, स्वास्थ्य, व्यवसाय/रोजगार की चुनौतियों पर ध्यान दिए जाने का प्रस्ताव है, जिसमें हस्तशिल्प, कृषि एवं उद्यमशीलता जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। जबकि इसका उद्देश्य सम्पूर्ण देश के जनसामान्य की परेशानियों से जुड़े मुद्दों को दूर करना है, प्रायोगिक परियोजनाओं के स्थापना–स्थल के ब्यौरे समय के साथ स्वतः ही सामने आएंगे।

दमन और दीव को जारी धनराशि

492. श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या **लघु उद्योग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव को जारी धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में लगाए गए उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव को कोई निधियां जारी नहीं की गईं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता है।

'नाको' को समाप्त किया जाना

493. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण (नाको) को समाप्त कर इसकी जगह क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या नाको देश में एड्स की चुनौतियों से निपटने में सक्षम नहीं रहा है; और

(ग) यदि हां, तो देश के समस्त एड्स निरोधक तंत्र की समीक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

494. श्री के. येरननायडू : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी सैन्य अस्पतालों में अस्पताल से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के वैज्ञानिक डिस्पोजल तरीके से निपटान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान ऐसे सैन्य अस्पतालों की संख्या कितनी है जहां इन सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाएगा; और

(ग) शेष अस्पतालों के लिए क्या समय–सीमा निर्धारित की गई है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देश में 127 सैन्य अस्पताल हैं। चालू वर्ष के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों को 98 अस्पतालों में पूर्णतः क्रियान्वित कर दिया जाएगा।

(ग) शेष अस्पतालों में यह प्रक्रिया जारी है तथा वर्ष 2002–2003 तक इसे पूरा कर लिया जाएगा।

विश्व बैंक की सहायता से स्वास्थ्य परियोजनाएं

495. डा. रामकृष्ण कुसमरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष देश में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं का राज्य–वार, स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजनाओं पर वास्तविक रूप से राज्य–वार कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2001–2002 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से कुछ और परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार–ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) दूसरी कुष्ठ उन्मूलन परियोजना पर हाल ही में बातचीत कर ली गई है और 19.7.2001 को इस पर हस्ताक्षर किए जाने के लिए निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त विश्व बैंक को सहायता मांगने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं भी प्रस्तुत की गई हैं ·

1. तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
2. असम स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
3. राजस्थान स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना
4. रोग निगरानी परियोजना।

विवरण

परियोजना का नाम	शुरू करने की तारीख/ वर्ष	राज्य	मंजूर की गई कुल सहायता	31.5.2001 को संचयी संवितरण (करोड़ रु. में)
1	2	3	4	5
महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली	14.2.99 5–1/2 वर्ष हेतु	महाराष्ट्र	603.00	23.02
उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली	1.7.2000 5–1/2 वर्ष हेतु	उत्तर प्रदेश	495.00	13.67
उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली	सितंबर, 98 5 वर्ष हेतु	उड़ीसा	343.80	32.05
द्वितीय राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण	सितंबर, 99 2004 तक	राष्ट्रव्यापी	876.39	194.17
रोग प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना	18.8.2000 2004 तक	राष्ट्रव्यापी	1118.41	225.00

रक्षा संबंधी कोष

496. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रक्षा संबंधी परियोजनाओं के विकास हेतु उपलब्ध कराए गए कोष का प्रावधान क्या है और इसका सेवा–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध कराए गए कोष में क्या अंतर है;

(ग) क्या वित्तीय आबंटन में कोई अंतर पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रक्षा सेनाओं के लिए विभिन्न रक्षा परियोजनाओं के वास्ते धन राशि 'पूंजीगत बजट' के तहत उपलब्ध कराई जाती है। आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान किए गए वास्तविक व्यय/आबंटन निम्नवत हैं ·

पूंजीगत परिव्यय

(करोड़ रु. में)

	आठवीं पंचवर्षीय योजना	नौवीं पंचवर्षीय योजना
1	2	3
सेना	11156.03	20270.67

1	2	3
नौसेना	7865.77	17720.60
वायुसेना	13972.93	24443.07
डीजीओएफ	870.70	573.15
आर एंड डी	1801.18	3689.15
डीजीक्यूए	16.97	34.87
कुल	35683.58	65731.51

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में नौवीं पंचवर्षीय योजना में 30047.93 करोड़ रुपये अधिक का प्रावधान किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के आवासीय स्कूलों को सहायता

497. कर्नल (सेवानिवृत) सोना राम चौधरी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के आवासीय स्कूलों के निर्माण हेतु दिए जाने वाले शत–प्रतिशत अनुदान की तर्ज पर अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए भी छात्रावास और आवासीय स्कूलों के निर्माण हेतु शत–प्रतिशत अनुदान के लिए राजस्थान सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने लगातार तीसरी बार सूखे के कारण वित्तीय संकट को देखते हुए केन्द्रीय सरकार की सहायता से तालमेल बैठाने में इस खर्च का पचास प्रतिशत अंशदान करने में अपनी असमर्थता जताई है;

(ग) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की स्थिति क्या है; और

(घ) उस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा महाविद्यालय

498. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सफदरजंग अस्पताल में चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस महाविद्यालय में कितने छात्रों को दाखिला दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) चिकित्सा महाविद्यालय खोलने में कितने शिक्षकों को नियुक्त किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) (क) से (ग) संबंधन विश्वविद्यालय की सहमति के अभाव में यह प्रस्ताव लंबित है क्योंकि संबंधन विश्वविद्यालय किसी आवेदक को कोई नया महाविद्यालय शुरू करने की अनुमति के लिए आवेदन करने के लिए पात्र बनाने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों में निर्धारित किए गए अर्हक मानदंडों में से एक मानदंड है। सफदरजंग अस्पताल के प्राधिकारी ने पहले ही इस मामले को उस विश्वविद्यालय के साथ उठाया हुआ है।

(घ) यह प्रस्ताव 100 छात्रों को प्रवेश देने के लिए है।

(ङ) शिक्षण संकाय भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नियत किए गए मानदंडों के अनुसार होगा।

विभिन्न स्वायत्तशासी निकायों में प्रतिनियुक्त अधिकारी

499. डॉ. जयन्त रंगपी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र–सरकार ने संविधान के प्रावधानों या केन्द्रीय अधिनियमों के अंतर्गत गठित विभिन्न स्वायत्तशासी और सांविधिक निकायों के प्रबंधन के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत गठित स्वायत्त परिषदों/स्वायत्त जिला परिषदों में वही सिद्धांत/नियम लागू किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या छठी अनुसूची के अंतर्गत ऐसे स्वायत्त परिषदों के लिए वही सिद्धांत/नियम व्यवहार में रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) स्वायत्त निकायों और सांविधिक संगठनों के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अथवा अन्यथा नियुक्तियां, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा की जाती हैं और ये नियुक्तियां, इन नियुक्तियों हेतु निर्धारित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली के अनुसार, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर चल रहे, भारतीय प्रशासनिक–सेवा के अधिकारी, तब केन्द्र–सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्त/सांविधिक निकायों में प्रतिनियुक्त किए जा सकते हैं, जबकि इन संगठनों के नियमों में ऐसी प्रतिनियुक्ति अनुमत हो। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली के नियम 6 (2)(ii) के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ऐसे स्वायत्त संगठनों में भी प्रतिनियुक्त किए जाते हैं जो सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं हों।

(ख) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वायत्त/सांविधिक निकायों में की गई विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की ऐसी नियुक्तियों का ब्यौरा, कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग द्वारा न तो संकलित किया जाता है और न ही रखा जाता है।

(ग) से (ङ) स्वायत्त परिषदों/स्वायत्त जिला–परिषदों में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति, संबंधित राज्य–सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आती है और ऐसी प्रतिनियुक्ति, प्रत्येक राज्य में ऐसी प्रतिनियुक्ति के संबंध में लागू नियमों के अनुसार की जाती है।

केरल में सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

500. श्री के. मुरलीधरन : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर का कोई नया प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। केरल सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए निम्नलिखित दो प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये इस प्रकार हैं :

(i) कोचीन के सॉफ्टवेयर तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विकास के लिए "प्रौद्योगिकी पर्यावास" की स्थापना;

पर्यावास के मुख्य क्षेत्र ई–वाणिज्य, मल्टीमीडिया तथा ई–शिक्षण आदि सहित कोचीन के सचूना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के विकास होंगे। परियोजना की कुल लागत 40 से 50 करोड़ रुपये है।

(ii) स्कूलों तथा कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी सुगम शिक्षण की परियोजना;

इस परियोजना का उद्देश्य देश में दूरस्थ तथा वेब आधारित शिक्षण है, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए शैक्षिक संस्थानों की नेटवर्किंग पर ध्यान दिए जाने की अभिकल्पना की गई है–जिससे शिक्षण की गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होगी और साथ ही विभिन्न विषय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी के स्नातकों तथा शिक्षकों का सृजन होगा। 4,421 लाख रुपये के कुल परिव्यय से परियोजना की अवधि तीन वर्ष है।

(ग) और (घ) जनसाधारण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकारी दल ने ग्रामीणों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के संबंध में सिफारिशें की हैं। सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया गया है। कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए हाल ही में एक राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मिशन का गठन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों के लाभार्थ प्रायोगिक कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है जिनका अनुकरण राज्य सरकार सहित अन्य एजेंसियों द्वारा किया जा सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

1. समाधान केन्द्र

देश में चार 'समाधान केन्द्र' परियोजनाएं शुरू की गई हैं जिनमें से दो मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु

में एक–एक परियोजनाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन परियोजनाओं की संपोषणीयता तथा उपयोगिता के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों तथा ग्रामीण विभागों के साथ विचार–विमर्श करके इनका आगे विस्तार करने की योजनाएं शुरू की जाएंगी।

समाधान केन्द्रों की कल्पना ग्रामीणों को कृषि व्यवहार, समुदायों का स्वास्थ्य स्तर, शिक्षा के अवसर, सरकारी योजनाओं तथा रोजगार के अवसर जैसे विषयों पर स्थानीय उपयोगिता की सूचना सामग्री तथा सूचना प्रदान करने के लिए ग्रामीण सूचना केन्द्र के रूप में की गई है।

2. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी)

देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भौगोलिक दृष्टि से कठिन पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां मूलसंरचनात्मक तथा संचार संबंधी सुविधाओं की कमी है, समुदाय के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा तथा सिक्किम के सभी ब्लॉक मुख्यालयों में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करके संपर्क उपलब्ध कराने की एक योजना अनुमोदित की गई।

उपर्युक्त राज्यों में राज्य सरकार द्वारा चुने गए स्थानों पर 30 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करके 15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अगस्त, 2000 में एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई। समुदाय द्वारा इन प्रणालियों का उपयोग मुख्यतः इंटरनेट देखने तथा ई–मेल सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए किया जा रहा है। स्कूलों तथा कॉलेजों के विद्यार्थी इन सुविधाओं का व्यापक रूप से प्रयोग कर रहे हैं। इन सामुदायिक सूचना केन्द्रों से प्राप्त अनुभव के आधार पर इन राज्यों के शेष ब्लॉकों में और 457 सामुदायिक सूचना केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की लागत लगभग 220 करोड़ रुपये होगी जिस पर व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदन के लिए विचार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण

501. श्री सी. पी. राधाकृष्णन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) क्या सरकार का विचार देश में अधिक से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार, संघ राज्य क्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण से देश के लोगों का तत्काल और कारगर इलाज सुनिश्चित हो सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी, नहीं। सरकार व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित करने सहित सभी के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के समग्र उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की चयन प्रक्रिया

502. श्री रवि प्रकाश वर्मा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ·

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान बोर्ड (ए.आई.आई.एम.एस.) के सदस्यों की चयन प्रक्रिया क्या है; और

(ख) बोर्ड में इस समय कार्यरत सदस्यों का ब्यौरा क्या है और इन सदस्यों का कार्यकाल क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 में क्रमशः सदस्यों के चयन और कार्यकाल की व्यवस्था है। इस समय बोर्ड में कार्य कर रहे सदस्यों तथा सदस्यों के कार्यकाल का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बोर्ड में इस समय कार्य कर रहे सदस्यों का ब्यौरा और उनका कार्यकाल इस प्रकार है

संस्थान निकाय

क्र.सं.	नाम	पदनाम	से	तक
1	2	3	4	
1.	डा. सी. पी. ठाकुर स्वा. एवं परि. क. मंत्री निर्माण भवन नई दिल्ली–110011	अध्यक्ष	19.06.2000–	18.06.2005
2.	श्री सुरेश पचौरी एम.पी. (राज्य सभा) 28 तुगलक क्रीसेंट	सदस्य	19.11.1999–	18.11.2004

1	2	3	4
3.	श्री रमेश चेन्नितला एम.पी. 5, तालकटोरा रोड नई दिल्ली	सदस्य	11.05.2000–10.05.2005
4.	श्री विजय गायेल, एम.पी. 5, महादेव रोड नई दिल्ली	सदस्य	11.05.2000–11.05.2005
5.	उपकुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली–110007	सदस्य–पदेन	19.11.1999–18.11.2004
6.	श्री जे. ए. चौधरी सचिव (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य विभाग स्वा. एवं परि. क. मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
7.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक स्वा. एवं. परि. क. मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली–110011	सदस्य–पदेन	19.11.1999–18.11.2004
8.	प्रो. ए. राजशेखरन अर्जुन 67, प्रथम एवेन्यु इन्दिरा नगर चेन्नई–600020	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
9.	डा. केतन देसाई अध्यक्ष भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एवान–ए–गालिब मार्ग, कोटला रोड नई दिल्ली–110002	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
10.	डा. (श्रीमती) मंजू शर्मा सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार 7वां एवं 8वां तल, ब्लाक–2 सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली–110003	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
11.	श्री एम. के. काव सचिव (शिक्षा) मानव संसाधन विकास विभाग भारत सरकार शास्त्री भवन (गेट न.–6) नई दिल्ली–110001	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
12.	डा. राजेन्द्र टंडन बी.–138, प्रीत विहार दिल्ली–110092	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
13.	डा. एच. एस. शुक्ला प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष शल्यचिकित्सा विभाग आयुर्विज्ञान संस्थान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
14.	डा. (श्रीमती) वी. वाय. देशपांडे प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष भेषजगुण विज्ञान विभाग ग्रांट मेडिकल कालेज वायकुला मुंबई	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004
15.	डा. अब्राहम थोमस प्रिन्सिपल, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना–पंजाब	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004

1	2	3	4	5
16.	श्री विजय सिंह संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार स्वा. एवं परि. क. मंत्रालय निर्माण भवन नई दिल्ली–110011	सदस्य	19.11.1999–18.11.2004	
17.	निदेशक, अ.भा.आ. संस्थान	सदस्य– सचिव	पदेन	

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग

503. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश में कृषि आधारित उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस राज्य में अब तक कितने कृषि आधारित उद्योग स्थापित किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) औद्योगिकीकरण संबंधित राज्य की विशिष्ट जिम्मेदारी है और केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों की अनुपूर्ति करती है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास के लिए अनुदानों के रूप में, ब्याज आर्थिक सहायता छूट, प्रशिक्षण, विपणन इत्यादि के रूप में सहायता प्रदान करता है। के.वी.आई.सी. मध्य प्रदेश राज्य सहित देश में एग्रो उद्योगों सहित ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए मार्जिन मनी स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीयकृत बैंकों, के.वी.आई. बोर्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत के.वी.आई.सी. 10 लाख रु. तक की परियोजना लागत के लिए 25 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी प्रदान करता है तथा 10 लाख रु. से अधिक तथा 25 लाख रु तक की लागत की परियोजना की शेष लागत के बारे में 10 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मार्जिन मनी प्रदान करता है।

[हिन्दी]

कश्मीर में सैनिकों के लिए विशेष पहचान-पत्र

504. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार कश्मीर घाटी में तैनात सेना कार्मिकों को विशेष पहचान–पत्र देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा सशस्त्र बलों पर लश्कर–ए–तौएबा के बढ़ते आक्रमणों के खतरे से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) जम्मू–कश्मीर में स्थिति पूर्णतः नियंत्रण में है। आतंकवादियों के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

विक्रियो हैजा

505. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 2001 के "राष्ट्रीय सहारा" में "विक्रियो कोलरा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधित ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त बीमारी के राज्य–वार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(घ) सरकार द्वारा उक्त रोग की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार को अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) जी, हां।

हैजा विब्रियो कोलरे नामक जीव के कारण होता है। वर्ष 1992 तक हैजा के मामले विब्रियो 01 के कारण हुआ करते थे और सेरो–टाईप 0139 से इस प्रकोप का होना ज्ञात नहीं था। वर्ष 1992 तक हैजा के मामले की सूचना भारत के पूर्वी भाग से प्राप्त होती थी। बाद के वर्षों में अन्य राज्यों से 0139 के कारण भी हैजा होने की सूचना प्राप्त हुई।

हैजा के सूचित रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह रोग पर्यावरण अस्वच्छता और खराब व्यक्तिगत स्वास्थ्य विशेषकर अशुद्ध जल के उपयोग के कारण फैलता है। सरकार लोगों को शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु उपाय करती रही है। लोगों के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने से हैजा रोग की रोकथाम में मदद मिलेगी।

विवरण

वर्ष 1998 के दौरान भारत के राज्यों/संघ क्षेत्रों के अधिसूचित मामलों एवं हैजा के कारण हुई मौतों से संबंधित विवरण*

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जनवरी से मार्च		अप्रैल से जून		जुलाई से सितंबर		अक्तूबर से दिसंबर		कुल योग	
		सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	21	0	18	0	4	0	0	0	43	0
2.	अरुणाचल प्रदेश										
3.	असम	0	0							0	0
4.	बिहार										
5.	गोवा	0	0	6	0	4	0	0	0	10	0
6.	गुजरात	3	0	20	0	90	0	0	0	113	0
7.	हरियाणा	0	0	41	0	43	0	3	0	87	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0			0	0
10.	कर्नाटक	71	0	183	0	29	1	105	1	388	2
11.	केरल	42	0	5	0			3	0	60	0
12.	मध्य प्रदेश	0	0							0	0
13.	महाराष्ट्र	89	0	428	0			95	1	2423	8
14.	मणिपुर	0	0	5	0	11		1	0	19	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0		0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0		.	0	0
19.	पंजाब	0	0	0	0	6	0	1	0	7	0
20.	राजस्थान	0	0	5	0	9	0	19	0	33	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	450	0	206	0	698	0	409	0	1763	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	.	.		.	. .	.	.	.		.
25.	पश्चिम बंगाल	0	0	38	0	270	0	140	0	448	0
26.	अं. नि. द्वीपसमूह	.				.	.	.	.	. .	
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	3	0	0	0	3	0
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	.		.	.		. .	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	3	0	327	0	1276	0	148	0	1754	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	679	0	1282	0	4003	8	1187	2	7151	10

सी मामले, डी मृत्यु, . . प्राप्त नहीं, 0 शून्य, आर–संशोधित

*यह विवरण साप्ताहिक रिपोर्टों पर आधारित है जो राज्यों के उन क्षेत्रों का ब्यौरा उपलब्ध कराता है जहां मामले होते हैं।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान भारत के राज्यों/संघ क्षेत्रों के अधिसूचित मामलों एवं हैजा के कारण हुई मौतों से संबंधित विवरण*

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जनवरी से मार्च		अप्रैल से जून		जुलाई से सितंबर		अक्तूबर से दिसंबर		कुल योग	
		सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	. .	.	. .	.	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	अरुणाचल प्रदेश	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3.	असम	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4.	बिहार	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5.	गोवा	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
6.	गुजरात	2	0	20	0	3	0	55	0	80	0
7.	हरियाणा	0	0	8	0	18	0	1	0	27	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	15	1	1	0	16	1
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	2	0	51	0	48	2	17	1	118	3
11.	केरल	4	0	0	0	2	0	2	0	8	0
12.	मध्य प्रदेश	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
13.	महाराष्ट्र	12	0	22	0	161	2	45	0	240	2
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	. .	. .	. .	. .	. .	. .	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	पंजाब	0	0	3	0	10	0	0	0	13	0
20.	राजस्थान	0	0	0	0	1	0	. .	. .	1	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	131	0	316	0	612	0	571	0	1630	0
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
25.	पश्चिम बंगाल	37	0	113	0	121	0	85	0	356	0
26.	अं. नि. द्वीपसमूह	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0	. .	. .	0	0	0	0
28.	दादरा एवं नगर हवेली	.				.	. .	. .	. .	. .	
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	4	0	749	0	511	0	84	0	1348	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	192	0	1282	0	1504	5	861	1	3839	6

सी मामले, डी मृत्यु, प्राप्त नहीं, 0 शून्य, आर–संशोधित

*यह विवरण साप्ताहिक रिपोर्टों पर आधारित है जो राज्यों के उन क्षेत्रों का ब्यौरा उपलब्ध कराता है जहा मामले होते हैं।

विवरण

वर्ष 2000 के दौरान भारत के राज्यों/संघ क्षेत्रों में अधिसूचित मामलों एवं हैजा के कारण हुई मौतों से संबंधित विवरण*

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	जनवरी से मार्च		अप्रैल से जून		जुलाई से सितंबर		अक्तूबर से दिसंबर		कुल योग	
		सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आध्र प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
2.	अरुणाचल प्रदेश		.		.	.			.	. .	.
3.	असम						. .	.	. .	. .	.
4.	बिहार		.		. .	. .	.		. .	. .	
5.	*गोवा*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12*	*0*	*0*	*0*	*12*	*0*
6.	गुजरात	65	0	77	1	40	0	3	0	185	1
7.	हरियाणा	0	0	0	0	1	0	. .	. .	1	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
9.	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	11	0	223	0	97	2	23	1	354	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	केरल	33	1	45	6	52	2	16	2	146	11
12.	मध्य प्रदेश							.	. .	.	
13.	महाराष्ट्र	6	0	137	0	422	2	213	0	778	2
14.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	.		0	0	0	0
18.	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	पंजाब	0	0	0	0	14	0	0	0	14	0
20.	राजस्थान	0	0	13	0			.	.	13	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	235	1	415	0	347	0	251	0	1248	1
23.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	0	0	0	0				.	0	0
25.	पश्चिम बंगाल	9	0	115	0	26	0	.		150	0
26.	अं. नि. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	0	0	0	0		.	0	0	0	0
28.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	*दिल्ली*	*1*	*0*	*324*	*0*	*372*	*0*	*206*	*0*	*903*	*0*
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	360	2	1350	7	1385	6	712	3	3807	18

टिप्पणी : सी मामले, डी मृत्यु, . प्राप्त नहीं, 0 शून्य, आर–संशोधित

*यह विवरण साप्ताहिक रिपोर्टों पर आधारित है जो राज्यों के उन क्षेत्रों का ब्यौरा उपलब्ध कराता है जहां मामले होते हैं।

[अनुवाद]

ऑनलाइन पासपोर्ट जारी करना

506. श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को आरम्भ कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यालयों के राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य कार्यालयों को यह सुविधा प्रदान करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस सुविधा से कौन–कौन सी औपचारिकताएं और लाभ जुड़े हुए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) पासपोर्ट कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन पासपोर्ट जारी करने की प्रणाली को आरंभ करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पासपोर्ट आवेदकों की चुनी हुई श्रेणियों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया पासपोर्ट कार्यालय, बंगलौर में परीक्षण आधार पर शुरू की गई है।

(ख) से (घ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ऑनलाइन पासपोर्ट जारी करने के लिए आवेदकों, सत्यापन प्राधिकारियों और पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों के बीच सुदृढ़ तालमेल और कम्प्यूटरीकरण की उच्च स्तर पर आवश्यकता होती है जिस पर इस समय विचार नहीं किया गया।

अर्ध-चिकित्सीय पाठ्यक्रम

507. श्री चन्द्रकांत खैरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलग–अलग अर्ध–चिकित्सीय पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण देने वाली संस्थाओं का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है और पाठ्यक्रमों की सूची, पाठ्यक्रम शुल्क और प्रत्येक पाठ्यक्रम की अवधि क्या है;

(ख) प्रवेश के मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे अर्ध–चिकित्सीय पाठ्यक्रम रोजगार की गारंटी देने वाले तथा रोजगारोन्मुख हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) फार्मेसी एवं नर्सिंग को छोड़कर परा–चिकित्सा व्यवसायों को विनियमित करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् जैसी केन्द्रीय परिषद् के अभाव में केन्द्रीय सरकार विभिन्न परा–चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित संस्थाओं के बारे में कोई आंकड़ा नहीं रखती है। तथापि, नर्सिंग एवं फार्मेसी संस्थाओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची क्रमशः संलग्न विवरण–I और विवरण–II में दी गई है।

भारतीय नर्सिंग अधिनियम 1947 और फार्मेसी अधिनियम, 1948 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारतीय नर्सिंग परिषद् और फार्मेसी परिषद् ने पाठ्यक्रम के विवरण के बारे में विनियम बनाए हैं।

पाठ्यक्रम के इन दो अधिनियमों के अन्तर्गत शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

विवरण-I

भारतीय उपचर्या परिषद् द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त उपचर्या संस्थाओं की राज्य–वार सूची (22.12.2000 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नर्सिंग संस्थाओं की संख्या			
		सहायक नर्सिंग एवं मिडवाइफरी	सामान्य नर्सिंग एवं मिडवाइफरी	बीएससी (नर्सिंग)	एमएससी (नर्सिंग)
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	36	72	7	0

1	2	3	4	5	6
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1		
4	असम	1	3	1	
5	बिहार**	20	8		
6	चण्डीगढ़	0	0	1	1
7	दिल्ली	1	15	5	1
8	गोवा	1	1		
9	गुजरात	2	18	1	
10	हरियाणा	5	5		
11	हिमाचल प्रदेश	3	3		
12	जम्मू व कश्मीर	0	1		
13	कर्नाटक	14	109	33	5
14	केरल	22	62		
15	मध्य प्रदेश**	10	9	6	
16	महाराष्ट्र	17	42	6	1
17	मणिपुर	1	1		
18	मेघालय	0	1		
19	मिजोरम	1	3	1	
20	नागालैंड	1	1		
21	उड़ीसा	13	4		
22	पंजाब	10	16	3	1
23	राजस्थान	7	8		
24	सिक्किम	1	0	0	0
25	तमिलनाडु	14	38	17	2
26	उत्तर प्रदेश**	36	13		
27	प. बंगाल	0	21		1
	योग	218	455	84	12

**झारखण्ड, छत्तीसगढ और उत्तरांचल से संबंधित आंकडे अलग से नहीं दिखाए गए हैं। इनको इनके मूल राज्यों में शामिल किया गया है।

विवरण-II

फार्मेसी में डिप्लोमा एवं डिग्री पाठ्यक्रम चलाने हेतु भारतीय फार्मेसी परिषद् द्वारा अनुमोदित फार्मेसी कालेजों की राज्य–वार सूची (31.12.2000 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	फार्मेसी में डिप्लोमा	फार्मेसी में स्नातक
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	20	10
2	असम	0	1
3	बिहार**	7	5
4	चण्डीगढ़	2	1
5	दिल्ली	8	2
6	गोवा	1	1
7	गुजरात	9	6
8	हरियाणा	9	1
9	हिमाचल प्रदेश	2	0
10	जम्मू व कश्मीर	1	0
11	कर्नाटक	81	43
12	केरल	20	3
13	मध्य प्रदेश**	7	3
14	महाराष्ट्र	67	28
15	मणिपुर	1	0
16	उड़ीसा	19	6
17	पंजाब	20	1
18	राजस्थान	10	4
19	सिक्किम	1	0
20	तमिलनाडु	36	25
21	त्रिपुरा	1	0
22	उत्तर प्रदेश**	14	2
23	प. बंगाल	7	1
	योग	343	143

**झारखण्ड, छत्तीसगढ़ और उत्तरांचल से संबंधित आंकड़े अलग से नहीं दिखाए गए हैं। इनको इनके मूल राज्यों में शामिल किया गया है।

पद आधारित रोस्टर

508. सरदार बूटा सिंह : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय ने आर. के. सभरवाल बनाम पंजाब राज्य और जे.सी. मलिक बनाम रेल मंत्रालय के मामले में यह माना है कि "रिक्ति आधारित रोस्टर" केवल उस समय तक मान्य रह सकता है जब तक कि आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंच जाता;

(ख) यदि हां, तो कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों की उन सेवाओं अर्थात् प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी/संवर्ग का ब्यौरा दें जिसमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक पहुंच गया है और जिनके कारण "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" को लागू किया गया; और

(ग) सेवाओं की ऐसी श्रेणियों, जिनमें प्रतिनिधित्व आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत तक नहीं पहुंचा है, में भी यदि "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" लागू किया जाता है तो इसके क्या कारण हैं?

**लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अन्तरिक्ष विभागों में *राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सूचना एकत्र* की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रखा जाएगा।

भारत-म्यांमार सीमा पर महत्वपूर्ण सड़कें

509. श्री के. ए. सांगतम : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत–म्यांमार सीमा पर सड़कों, पुलों और विमानपत्तनों आदि के निर्माण सहित चीन की व्यापक गतिविधियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने भारत–म्यांमार सीमा पर सड़कों के रख–रखाव को भी नागालैंड राज्य के लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया है जो पहले ही वित्तीय संकट का सामना कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो देश की सुरक्षा के हित में विशेष रूप से इन सड़कों के सामरिक महत्व के मद्देनजर इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार की योजना उनके मंत्रालय के वित्तीय नियंत्रण के अधीन इनके रख–रखाव का कार्य सीमा सड़क संगठन को सौंपने की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) भारत–म्यांमार सीमा पर चीन की कथित गतिविधियों के बारे में कोई सूचना नहीं है। तथापि, सूचनाओं से यह संकेत मिलता है कि इस प्रकार के कुछ प्रस्ताव म्यांमार में संबंधित प्राधिकारियों के विचाराधीन हैं।

(ग) से (च) सीमा सड़क संगठन ने नागालैंड में किफायर–त्यूसैंग–मोन क्षेत्र की संक्रियात्मक आवश्यकताओं की समीक्षा के प्रकाश में इस क्षेत्र के रख–रखाव का कार्य 31 मार्च, 2000 से राज्य लोक निर्माण कार्य विभाग को सौंप दिए जाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने अभी तक उक्त सड़क को अपने अधिकार में नहीं लिया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

510. श्रीमती सुशीला सरोज : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की 1997–2000 की अवधि की वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या सरकार को उक्त अवधि की विशेष रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इन वार्षिक रिपोर्टों और विशेष रिपोर्टों में अन्तर्निहित मुख्य सिफारिशों को मान लिया गया है और इन्हें कार्यान्वित कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की 1996–97(भाग), 1997–98, 1998–999 और 1999–2000(भाग) अवधि के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त की है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट की अवधि (1996–97 से 1999–2000) के दौरान 811 सलाह दी हैं जिनमें समावेश करने संबंधी 397 सलाह तथा अस्वीकृति संबंधी 414 सलाह शामिल हैं। समावेश करने संबंधी सभी सलाहों को स्वीकृत कर लिया गया है तथा राजपत्र अधिसूचनाओं के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। भारत सरकार द्वारा अस्वीकृति संबंधी सभी सलाहों को भी स्वीकार कर लिया गया है और आयोग को सूचित कर दिया गया है।

[अनुवाद]

हाई-एंड कार्यक्रम

511. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंगलौर और नागपुर स्थित कनेतकर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग एंड इनफोरमेशन टैक्नोलाजी ने हाई–एंड कार्यक्रमों के निर्माण के लिए बंगलौर में 'दि सेन्टर फॉर प्रोग्रामिंग एक्सलेंस' स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के मुख्य बिन्दु क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सही है कि इसमें आई.आई.टीबी. परिसर में इस केन्द्र को स्थापित करने और विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्राफिक,

इंटरनेट आदि से संबंधित कार्यक्रमों पर पाठ्यक्रमों को प्रस्तुत करने की परिकल्पना की गई है; और

(घ) यदि हां, तो प्रोग्रामिंग एक्सलेंस के इस केन्द्र का इंटरनेट की पहुंच और संस्थान की शिक्षण की कार्य प्रणाली के साथ कितने हाई–एंड कार्यक्रम तैयार करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) जी, नहीं।

(ख) समझौते की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं ·

— सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न शैक्षिक पाठ्यक्रमों, अध्ययन सामग्रियों आदि का विकास करना, प्रोत्साहन देना तथा उनका दर्जा बढ़ाना;

— ऐसे पाठ्यक्रमों को चलाना तथा संचालन करना;

— सेमीनारों, संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन, संचालन, समारम्भ, प्रबंध और प्रायोजित करना;

— परीक्षाओं एवं अभिरुचि परीक्षा आदि का आयोजन करना;

— विद्यार्थियों तथा/अथवा आम जनता के लाभार्थ वेब, ईंट एवं गारा, दृश्य, श्रव्य आदि सहित किसी भी संभव माध्यम के जरिए ऐसे सभी कार्य करना जो उपर्युक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए आनुषंगिक हैं; और

— लाभप्रद रोजगार सुनिश्चित करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) इन कार्यक्रमों का लक्ष्य उच्च कार्यनिष्पादन है अर्थात् ऐसे कार्यक्रम जिनमें प्रोग्रामन, भाषाओं, डेटाबेस और प्रचालन प्रणालियों, नेटवर्क तथा ग्राफिकों पर जोर दिया गया है। संस्थान के शिक्षक वर्ग और श्री यशवन्त कानेतकर (पिछले 18 महीनों से संस्थान के अतिथि शिक्षक) मिलकर पाठ सामग्री का विकास करेंगे जो वास्तव में विश्वस्तर का होगा।

[हिन्दी]

बेरोजगारी की समस्या

512. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) बिहार और अन्य पिछड़े राज्यों सहित देश में पिछड़ेपन और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए ठोस स्कीमें तैयार की गई हैं। उनमें से महत्वपूर्ण स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस), ग्रामीण आवास स्कीम अर्थात् इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई) क्षेत्र विकास कार्यक्रम जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) और एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी), राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) और अन्नपूर्णा हैं। ये स्कीमें अन्य राज्यों सहित बिहार में कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) इन स्कीमों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) कतिपय मानदण्ड के आधार पर लाभभोगी उन्मुख स्कीमें कार्यान्वित की जाती हैं। अपेक्षाओं के अनुसार, मानदण्ड के अनुरूप पात्रता निर्धारित करने के लिए स्कीम विशिष्ट सर्वेक्षण या सूचना एकत्र करने हेतु प्रक्रियाएं शुरू की जाती हैं।

विवरण

योजना आयोग

(ग्रामीण विकास विभाग)

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और संबद्ध कार्यक्रमों को मिलियन वैल्स स्कीम सहित (एमडब्ल्यूएस) 1.4.99 से निम्नलिखित मूल उद्देश्यों सहित स्वर्णजयन्ती ग्राम

स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) नामक एकल स्वरोजगार कार्यक्रम में पुनः संरचित किया गया है।

— गरीबी उपशमन के संबंध में केन्द्रित दृष्टिकोण

— वर्ग उधार के पूंजीगत लाभ

— कार्यक्रमों की बहुलता से संबद्ध समस्याओं पर काबू पाना।

एसजीएसवाई की माइक्रो उद्यमों के समग्र कार्यक्रम के रूप की कल्पना की गई है जो स्वरोजगार के सभी पहलुओं, अर्थात् ग्रामीण गरीबों के स्व सहायता दलों (एसएचजी) में संगठित करना और उनकी क्षमता निर्माण, कार्यकलाप समूहों की आयोजना, आधारिक संरचना निर्माण, प्रौद्योगिकी ऋण और विपणन को कवर करना है। यह विभिन्न एजेंसियों–जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डीआरडीए), बैंकों संबंधित विभागों, पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज़), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओज़) और अन्य अर्ध–सरकारी संगठनों को एकीकृत करता है। एसजीएसवाई का लक्ष्य 'समूह' दृष्टिकोण पर बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में माइक्रो उद्यम स्थापित करना है। एसजीएसवाई का उद्देश्य बैंक ऋण और सब्सिडी, दोनों के माध्यम से गरीबों को आय सृजक परिसंपत्तियां उपलब्ध कराते हुए मौजूदा गरीब परिवारों को 3 वर्षों में गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। एसजीएसवाई, महत्वपूर्ण घटक के रूप में ऋण और लघु और समर्थकारी तत्व के रूप में ऋण सहित एक ऋण–सह–सब्सिडी कार्यक्रम है।

कार्यक्रम को ग्रामीण गरीबों के अन्तर्निहित प्रतिभाओं और क्षमताओं को काम में लाने के लिए उपर्युक्त सहायता और प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए डिजाइन किया गया है। यह अति असुरक्षित लोगों की ओर लक्षित होगा। स्वरोजगारों का कम से कम 50% अनुसूचित जातियां/अनु. जनजातियां, 40% महिलाएं और 3% विकलांग होंगे।

एसजीएसवाई के अन्तर्गत सब्सिडी, 7,500 रुपये की उच्चतम सीमा सहित एकसमान परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगी (अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए यह क्रमशः 50 प्रतिशत और 10,000/– रुपये होगी) स्व सहायता दलों (एसएचजी) के लिए सब्सिडी 1.25 लाख रुपये की उच्चतम सीमा की शर्त सहित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी पर कोई सीमा नहीं होगी।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जेजीएसवाई)

जवाहर रोजगार योजना को (जेआरवाई) 1 अप्रैल, 1999 से सुदृढ़ किया गया है और जेजीएसवाई के रूप में पुनसंरचित किया गया है। जेजीएसवाई का मूल उद्देश्य सतत रोजगार के अवसर बढ़ाने के संबंध में ग्रामीण गरीबों को समर्थ बनाने के लिए ग्राम स्तर पर टिकाऊ परिसंपत्तियों सहित मांग आधारित सामुदायिक ग्राम आधारिक संरचना का सृजन है। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार गरीबों के लिए अनुपूरक रोजगार का सृजन करना है। कार्यक्रम के अन्तर्गत मजदूरी रोजगार गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे (बीपीएल) परिवारों को दिया जाता है। 60 : 40 के मजदूरी सामग्री अनुपात में ढील दी जा सकती है ताकि मांग आधारित ग्रामीण आधारिक संरचना निर्माण हो सके।

जेजीएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार, वार्षिक आबंटन का 22.5 प्रतिशत आवश्यक रूप से अनु. जाति/जनजाति के लिए वैयक्तिक लाभकारी स्कीमों पर व्यय किया जाना चाहिए। अनु. जाति/अनु. जनजाति के लिए अभिप्रेत निधियों का दूसरे कार्यों के लिए विचलन अनुमेय नहीं है। निम्नलिखित कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

अनु. जाति/अनु. जनजाति आवासों के लिए आधारिक संरचना,

स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) के लिए आधारिक संरचना सहायता,

शिक्षा और स्वास्थ्य के सामुदायिक आधारिक संरचना, और

दूसरी सामाजिक, आर्थिक और भौतिक आधारिक संरचना।

रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस)

1 अप्रैल, 1999 से कार्यक्रम को एकल मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के रूप में पुनसंरचित किया गया है। ईएएस का मूल उद्देश्य मजदूरी रोजगार की अत्यधिक कमी की अवधि के दौरान–गरीबी रेखा से नीचे रह रहे ग्रामीण गरीबों के लिए शारीरिक श्रम के माध्यम से अतिरिक्त मजदूरी रोजगार अवसर सृजित करना है। इसका गौण उद्देश्य सतत रोजगार और विकास के लिए टिकाऊ समुदाय, सामाजिक और आर्थिक परिसंपत्तियां सृजित करना है।

ईएएस उन सभी ग्रामीण गरीबों के लिए खुली गरीबों के लिए खुली हैं जिन्हें मजदूरी रोजगार की आवश्यकता है। चूंकि कार्यक्रम की प्रकृति स्व–लक्ष्य है और केवल न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना है, यह आशा की जाती है कि केवल गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे व्यक्ति ही अकुशल कार्य के लिए आएंगे। रोजगार उपलब्ध कराते समय अनुसूचित

जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे जोखिम भरे व्यवसायों से बाहर लाए गए बाल श्रमिकों के माता–पिता को वरीयता दी जाती है।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)

आईएवाई मैदानी क्षेत्रों में 20,000/–और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 22,000/–रुपये की यूनिट लागत पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे ग्रामीण गरीबों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने के लिए अति महत्वपूर्ण केन्द्र प्रायोजित आवास स्कीम बनी हुई है।

आईएवाई का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे अनुसूचित जातियों (एससीज) और अनुसूचित जनजातियों (एसटीज) और मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है। 1995–96 से आईएवाई के लाभ युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं अथवा उनके नजदीकी रिश्तेदार तक विस्तारित कर दिए गए हैं। इसके लाभ भूतपूर्व सैनिकों और अर्ध सैनिक बल के सेवानिवृत्त सदस्यों तक के लिए भी उस समय तक विस्तारित कर दिए गए हैं जब तक कि वे आईएवाई की सामान्य पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। निधियों का 3 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे अपंग व्यक्तियों के लाभ के लिए आरक्षित है। तथापि, गैर–अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लाभ आईएवाई आबंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

उपर्युक्त केन्द्र प्रायोजित स्कीमें केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के अनुपात में लागत हिस्सा आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं।

इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) के अलावा इन केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत निधियां राज्यों को देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में राज्य में ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के आधार पर आबंटित की जाती हैं। राज्यों से लेकर जिलों में, निधियां जिले की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के अनुपात के आकलित पिछड़पन की सूचना और प्रति कृषि कामगार के कृषि उत्पादन के व्युत्क्रम आधार पर आबंटित की जाती हैं।

आईएवाई के अंतर्गत निधियां योजना आयोग द्वारा यथा अनुमोदित गरीबी अनुपात और 50 : 50 के समान भारण के आधार पर 1991 की जनसंख्या से प्राप्त ग्रामीण आवासों की कमी के आंकड़ों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाती हैं। समान रूप से राज्यों से जिलों में आबंटन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या और आवासों की कमी के अनुपात के आधार पर किए गए हैं।

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएर्.)

क्षेत्र विकास कार्यक्रम अर्थात सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी), और एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) 1995–96 से जलसंभर आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। डीपीएपी का लक्ष्य फसलों के उत्पादन और पशुधन और भूमि, जल और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखे के प्रतिकूल प्रभाव को कम करके अंततः प्रभावित क्षेत्रों को सूखा निवारित करना है। इसका लक्ष्य समग्र आर्थिक विकास को प्रोन्नत करना और कार्यक्रम क्षेत्रों में निवास कर रहे संसाधन गरीब और अलाभप्राप्त वर्गों की सामाजिक–आर्थिक दशाओं में सुधार करना भी है। नौवीं पंचवर्षी योजना के दौरान कार्यक्रम 16 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में 180 जिलों के 961 ब्लाकों को कवर करता है।

एकीकृत परती भूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी)

ग्राम/माइक्रो जल संभर योजनाओं के आधार पर परती भूमि के विकास के उद्देश्य सहित पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा 1988–89 में शुरू किया गया था। तथापि, स्कीम को 1992–93 के दौरान परती भूमि विकास विभाग (अब डीओएलआर) को स्थानांतरित कर दिया गया था। पणधारी भूमि की क्षमता, स्थल की स्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं, को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं तैयार करते हैं। समग्र आर्थिक विकास को बढ़ाने तथा आवासियों के अलाभप्राप्त वर्गों और संसाधन अपर्याप्तों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना देश के जिलों में आईडब्ल्यूडीपी के अंतर्गत परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है।

आईडब्ल्यूडीपी 100 प्रतिशत केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम है। लागत मानक 4000 रुपये प्रति हैक्टेयर है। इस स्कीम का बुनियादी उद्देश्य ग्राम/माइक्रो जल संभर योजनाओं के आधार पर एकीकृत परती भूमि विकास शुरू करना है। पणधारी भूमि क्षमता, स्थल की स्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये योजनांए तैयार करते हैं। स्कीम सभी चरणों पर परती भूमि विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में भी मदद

करती है। इससे लाभों की समान सहभागिता और सतत विकास का मार्ग प्रशस्त होता है।

स्कीम के अंतर्गत शुरू किए गए मुख्य कार्यक्रम हैं (i) मृदा और नमी संरक्षण उपाय जैसे सीढ़ियां बनाना, बांध बनाना, खाई बाना, वर्धी अवरोध आदि (ii) बहुद्देशीय पेड़, झाड़ियां, घास, फली वाले पौधे लगाना (iii) प्राकृतिक पुनर्उत्पादन को प्रोत्साहित करना (iv) कृषि वानिकी और बागवानी को प्रोन्नत करना (v) ईंधन स्थानापन्न और ईंधन लकड़ी संरक्षण उपाय (vi) भागीदारों के बीच प्रौद्योगिकी का प्रचार, प्रशिक्षण, विस्तार और जागरूकता की उच्च डिग्री के लिए आवश्यक उपाय और (vii) लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना। कार्यक्रम देश के 25 राज्यों के 222 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

यह केन्द्र प्रोयाजित स्कीम है जिसका लक्ष्य बूढ़े निराश्रितों, निर्धनतम और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों को वित्तीय सहायता देना है। इसकें अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम के तीन घटक नामतः (i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एनओएपीएस)–बहुत कम अथवा जीवन निर्वाह के किसी नियमित साधन विहीन 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु वाले व्यक्तियों में प्रत्येक लाभ भोगी को 75 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता (ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम (एनएफबीएस)–प्राकृतिक अथवा दुर्घटनात्मक कारणों की वजह से मुख्य उपार्जक की मृत्यु (18 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक) के मामले में 10,000 रुपये तक की राशि की वित्तीय सहायता और (iii) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ स्कीम (एनएमबीएस)–पहले दो जीवित बच्चों के जन्म तक गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की गर्भवती महिला को बशर्ते कि वे 19 वर्ष और इससे अधिक की उम्र की हों, को 500 रुपये की नकद सहायता के रूप में लाभ प्रदान किया जाता है।

अन्नपूर्णा

अन्नपूर्णा स्कीम का लक्ष्य दरिद्र वरिष्ठ नागरिकों को जिनकी स्वयं की कोई आय नहीं है और गांवों में उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं हैं, खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। स्कीम में वृद्धावस्था पेंशन के पात्र, लेकिन वर्तमान में जो उसे प्राप्त नहीं कर रहे हैं, 13 लाख से ऊपर वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह निःशुल्क 10 किलो खाद्यान्न के प्रावधान पर विचार किया गया है। ग्राम पंचायतें व्यापक प्रचार के पश्चात ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेंगी और उनकी सूची प्रदर्शित करेंगी।

देशों में लघु उद्योगों का विकास

513. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री रामदास आठवले :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों के संदर्भ में राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यवार ये प्रस्ताव/अनुरोध कब से केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) प्रस्तावों/अनुरोधों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (च) संघ सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के माध्यमों से लघु उद्योगों के विकास और संवर्धन हेतु सहायता प्रदान करती है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सारे देश में समान रूप से किया जाता है। ऐसे सभी प्रस्तावों का निपटारा शीघ्रता से निर्धारित मार्गदर्शी–सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

क्षयरोग का उन्मूलन

514. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि क्षयरोग से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या वर्ष भर में एड्स से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों से तीन गुना अधिक है;

(ख) क्या यह भी सच है कि क्षयरोग से ग्रस्त रोगियों की संख्या में वृद्धि किसी न किसी प्रकार से देश में एड्स फैलने से संबंधित है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या क्षय रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्यों को धन का अधिक आबंटन करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन मौतें सूचित नहीं की जाती हैं। तथापि, अनुमान है कि देश में हर वर्ष क्षयरोग से 5 लाख लोग मरते हैं।

जहां तक एड्स का संबंध है, 30 जून, 2001 तक सूचित किए गए एड्स के पूर्ण रूप से विकसित रोगियों की संख्या 24087 है। 31 दिसंबर, 2000 तक एड्स के कारण हुई सूचित *की गई मौतों की संख्या 1759 है।*

(ख) और (ग) एड्स से ग्रस्त एक व्यक्ति को एच.आई. वी. नेगेटिव व्यक्ति के मुकाबले क्षयरोग विकसित होने का दस गुणा अधिक खतरा है। एच.आई.वी./एड्स संक्रमण व्यक्ति की रोग प्रतिरक्षण को विकृत कर देता है जिससे प्रसुप्त माइक्रो–वैक्टीरियम क्षयरोग को शरण मिल जाती है और इसलिए क्षयरोग संक्रमण सक्रिय हो जाता हे तथा क्षयरोग के रूप में प्रकट हो जाता है। भारत में सूचित किए गए एड्स के लगभग 60 प्रतिशत रोगियों में सक्रिय क्षयरोग होने का प्रमाण मिलता है।

(घ) और (ङ) 85 प्रतिशत की रोगमुक्ति दर हासिल करने के उद्देश्य के साथ देश में चरणबद्ध ढंग से संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अधीन गुणकारी निदान के लिए क्षयरोधी औषधों और वाइनोकुलर माइक्रोस्कोप की 100 प्रतिशत अपेक्षा की आपूर्ति केन्द्र द्वारा जिलों को वस्तुगत अनुदान के रूप में की जाती है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्य और जिला क्षयरोग सोसायटियों को सहायता अनुदान के रूप में नगद सहायता दी जाती है।

[हिन्दी]

अग्नि-II प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण

515. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अग्नि–II प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह प्रक्षेपास्त्र अपने पूर्ववर्ती संस्करण से किस प्रकार भिन्न है; और

(घ) इसे भारतीय वायुसेना में कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अग्नि–II मिसाइल का, इसके संक्रियात्मक संरूपण में, 17 जनवरी, 2001 को सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया।

(घ) इसे वर्ष 2001–02 के दौरान सशस्त्र सेनाओं में *शामिल किए जाने की योजना है।*

[अनुवाद]

बीस-सूत्री कार्यक्रम के लिए धनराशि

516. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल को बीस–सूत्री कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ वास्तविक तौर पर कितनी धनराशि व्यय की गई?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल सहित किसी भी राज्य को विशेष रूप से 20–सूत्री कार्यक्रम हेतु कोई योजना निधि उपलब्ध नहीं कराई गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मरीजों के चिकित्सा रिकार्ड के संबंध में विधान

517. श्री गुनीपाटी रामैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार मरीजों को आवश्यकता पड़ने पर उनका रिकार्ड उन्हें अथवा अन्य विशेषज्ञों को जांच हेतु उपलब्ध कराने के लिए कोई विधान लाने का है;

(ख) क्या इस प्रकार के विधान का प्रारूप तैयार करके उसे विधि मंत्रालय को अग्रेषित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस पर विधि मंत्रालय की क्या टिप्पणी है; और

(घ) इस विधान को संसद के समक्ष कब तक लाया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) विधि मंत्रालय ने सूचित किया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को इस कानून को बनाने हेतु संसद को अधिकार देने के लिए दो या दो से अधिक राज्यों की सम्मति प्राप्त करनी चाहिए अथवा यदि उक्त विषय अनुच्छेद 249 के अधीन राज्यों की परिषद द्वारा राष्ट्रीय हित का घोषित कर दिया गया है तो संसद कानून बना सकती है। इसलिए प्रारूप विधान का सभी राज्यों को इस अनुरोध के साथ परिचालित कर दिया गया है कि वे इस प्रस्ताव पर विचार करें और अपने विधान मंडल द्वारा आवश्यक अनुमोदन भेजें।

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और इसे अंतिम रूप देने के लिए अपेक्षित समय बताना संभव नहीं है।

असम में आदर्श अस्पताल

518. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने असम में एक आदर्श अस्पताल की स्थापना करने के लिए अनुमति प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो इस अस्पताल परियोजना के स्थान, लागत तथा अन्य प्रमुख विशेषताओं के बारे में ब्यौरा क्या है और इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा प्रदत्त अनुदान राशि अप्रयुक्त ही रही; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक इसका प्रयोग नहीं हुआ और उसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात

519. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष की तुलता में वर्ष 2001–2002 के दौरान भारतीय सॉफ्टवेयर निर्यात वृद्धि दर कम होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) संकेतों से पता चलता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में आयी मंदी के कारण, ऑन–साइट सेवा के सॉफ्टवेयर निर्यात के कुछ हद तक प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन विश्व की कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर सेवाओं के कार्य बाहर से करवाने में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि विश्व एक कॉरपेट जगत लागत को कम करने के साधनों की खोज कर रहा है। समग्रतः यह उम्मीद की जा रही है कि सॉफ्टवेयर निर्यात के मामले में भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग संतोषजनक वृद्धि दर कायम रख सकेगा।

[हिन्दी]

बिहार में प्र.रो.रो.यो. के अंतर्गत लंबित आवेदनों की संख्या

520. श्री राजो सिंह : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में राज्यवार, विशेषकर बिहार में, प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण के लिए कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) इन आवेदनों के लंबित पड़े रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, प्रधान मंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के संबंध में, 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार बैंक के पास लंबित आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा जिसमें बिहार भी शामिल है, संलग्न विवरण 'क' में दिया गया है।

(ख) से (घ) प्रधान मंत्री रोजगार योजना के मानदंडों के अनुसार, बैंकों को प्रायोजित किए जाने वाले आवेदन पत्र प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र के लिए 125 प्रतिशत के लक्ष्य के बराबर होने चाहिए। अतः किसी भी वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कुछ आवेदन पत्र लंबित रहने की संभावना होती है। भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार लंबित आवेदन पत्रों को प्रायोजित तथा उनकी कार्रवाई अगले वर्ष की जानी चाहिए। प्र.म.रो.यो. की मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार आवेदकों द्वारा औपचारिकताएं पूरी न किए जाने के कारण, मार्जिन मनी जमा कराए जाने की असमर्थता आदि के कारण भी ऋण वितरित करने में देरी होती है।

विवरण

31.3.2001 की स्थिति के अनुसार प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत बैंकों के पास लंबित आवेदनों की राज्यवार स्थिति

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लंबित आश्वासन
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1.	हरियाणा	502
2.	हिमाचल प्रदेश	333
3.	जम्मू व कश्मीर	229
4.	पंजाब	1385
5.	राजस्थान	4946
6.	चंडीगढ़	14
7.	दिल्ली	1035
उत्तर पूर्वी क्षेत्र		
8.	आसाम	3126
9.	मणिपुर	269
10.	मेघालय	93
11.	नागालैंड	0
12.	त्रिपुरा	1005
13.	अरुणाचल प्रदेश	32
14.	मिजोरम	0
15.	सिक्किम	14
पूर्वी क्षेत्र		
16.	बिहार	3257
17.	उड़ीसा	2846
18.	पश्चिम बंगाल	2758
19.	अंडमान एवं निकोबार	5
मध्य क्षेत्र		
20.	मध्य प्रदेश	5504
21.	महाराष्ट्र	3774
पश्चिमी क्षेत्र		
22.	गुजरात	700
23.	महाराष्ट्र	9573
24.	दमन एवं दीव	1
25.	गोवा	37
26.	दादरा एवं नगर हवेली	5

1	2	3
दक्षिणी क्षेत्र		
27	आंध्र प्रदेश	5330
28.	कर्नाटक	7867
29.	केरल	5190
30.	तमिलनाडु	2114
31.	लक्षद्वीप	7
32.	पांडिचेरी	67
	विनिर्दिष्ट नहीं	868
	अखिल भारतीय	62886

[अनुवाद]

सुनिश्चित प्रोन्नति योजना

521. श्रीमती रेनु कुमारी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवें वेतन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उन इक्का दुक्का पदों, जिनमें परिभाषित पदानुक्रम ग्रेड नहीं हैं, के मामले में सुनिश्चित प्रोन्नति योजना के लिए दो ग्रेडों में यह विनिर्दिष्ट किया जाना होगा कि, "ऐसे प्रत्येक पद के संबंध में वित्तीय प्रोन्नति देनी होगी चाहे उससे अगला उच्च वेतनमान परिभाषित पदानुक्रम का भाग नहीं भी हो, और इस प्रकार की प्रोन्नति को गतिशील सुनिश्चित प्रोन्नति के नाम से जाना जाएगा";

(ख) क्या कार्मिक और प्रशिक्षण–विभाग ने अपने 9 अगस्त, 1999 के कार्यालय–ज्ञापन में इस सिफारिश को इस शर्त के साथ स्वीकार किया कि यह योजना जिस उच्चतम वेतनमान तक उपलब्ध होगी, वह 14,300–18,300 रु. का वेतनमान होगा; और

(ग) यदि हां, तो यह सीमांकन और विभेदीकरण किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) पांचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग ने अन्य बातों के साथ–साथ, यह सिफारिश की थी कि वह उच्चतम वेतनमान 4500–5700 रु. का है जिस तक, सुनिश्चित कैरिअर–प्रोन्नयन–योजना के अंतर्गत वित्तीय उन्नयन दिया जाएगा और इस स्तर से ऊपर कोई भी वित्तीय उन्नयन नहीं दिया जाएगा तथा उच्चतर पद, रिक्ति के आधार पर ही भरे जाएंगे। पाँचवें केन्द्रीय वेतन–आयोग की रिपोर्ट कार्यान्वित करने के पश्चात्, संशोधन से पहले का, 4500–5700/– रुपये का वेतनमान, बढ़ाकर 14300–18300/– रुपये का कर दिया गया है। सुनिश्चित कॅरिअर–प्रोन्नयन–योजना कार्यान्वित करते समय, सरकार ने उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है।

हेपेटाइटिस-बी टीकाकरण

522. श्री किरीट सोमैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने भारत भर में चलाए जाने वाले हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या 'बिल गेट फाउंडेशन' ने इस परियोजना हेतु अनुदान देने की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना के बारे में ब्यौरा क्या है;

(घ) इस परियोजना की योजना कब बनाई गई थी और इसमें विलंब होने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण को अगली पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में प्रायोगिक आधार पर चुनिंदा राज्यों और जिलों में हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण शुरू किए जाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए ग्लोबल एलाएंस फार वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के साथ बातचीत चल रही है। ग्लोबल एलाएंस फार वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन का सहयोग बिल एंड मेलिन्डा गेट्स फाउंडेशन

सहित कुछ दाता एजेंसियों और निजी फाउंडेशनों द्वारा किया जा रहा है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति की प्रतीक्षा है; इसके बाद यह मंत्रालय इस परियोजना को मंजूरी देने के लिए ग्लोबल एलाएंस फार वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन बोर्ड से सम्पर्क करेगा।

जहां तक अगली पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को शुरू करने का संबंध है, पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम को एक प्रमुख राष्ट्रीय स्कीम के रूप मे विस्तारित करने के प्रश्न पर निर्णय, केवल प्रायोगिक परियोजना के कार्यान्वयन के अनुभवों पर विचार करने के पश्चात और नई योजना स्कीमों को शुरू करने के लिए अपेक्षित सरकार की अन्य संबंधित एजेंसियों से परामर्श करने के पश्चात् किया जा सकता है।

[हिन्दी]

सेवानिवृत्ति आयु की समीक्षा

523. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर देने की वजह से कितने शिक्षित युवा रोजगार पाने से वंचित हो गए हैं;

(ख) क्या देश में रोजगार की समस्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर देने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) सेवानिवृत्ति की आयु का रोजगार के अवसरों से कोई भी सीधा संबंध नहीं है और इसलिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दिए जाने से रोजगार के समग्र अवसर प्रभावित नहीं हुए हैं। सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाए जाने से पहले भी, केन्द्र सरकार के समूह 'घ', कर्मचारी, कामगार श्रेणी के कार्मिक और वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिक, अध्यापक एवं एक वर्ग के चिकित्सक, 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुआ करते थे। इन संवर्गों में नई भर्ती किए जाने हेतु रिक्तियां बनी रहती हैं जिससे बेरोजगारी के असर में कमी आती रहती है। फिर भी, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खुली प्रतियोगिताओं के माध्यम से, सरकारी सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु दो वर्ष बढ़ा दी गई है कि इससे, बेरोजगार युवाओं को कोई नुकसान नहीं हो।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) दूरसंचार, विद्युत, सड़क, संचार, डाक इत्यादि जैसे बुनियादी क्षेत्र, निजी क्षेत्र के उद्यमियों हेतु खोल दिए जाने से रोजगार की संभावनाएं पर्याप्त मात्रा में बढ़ गई हैं। इसके अतिरिक्त, रोजगार पैदा करने की अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना

524. डा. जसवंत सिंह यादव :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश भर में विशेषकर राजस्थान में, प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना विफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 2001–2002 के लिए प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई;

(घ) उक्त धनराशि में से राज्यों ने राज्यवार अब तक कितनी राशि का उपयोग किया है; और

(ङ) इस योजना के अंतर्गत राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि के समुचित उपयोग पर केन्द्र सरकार किस प्रकार निगरानी रखती है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) जी, नहीं। प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई) राजस्थान सहित देश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है।

राजस्थान सरकार को कार्यक्रम के प्रथम वर्ष 2000–2001 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में 96.40 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई थी। इस राशि में से 92.01 करोड़ रुपये राज्य को जारी कर दिए गए थे। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पीएमजीवाई के विभिन्न घटकों हेतु 49.64 करोड़ रुपये की राशि पहले ही उपयोग में लाई जा चुकी है।

पीएमजीवाई की वास्तविक प्रगति के संबंध में, प्राथमिक शिक्षा घटकों के अंतर्गत 42.96 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकों की आपूर्ति की गई, 630 आवासों की पेयजल आपूर्ति के अंतर्गत कवर किया गया, पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 8.68 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया तथा 1621 ग्रामीण आवासों का निर्माण एवं ग्रामीण आश्रय कार्यक्रम के अंतर्गत 834 आवासों का उन्नयन किया गया।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पीएमजीवाई के अंतर्गत 2001–2002 के लिए विभिन्न राज्यों को आबंटित एवं जारी की गई निधियों से संबंधित ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I तथा II में दिया गया गया है।

(घ) राज्यों को वर्ष 2001–2002 के लिए पीएमजीवाई हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जून–जुलाई 2001 के दौरान जारी कर दी गई है। अतः राज्यों के लिए उपयोगिता रिपोर्ट प्रस्तुत करना अभी बहुत जल्दी होगी।

(ङ) पीएमजीवाई के विभिन्न घटकों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय अपने कार्यक्रमों की आवधिक निगरानी करते रहते हैं। राज्य सरकारों से आवधिक निगरानी रिपोर्टें प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। पीएमजीवाई के अंतर्गत एसीए निधियों की दूसरी किस्त जारी करना किसी भी राज्य सरकार को स्वीकृत की गई पहली किस्त के संतोषजनक उपयोगिता की शर्तों पर निर्भर करता है। इससे स्कीम के अंतर्गत जारी निधियों की द्रुतगामी उपयोगिता सुनिश्चित होती है।

विवरण-I

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना 2001–02 के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	एसीए 2001–02
	गैर–विशेष श्रेणी राज्य	
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	15911.00
2.	बिहार	24579.00
3.	छत्तीसगढ़	3517.00
4.	गोवा	87.00
5.	गुजरात	7256.00
6.	हरियाणा	1879.00
7.	झारखंड	7592.00
8.	कर्नाटक	8415.00
9.	केरल	7737.00
10.	मध्य प्रदेश	9225.00
11.	महाराष्ट्र	11103.00
12.	उड़ीसा	11038.00
13.	पंजाब	4525.00
14.	राजस्थान	10797.00
15.	तमिलनाडु	11736.00
16.	उत्तर प्रदेश	37671.00
17.	उत्तरांचल	1407.00
18.	पश्चिम बंगाल	18796.00
	उप जोड़	193271.00
	विशेष श्रेणी राज्य	
1.	अरुणाचल प्रदेश	7635.00
2.	असम	20112.00
3.	हिमाचल प्रदेश	7908.00
4.	जम्मू व कश्मीर	19217.00
5.	मणिपुर	5439.00
6.	मेघालय	4546.00
7.	मिजोरम	4526.00

1	2	3
8.	नागालैंड	4607.00
9.	सिक्किम	3148.00
10.	त्रिपुरा	5693.00
	उप जोड़	82831.00
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1238.00
2.	पांडिचेरी	534.00
3.	अं. व नि. द्वीपसमूह	1150.00
4.	चंडीगढ़	511.00
5.	दादरा व नगर हवेली	148.00
6.	लक्षद्वीप	198.00
7.	दमन व दीव	119.00
	उप जोड़	3898.00
	कुल जोड़	280000.00

विवरण-II

2001–2002 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत राज्यों को अब तक जारी की गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	जारी की गई राशि
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	795.55
2.	अरुणाचल प्रदेश	381.75
3.	छत्तीसगढ़	175.85
4.	गुजरात	362.80
5.	हरियाणा	93.95
6.	हिमाचल प्रदेश	395.40
7.	झारखंड	379.60
8.	कर्नाटक	420.75
9	मध्य प्रदेश	461.25
10.	महाराष्ट्र	1386.71
11.	मेघालय	227.30
12.	मिजोरम	226.30
13.	नागालैंड	230.35
14.	उड़ीसा	551.90
15.	पंजाब	530.63
16.	राजस्थान	2539.85
17.	सिक्किम	157.40
18.	तमिलनाडु	586.80
19.	त्रिपुरा	426.98
20.	उत्तर प्रदेश	1883.55
21.	उत्तरांचल	70.35
22.	पश्चिम बंगाल	939.80
	कुल योग	13224.82

[अनुवाद]

विकास के लिए पैकेज

525. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के विकास के लिए केन्द्र सरकार को एक पैकेज का प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) जी, हां।

पंजाब के मुख्य मंत्री ने दिनांक 1.6.2001 के अपने अ. शा. पत्र सं. पीए/सीएम–2001/स्पेशल–14 में निम्न उल्लिखित परियोजनाओं (विशेष पैकेज के रूप में परिभाषित) को स्वीकृति देने के लिए प्रधान मंत्री से अनुरोध किया है

(i) 125.00 करोड़ रुपये की लागत की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना

(ii) 85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की छोटे और मध्यम कस्बों के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज प्रणाली

(iii) 213.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की ग्रामीण अनुसूचित जाति आवासों संबंधी पर्यावरणीय सुधार परियोजना

(iv) 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु अनुदान बढ़ाना।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संबंधित प्रस्तावों की जांच की है और राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ–साथ, सूचित किया है कि :

(i) चूंकि त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) एक आबंटन आधारित कार्यक्रम है, इसलिए इस कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता/विशेष पैकेज के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ii) 213 करोड़ रुपये की लागत वाली ग्रामीण अनुसूचित जाति आवास के पर्यावरणीय सुधार की स्कीम वर्धित ग्रामीण कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) के सीएसएस के अंतर्गत और केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के अंतर्गत शर्तों/दिशा निर्देशों को पूरा नहीं करती है। तथापि, योजना आयोग ने चालू वर्ष में पंजाब राज्य में अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम के लिए पंजाब सरकार को 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की है।

छोटे और मध्यम कस्बों के लिए जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली की स्कीम शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के संवीक्षाधीन है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के अंतर्गत यथा प्रस्तावित 40 करोड़ रुपये की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटन के लिए कोई अतिरिक्त निधि उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत स्कीमों का अभी तक कोई ब्यौरा नहीं भेजा है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज खोलना

526. डा. अशोक पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में एम.बी.बी.एस. उपाधिकारी चिकित्सक बनने के इच्छुक छात्र, देश में मेडिकल कालेजों की संख्या कम होने के कारण प्रवेश नहीं ले पाते;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तथ्य के परिप्रेक्ष्य में सरकार का मेडिकल कालेजों की संख्या बढ़ाने का विचार है;

(ग) यदि हा, तो राज्यवार और जिलावार कितने मेडिकल कालेज खेलने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन्हें कब तक खोला जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) नए मेडिकल कालेज खोलना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। एक समयावधि में सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों में मेडिकल कालेजों की संख्या में वृद्धि हुई है। जब कभी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार/सोसायटी/न्यास द्वारा समर्थित राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी निकायों से प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उसकी जांच भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार की जाती है और अनुमति आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं की उपलब्धता और उस पर भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बहुप्रयोजनीय परिवहन विमान

527. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड" और एक रूसी संदाय ने बहुप्रयोजनीय परिवहन विमान (मल्टी–रोल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एम.टी.ए.) के विनिर्माण हेतु एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विमान की क्षमता और विनिर्माण–लागत कितनी होगी; और

(घ) इसे कब तक विनिर्मित करके भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। बहुप्रयोजनीय परिवहन विमान परियोजना की व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए संयुक्त रूप से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) बहुप्रयोजनीय परिवहन विमान के 15–20 टन क्षमता वाले परिवहन विमान/100 सीट वाले यात्री विमान होने का अनुमान है। प्रारंभिक विमान की लागत वर्ष 2000 के मूल्य स्तरों पर लगभग 27 मिलियन अमरीकी डालर प्रत्याशित है जिसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने के बाद कुछ और संशोधन हो सकता है।

(घ) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकार कर लिए जाने तथा परियोजना शुरू करने के बाद इसके निर्माण और इसे भारतीय वायुसेना में शामिल करने में सात वर्ष या उससे अधिक समय लगने की संभावना है।

[हिन्दी]

आयुध डिपो में सुविधाओं का अभाव

528. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री अनन्त नायक :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आयुध डिपो में सुविधाओं के अभाव के संबंध में 'राष्ट्रीय सहारा' में 29 मई, 2001 को प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में विभिन्न गोलाबारूद भंडारों में हाल में लगी आग के मद्देनजर आयुध डिपो के आधुनिकीकरण की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ङ) क्या सरकार ने आयुध डिपो के आधुनिकीकरण हेतु विदेशों से सहायता मांगी है/सहायता मांगने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (च) 'राष्ट्रीय सहारा' में 29 मई, 2001 को प्रकाशित समाचार का अवलोकन किया गया है। निधियों की कमी के कारण इस समय विद्यमान गोलाबारूद भंडारण सुविधाएं विभिन्न गोलाबारूद डिपुओं में रखे गोलाबारूद को कवरयुक्त भंडारण स्थान उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं थीं। परिणामस्वरूप, बड़ी मात्रा में गोलाबारूद को एक समतल खुली जगह पर तिरपाल से ढककर रखना पड़ा था। सरकार ने अतिरिक्त भंडारण स्थल के निर्माण हेतु निधियां आबंटित कर दी हैं। यह योजना है कि वर्ष 2003–04 तक सारा गोलाबारूद ढके हुए स्थलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

सरकार ने आयुध डिपुओं के आधुनिकीकरण के लिए योजनाएं तैयार की हैं। आरंभ में 187 करोड़ रुपये की लागत पर केन्द्रीय आयुध डिपु, कानपुर के आधुनिकीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है। 10वीं सेना योजना में इसी प्रकार से दो और आयुध डिपुओं का, प्रत्येक डिपो का 300 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, आयुध डिपुओं के आधुनिकीकरण के लिए विदेशी राष्ट्रों से सहायता लेने की कोई योजनाएं नहीं हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड का गठन

529. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में शुरू किए गए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यों के बेहतर रख–रखाव हेतु राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना का विचार कर रही

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) एक राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना करना राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की साझेदारी से आयोजित जन स्वास्थ्य एवं मानवाधिकार आयोग संबंधी क्षेत्रीय परामर्श की सिफारिशों के भाग के रूप में निहित था। तथापि, इस समय ऐसा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

''खादी'' नाम से नए स्टोर खोला जाना

530. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :
श्री दलपल सिंह परस्ते :

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने "खादी" नाम सोफासाजी की विशेषज्ञता वाले नए स्टोर खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे नए स्टोरों को राष्ट्र भर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) क्या वर्तमान में खादी वस्त्र की क्षमता जांचने हेतु ोई बाजार सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में खादी के बढ़ते दर ी क्या संभावना है; और

(ङ) देशभर में खादी वस्त्रों की बिक्री बढ़ाने हेतु खादी ौर ग्रामोद्योग आयोग की रणनीति का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य ंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक ोर प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में ज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) खादी एवं ामोद्योग आयोग ने "खादी" नाम के अंतर्गत सोफासाजी की शेषज्ञता वाले नए स्टोर नहीं खोले हैं। खादी कपड़े की भाव्यता का कोई बाजार सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है तथापि ादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अपनी बिक्री संभावनाओं की आवधिक प से समीक्षा करता है तथा पूरे देश में खादी की बिक्री सुधार के लिए अपेक्षित कदम उठाता है।

भारत-नेपाल संबंध

531. श्री रामजीवन सिंह :
श्री रामशकल :
डा. वी. सरोजा :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री गुनीपाटी रामैया :
श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री उत्तमराव पाटील :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में राजपरिवार हत्याकांड के बाद वहां भारत विरोधी भावनाओं के बढ़ने और भारतीय समाचारपत्रों को जलाए जाने से भारत–नेपाल संबंधों को आघात लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नेपाल में रह रहे भारतीयों के हितों की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदमों समेत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) एक दुर्भाग्यपूर्ण दुखद घटना में नेपाल नरेश वीरेन्द्र और महारनी ऐश्वर्य तथा नेपाल के शाही परिवार के कुछ अन्य सदस्यों की 1 जून, 2001 को गोली मार कर हत्या कर दी गई। राजकुमार दीपेन्द्र, जो इस गोलीकाण्ड में लिप्त था, भी गोली का शिकार हो गया और 4 जून, 2001 को मर गया नेपाल की शाही परिषद ने भूतपूर्व नरेश के छोटे भाई ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह देव की नरेश के रूप में घोषणा की और उन्हें 4 जून, 2001 को राजगद्दी पर बिठाया।

इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तुरंत बाद भारत सरकार ने एक वक्तव्य जारी किया जिसे 2 जून को विदेश मंत्री ने पढ़ा। इसमें कहा गया है कि भारत का निकट पड़ोसी और मित्र होने के नाते भारत नेपाल राज्य के इस राष्ट्रीय शोक की घडी में अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है। सम्मान के रूप में भारत सरकार ने तीन दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की। उसी दिन विशेष रूप से बुलाई गई आपातकालीन बैठक में भारत के मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित किया। हमारे राष्ट्रपति ने नेपाल के नए नरेश को अपनी संवेदना व्यक्त की, प्रधान मंत्री ने राजमाता और तत्कालीन प्रधान मंत्री गिरिजा प्रसाद कोईराला को शोक संदेश भेजे। संवेदनाएं व्यक्त करते

समय यह विश्वास व्यक्त किया गया कि शांति एवं प्रगति के लिए हमारे देशों के बीच मित्रता तथा सहयोग को और सुदृढ़ किया जाएगा।

नेपाल की दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण, अप्रत्याशित और दुखद थी। इस घटना से नेपाल की जनता को दूसरे आघात और दुख पंहुचा। सार्वजनिक दंगों के भय से स्थिति अस्थिर हो गई जिसमें भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने के लिए कुछ निहित स्वार्थी लोगों द्वारा इस दुखद घटना का प्रयोग करने का प्रयास भी शामिल था। तथापि, नेपाल की सरकार ने स्थिति पर काबू पाया जिसने इस दुखद घटना की जांच करने के लिए एक समिति भी गठित की तथा जांच समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया।

भारत और नेपाल के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध मजबूत हैं तथा आपसी समझबूझ एवं विश्वास पर आधारित हैं। हमारे संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

किसी भी देश की आंतरिक घटनाओं से दूसरे देश पर या दोनों देशों के बीच के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा।

[हिन्दी]

गुर्दे खराब होने से प्रभावित लोग

532. श्री रामानन्द सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में गुर्दे खराब होने से प्रभावित लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस युग में भी गुर्दे खराब होने का कोई उपचार नहीं है और देश में गुर्दा प्रतिरोपण की असफलता दर भी काफी नीची है;

(ङ) यदि हां, तो गुर्दे खराब होने के उपचार/रोग हेतु अब तक कारगर दवा के आविष्कार में हमारे अनुसंधान और विकास विभाग के विफल रहने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में किसी कारगर दवा के आविष्कार हेतु क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) देश में वृक्क पात वाले रोगियों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के डा. एस.सी. तिवारी और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ के डा. वी. सखुजा के अनुमानों के अनुसार, प्रत्येक वर्ष एक मिलियन जनसंख्या में से एक सौ लोगों के गुर्दे कार्य करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार, इस समय की हमारी जनसंख्या के लिए यह प्रत्येक वर्ष लगभग एक लाख नए वृक्क पात वाले रोगियों के बराबर होगी।

(घ) से (च) इस समय, विश्व में कहीं भी चिरकारी (क्रानिक) वृक्क पात (रिनल फेल्योर) के रोगियों के उपचार की प्रभावकारी दवाइयां नहीं हैं। चिरकारी वृक्क पात के रोगियों को बचाए रखने के लिए या तो उन्हें गुर्दा प्रत्यारोपण या जीवन–भर डायलिसिस की आवश्यकता होती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रत्यारोपणों की सफलता का अनुपात बानवे प्रतिशत रोगियों के एक वर्ष जीवित रहने का है। जो विश्व में कहीं भी तुलनीय है।

[अनुवाद]

अमरीकी उप विदेश मंत्री का दौरा

533. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी राष्ट्रपति द्वारा पूर्व में घोषित प्रस्तावित ग्लोबल मिसाइल शील्ड के संदर्भ में अमरीका के उप विदेश मंत्री ने हाल ही में विश्व में सुरक्षा और स्थायित्व के लिए नया ढांचा तैयार करने के अमरीकी प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम निकले और उस पर सरकार का क्या रुख है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) (क) जी, हां। अमरीकी डिपुटी सैक्रेटरी आफ स्टेट श्री रिचर्ड अर्मिटेग 11 मई, 2001 को भारत यात्रा पर आए।

(ख) श्री अर्मिटेग ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति श्री बुश के "नए सामरिक ढांचे" में चार बातों, यथा अप्रसार, प्रसार का विरोध, मिसाइल सुरक्षा तथा अमरीकी सामरिक नाभिकी बलों में कमी को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि

परामर्शों का जायजा लिया जा रहा है। और यह कि इस समय मिसाइल रक्षा योजना के बारे में बताने के लिए कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने श्री अर्मिटेग को बता दिया है कि विवाद के बजाय परामर्श और सहयोग पर आधारित प्रस्तावित नया सामरिक ढांचा स्वागत योग्य घटना है। 1972 की ए बी एम संधि अथवा ऐसी ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं जैसे द्विपक्षीय समझौतों को एकपक्षीय तौर पर समाप्त न करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। भारत को यह भी आशा है कि अमरीका अपनी योजनाओं को इस तरह से आगे बढ़ाएगा कि जिससे क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व तथा सुरक्षा संवर्धित हो तथा जो वार्ता, परामर्श तथा सहयोग की भावना द्वारा लगातार निर्देशित हो। विशेष तौर पर सरकार ने नाभिकीय हथियारों को कम करने तथा नाभिकीय हथियारों को सतर्कता की स्थिति से हटाने से संबंधित अमरीकी मंशा का स्वागत किया है। भारत इसे नाभिकीय हथियारों की दौड़ को धीमा करने की दिशा में एक कदम मानता है। भारत यह चाहता है कि भविष्य में भारत और अमरीका के बीच ऐसे आदान–प्रदान और परामर्श जारी रहें।

नागर विमानन के लिए रक्षा हवाई अड्डे

534. श्री नरेश पुगलिया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने देश भर में नागर विमानन के लिए रक्षा हवाई अड्डों के प्रयोग की अनुमति देने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नागर विमानन के लिए रक्षा हवाई अड्डों के प्रयोग को अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ समझौता न हो, क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) कुछ हवाई अड्डों को सिविल विमानन के लिए मुख्यतः निर्धारित/अनिर्धारित संचालकों/एयर टैक्सी संचालकों द्वारा प्रस्तुत मांग के कारण अनुमति दी जाती है। ऐसे हवाई अड्डों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) कुछ रक्षा हवाई अड्डों को छोड़कर, शेष द्वारा सिविल एप्रनों और अंतःक्षेत्रों को अलग बनाया गया है और उनका पहुंच मार्ग भी बिल्कुल अलग कर दिया गया है। जहां कहीं भी सिविल एप्रन को अलग नहीं बनाया गया है वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं।

विवरण

1. आगरा
2. बागडोगरा
3. भुज
4. चंडीगढ़
5. ग्वालियर
6. जैसलमेर
7. जम्मू
8. जामनगर
9. जोधपुर
10. जोरहाट
11. कुंभीग्राम (सिल्चर)
12. लेह
13. पुणे
14. श्रीनगर
15. तेजपुर
16. गोवा
17. डाबोलुम
18. पोर्ट ब्लेअर
19. विजाग
20. बंगलौर
21. इलाहाबाद*
22. गोरखपुर*
23. कानपुर*

*इस समय इन हवाई अड्डों में कोई प्रचालन कार्य नहीं किए जा रहे हैं।

आई.एन.एस. अम्बा में आग

535. श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या सरकार ने आई.एन.एस. अम्बा में आग लगने के कारणों की जांच करने के लिए जांच बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जवाबदेही निर्धारित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) जांच कार्य की अंतिम रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच, मौजूदा नियमों पर पुनः जोर दिया गया है।

चिकित्सीय अपशिष्ट का निपटान

536. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अस्पतालों और निजी चिकित्सालयों से निकला चिकित्सीय अपशिष्ट विभिन्न शहरों में स्वास्थ्य संबंधी बड़े खतरे पैदा कर रहा है;

(ख) क्या अनैतिक व्यक्तियों द्वारा सिरींज जैसे प्रयुक्त वस्तुओं के पुनः चक्रीकरण का समाचार मिला है;

(ग) यदि हां, तो इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) चिकित्सीय अपशिष्ट के निपटान हेतु किन स्थानों पर इलेक्ट्रानिक भस्मीकरण यंत्र लगाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि जैव–चिकित्सीय अपशिष्टों का यदि पर्यावरणिक ढंग से निपटान न किया जाए तो इनसे मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को खतरा हो सकता है।

(ख) जी, हां।

(ग) जैव–चिकित्सीय अपशिष्टों का सुरक्षित हथालन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने जुलाई, 1998 में जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियमों को अधिसूचित किया है।

(घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार बिजली से चलने वाले तीन इनसिनरेटर दिल्ली में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अस्पतालों में स्थापित किए गए हैं।

राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली

537. श्री माधवराव सिंधिया :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री सुरेश कुरूप :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भारत का रुख क्या है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व शांति पर इस नीति के प्रभाव पर सरकार का क्या आकलन है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) से (ग) अमरीका ने औपचारिक रूप से किसी राष्ट्रीय मिसाइल रक्षा प्रणाली का प्रस्ताव नहीं किया है। सरकार को संप्रेषित सरकारी अमरीकी संदेश 1 मई, 2001 को राष्ट्रपति बुश द्वारा दिए गए वक्तव्य से संबंधित था। इस वक्तव्य के संबंध में अमरीकी विदेश उप मंत्री श्री रिचर्ड अर्मिटेग ने 11 मई, 2001 को भारत का दौरा किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति बुश ने एक "नई सामरिक संरचना" का उल्लेख किया है जिसमें चार तत्व शामिल हैं, अर्थात, अप्रसार, प्रसार

का विरोध मिसाइल सुरक्षा और अमरीकी सामरिक नाभिकीय बलों में कमी। उन्होंने कहा कि परामर्शों का जायजा लिया जा रहा है यह कि वे मिसाइल रक्षा योजनाओं के ब्यौरे अभी नहीं दे सकते। सरकार ने श्री अर्मिटेग को बताया कि प्रस्तावित नई सामरिक संरचना, जो संघर्ष नहीं अपितु परामर्श एवं सहयोग पर आधारित है, एक स्वागत योग्य घटना है। 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जैसे समझौतों और ऐसी ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं को एकपक्षीय तौर पर निरस्त न करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। भारत इस बात की भी आशा करता है कि अमरीका अपनी योजनाएं इस प्रकार क्रियान्वित करेगा कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थायित्व तथा सुरक्षा संवर्द्धित होगी और वह वार्ता, परामर्श एवं सहयोग की भावना से कार्य करती रहेगी। विशेषकर सरकार ने नाभिकीय हथियारों को कम करने और उन्हें सतर्कता की स्थिति से हटाने के संबंध में अमरीकी मंशा का स्वागत किया। भारत इसे नाभिकीय हथियारों को समाप्त करने की दिशा में एक कदम मानता है। भारत को आशा है कि भविष्य में अमरीका के साथ ऐसे आदान–प्रदान और परामर्श जारी रहेंगे।

जम्मू और कश्मीर में कट्टर अपराधियों को सुरक्षित रास्ता

538. श्री अधीर चौधरी :

श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 जून, 2001 को 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित समाचार के अनुसार सेना ने जम्मू और कश्मीर के फुलवामा जिले में खदवारा मस्जिद में छिपे कुछ कट्टर आतंकवादियों को सुरक्षित जाने का रास्ता दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऐसे फैसलों से सेना और अन्य सुरक्षा बलों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न स्थितियों से निपटने के संबंध में सुरक्षा बलों को दिए गए निर्देश साफ और स्पष्ट हैं। ये निर्देश संक्रियात्मक मामलों में कार्रवाई करने के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं।

ई-कामर्स प्रौद्योगिकी

539. श्री प्रभात सामन्तराय : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के ई–कामर्स प्रौद्योगिकी क्षमता का पूरा दोहन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश की ई–कामर्स प्रौद्योगिकी क्षमता के दोहन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) ई–वाणिज्य प्रौद्योगिकी की क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए देश में आवश्यक मूलसंरचनात्मक सुविधाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) निम्नलिखित प्रयास शुरू किए गए हैं :

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया है।
- कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नियम तथा विनियम अधिनियमित किए गए हैं।
- परीक्षण स्थल के प्रयास चल रहे हैं।

लघु उद्योगों को बेहतर बनाने हेतु वित्तीय सहायता

540. श्री पी. डी. एलानगोवन : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में लघु उद्योगों का स्तर सुधारने हेतु और वित्तीय सहायता आबंटित करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मुख्य लघु उद्योग क्षेत्र से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं के विकास हेतु कुल कितनी धनराशि आबंटित और वितरित की गई?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) भारत सरकार लघु उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विकास में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सहयोग करती है और इस उद्देश्य हेतु समुचित वित्तीय सहायता का आबंटन कर रही है। केन्द्रीय प्लान योजना के अंतर्गत लघु उद्योग क्षेत्र हेतु आबंटन को 1998–99 में 234.25 करोड़ रुपये से 2000–2001 में 379.55 करोड़ रु. तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) निजी क्षेत्र में लघु उद्योग क्षेत्र इकाइयां स्थापित की गई हैं और लघु उद्योग क्षेत्र के माध्यम से आय सृजन पर इस प्रकार का डाटा/सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय प्लॉन योजना के संबंध में बजटीय प्रावधान और जारी किया गया फंड निम्नोक्त है :

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजटीय प्रावधान	जारी किया गया फंड
1998–99	234.25	196.94
1999–2000	266.50	254.52
2000–2001	379.55	373.90(अ)

(अ) अनंतिम

आरक्षण हटाए जाने संबंधी अधिसूचना में विलंब

541. श्री ए. वेंकटेश नायक : क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 जून, 2001 के 'दि बिजनेस स्टेंडर्ड' में "गवर्नमेंट सेट टू नोटिफाई डिरिजर्वेशन ऑफ एस एस आई आइटम्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) लघु उद्योग की सूची से वस्तुओं के आरक्षण को हटाए जाने संबंधी अधिसूचना में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में अधिसूचना को कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) जैसा कि संघीय बजट 2001–2002 में घोषणा की गई थी, सरकार ने लघु उद्योग में विशेष विनिर्माण हेतु आरक्षित मदों की सूची में से 14 मदों को अनारक्षित करते हुए दिनांक 29 जनू, 2001 को एक अधिसूचना एस. ओ. सं. 603 (ई) जारी की है।

[हिन्दी]

विकलांग संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

542. श्री महेश्वर सिंह : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9.12.1998 को मंत्री महोदय के साथ आयोजित बैठक में विकलांग संस्थान के अधिकारियों, व्यक्ति और व्यावसायिक चिकित्सा (फिजियोथिरेपी एंड ओक्यूपेशनल थिरेपी) के छात्र नेताओं ने अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्णय किया कि भारतीय पुनर्वास परिषद को विकलांग संस्थान में फिजियोथेरेपी और व्यवसायिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर स्तर (पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ फिजियोथेरेपी एंड ओक्यूपेशनल थिरेपी) की पढ़ाई की व्यवस्था करनी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त संस्थान में उपरोक्त स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

वस्तुओं की खरीद

543. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या **रक्षा** मंत्री सेना मुख्यालय द्वारा वस्तुओं की खरीद के बारे में 18.4.2001 के अतारांकित

प्रश्न संख्या 4790 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) एनसीसीएफ द्वारा सेना मुख्यालय के ओएसपी–I को आपूर्ति की गई मिल से बनी अथवा गढ़ी हुई चादर की गुणवत्ता, संख्या, आकार, रंग का विवरण क्या है;

(ख) क्या ओ एस पी–I एन सी सी एफ को मिल निर्मित अथवा गढ़ी हुई चादर के रंग, आकार, गुणवत्ता इत्यादि के संबंध में कोई विनिर्देश देती है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ऐसा विनिर्देश देना आवश्यक है;

(ङ) क्या आपूर्ति, दर, गुणवत्ता इत्यादि के स्रोत की प्रामाणिकता का निर्धारण करने के लिए केन्द्रीय भंडार जैसी अन्य एजेंसियों से मूल्य दर मांगे/प्राप्त किए गए; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (घ) नेशनल को–ओपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली ने आयुध डिपो, शकूरबस्ती को बाम्बे डाईंग की चादरें सप्लाई कीं। आयुध सेवाएं प्रावधान अनुभाग–I, सेना मुख्यालय ने दिए गए सप्लाई आर्डर में चादरों की विनिर्दिष्टियों का उल्लेख नहीं किया क्योंकि प्रयोक्ता यूनिट द्वारा अनुमोदित नमूने के अनुसार ही सप्लाई की जानी थी। यह मद अमानक मद थी जिसे सेवा में इस्तेमाल नहीं किया जाना था।

(ङ) और (च) फर्मों ने निविदा पूछताछ में हिस्सा लिया था। केन्द्रीय भंडार ने इसमें भाग नहीं लिया था।

[हिन्दी]

तहलका प्रकारण

544. श्री रामदास आठवले :
श्री शंकर सिंह वाघेला :
श्री रामजीलाल सुमन :
डा. सुशील कुमार इंदौरा :
श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री सुनील खां :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तहलका मुद्दे पर सेना द्वारा गठित कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या सरकार ने दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी संख्या कितनी है और प्रत्येक अधिकारी के पद क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) जांच अदालत ने पाया है कि कुछ सेवाकालीन अधिकारियों ने गंभीर अपराध किए हैं और उनके खिलफ कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की है। तीन मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक कर्नल और एक लेफ्टिनेंट कर्नल के खिलाफ अनुशासनिक/प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की सिफारिश की गई है। सेना कार्मिकों पर लागू नियमों एवं विनियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

[अनुवाद]

दसवीं पंचवर्षीय योजना संबंधी दृष्टिकोण पत्र

545. श्री शिवाजी माने :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न संगठनों द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पत्र की आलोचना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आल्टरनेटिव दलित मीडिया ने इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन सौंपा है;

(घ) यदि हां, तो इसमें किन–किन विषयों पर चर्चा की गई और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र को अभी राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ग) जी, हां।

(घ) ज्ञापन में उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि दलितों का कल्याण, प्राथमिक रूप से, बढ़ते हुए सार्वजनिक निवेश और रोजगार पर निर्भर करता है, तथा बढ़ती हुई निजी पहलों से हाने वाले विकास पर इतना अधिक निर्भर नहीं है। गरीबी रोधी कार्यक्रमों को उनके वर्तमान रूप में और भूमि सुधारों को जारी रखने का भी उल्लेख किया गया है।

(ङ) इन मुद्दों की राजकोषीय अनुकूलता और व्यापक राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में जांच की जा रही है।

सशस्त्र सेना और सुरक्षा का पुनर्गठन किया जाना

546. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सशस्त्र सेनाओं के खुफिया तंत्र सहित इसके विभिन्न स्कंधों में बेहतर समन्वय स्थापित करके इनके पुनर्गठन का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की इसकी समग्रता से समीक्षा करने तथा विशेष रूप से कारगिल पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों पर विचार करने तथा कार्यान्वयन हेतु विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने के लिए 17 अप्रैल, 2000 को एक मंत्री–समूह का गठन किया था। इसी मंत्री–समूह में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तथा वित्त मंत्री शमिल थे। इस मंत्री–समूह ने विविध मामलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' नामक शीर्षक से एक व्यापक रिपोर्ट तैयार की जो 26 फरवरी, 2001 को प्रधान मंत्री को सौंप दी गई। मंत्री–समूह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में रक्षा प्रबंधन से संबंधित मुख्य सिफारिशों में (I) प्रधान सेनाध्यक्ष (II) रक्षा स्टाफ (III) रक्षा अधिप्राप्ति बोर्ड (IV) एक रक्षा आसूचना एजेंसी (V) एक राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (VI) अंडमान तथा निकोबार कमान (VII) सामरिक बल कमान (VIII) रक्षा मंत्रालय में एकीकृत मुख्यालय (IX) एकीकृत मुख्यालय को अधिक प्रशासनिक शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा 15–20 वर्षों के लिए एकीकृत रक्षा संदर्शी योजना तैयार करना शामिल हैं। मंत्री–समूह में आसूचना इकट्ठा करने और बाद में उसका विश्लेषण करने और उसे आगे भेजने की व्यवस्था को मजबूत बनाने की भी सिफारिश की है। मंत्री–समूह द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में निहित सिफारिशों को सरकार ने इस संशोधन के साथ 11 मई, 2001 के मंजूरी प्रदान कर दी कि प्रमुख सेनाध्यक्ष का पद बनाए जाने संबंधी सिफारिश पर विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ परामर्श करने के बाद विचार किया जाएगा। मंत्री–समूह की सिफारिशों का कार्यान्वयन पहले ही आरंभ कर दिया गया है। सरकार कार्यान्वयन प्रक्रिया की सघन मानीटरी कर रही है ताकि की गई सिफारिशों का समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। इस संबंध में और ब्यौरा प्रकट करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. सुविधाएं

547. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने कार्यरत पति–पत्नी को सुलभ केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं को प्राप्त करने के योग्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बिना आय–सीमा के कार्यरत सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त माता–पिता के लिए सी.जी.एच.एस. की सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कोई विकल्प लाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेवारत सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त माता–पिता केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना सुविधाओं के पात्र हैं यदि उनकी मासिक आय 1500/–रुपये प्रतिमाह तक है।

[अनुवाद]

गैर सरकारी संगठनों के लिए निधियां

548. श्री राम प्रसाद सिंह :

चौधरी तेजवीर सिंह :

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्रीमती सुशीला सरोज :
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :
श्री ए. नरेन्द्र :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार से राज्यवार कौन–कौन से गैर–सरकारी संगठन वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता और अनुदान राशि जारी की गई;

(ग) क्या जारी की गई धनराशि का इन संगठनों द्वारा उचित उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार को इन गैर–सरकारी संगठनों में से कुछ के विरुद्ध सरकारी अनुदानों/सहायता के दुर्विनियोजन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ऐसे संगठनों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान किन–किन संगठनों को काली सूची में डाला गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्य देशों को सैन्य प्रशिक्षण

549. श्री सनत कुमार मंडल :
डा. वी. सरोजा :

क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे देश के रक्षा प्रतिष्ठानों में सैन्य प्रशिक्षण के लिए किसी देश को अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ग) जी, हां। मित्र देशों के साथ सैन्य प्रशिक्षण सहयोग विकसित करने के एक हिस्से के रूप में अपने राष्ट्रीय हित तथा सैन्य राजनय के लिए अनेक मित्र देशों के अफसरों और जवानों को हमारे देश में विभिन्न सैन्य स्थापनाओं और संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(ख) रक्षा मंत्रालय/विदेश मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कम विकसित और विकासशील देशों को बड़े पैमाने पर भारत में पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। स्व वित्त पोषित आधार पर या पारस्परिक व्यवस्था के तहत विकसित देशों को भी पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है।

[हिन्दी]

उजबेकिस्तान के साथ ईंधन भरने वाले विमान आई. सी.-78 के लिए समझौता

550. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायु सेना के विमानों की उड़ान के दौरान ईंधन भरने वाले आई सी–78 की खरीद के लिए उजबेकिस्तान के साथ समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे विमानों का देश में विकास करने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जसवंत सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। छह आई एल–78 फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए उजबेकिस्तान के साथ फरवरी, 2001 में एक करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। क्योंकि ऐसे विमानों की आवश्यकता कम है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम

551. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम द्वारा प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि संवतरित की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ऋण के संवितरण हेतु लाभार्थियों के चयन हेतु निगम द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रिया से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को निम्नलिखित शेयर पूंजी की स्वीकृति प्रदान की है।

1998–1999	32 करोड़ रुपये
1999–2000	20 करोड़ रुपये
2000–2001	25 करोड़ रुपये

एन.एम.डी.एफ.सी. राज्य माध्यम एजेंसियों को दिशा निर्देशों के अनुसार निधियां प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा प्रदत्त राशि के राज्यवार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एनएमडीएफसी द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को वितरित राशि का ब्यौरा

राज्य	एससीए	1998–99 राशि	1999–00 राशि	2000–01 राशि
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	एपीएसएमएफसी	376.81	589.00	100.00
असम	एएमडीएफसी	77.93	28.18	80.47
बिहार	बीएसएमएफसी	242.55	0.00	326.00
चंडीगढ़	सीएचसीएफडीसी	14.94	9.36	7.51
गुजरात	जीबीसीडीसी	481.64	633.23	0.00
	जीएमएफडीसी	0.00	0.00	400.00
हिमाचल प्रदेश	एचपीएमएफडीसी	91.03	56.90	0.00
हरियाणा	एचबीसीकेएन	238.99	225.00	124.78
जम्मू और कश्मीर	जेकेएससीएस टीडीसी	299.77	0.00	100.00
	जेकेडब्ल्यूडीसी	21.25	95.00	77.11
केरल	केबीसीडीसी	378.63	612.00	965.00
	केएससीएफएफडीसी	152.31	78.50	119.36
	केएसडब्ल्यूडीसी	168.45	259.00	125.00
कर्नाटक	केएमडीसी	641.89	632.00	600.00
महाराष्ट्र	एमएचबीसीएमएफडीसी	0.00	0.00	0.00
मणिपुर	एमटीडीसी	124.22	0.00	0.00
मध्य प्रदेश	एमपीबीसीएमएफडीसी	235.18	125.00	0.00
	एमपीएचडीसी	17.91	55.05	111.00
मिजोरम	एमसीएबी	55.20	54.00	342.08
	जैडआईडीसीओ	79.23	190.63	600.35
नागालैंड	एनआईडीसी	52.10	124.00	350.00
उड़ीसा	ओआरएससीएसटीएफडीसी	199.70	300.00	0.00
पांडिचेरी	पीडीबीसीएमडीसी	0.00	0.00	20.00

1	2	3	4	5
पंजाब	पीडीबीसीएमडीसी	175.74	204.00	455.00
राजस्थान	आरएससीएसटी एफडीसीसी	99.12	100.00	30.00
तमिलनाडु	टीएबीसीईडीसीसी	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	टीएससीडीसी	66.79	36	0.00
उत्तर प्रदेश	यूपीएमएफडीसी	855.67	1030	1500.00
पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएमडीएफसी	791.94	641	800.00
	कुल	5938.99	6077.85	7243.66

सी.एम.सी. का निजीकरण

522. श्री प्रह्लाद सिंह पटेल : क्या **सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार सी.एम.सी. का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निजीकरण की प्रक्रिया को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) और (ख) जी, हा। सरकार ने सीएमसी लि. में अपनी साम्यपूंजी को घटाकर 26 प्रतिशत करने का निर्णय किया है।

(ग) विनिवेश की प्रक्रिया वर्ष 2001–02 के दौरान पूरी होने की संभावना है।

[अनुवाद]

एच.आई.वी./एड्स संबंधी एन.जी.ओ./ यू.एन. की एड्स रिपोर्ट

553. श्री टी. एम. सेल्वागनपति : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र एड्स शिखर सम्मेलन में गैर–सरकारी संगठनों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में 560,000 लोग एड्स/एच आई वी से संक्रमित हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में एच आई वी/एड्स से संबंधित रोगों पर अंकुश लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित बोर्ड का सदस्य बनने के लिए कोई कदम उठाया है जो अंतर्राष्ट्रीय, एच आई वी/एड्स और स्वास्थ्य निधियों को विनियमित करेगी; और

(घ) यदि हां, तो मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। वार्षिक प्रहारी निगरानी के आधार पर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने अनुमान लगाया है कि देश में कुल 38.6 लाख लोग एच आई वी से संक्रमित हैं।

(ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित मुख्य घटकों के साथ एक व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है :

- लक्षित जनसंख्या का पता लगाकर और पीयर काउंसिलिंग, कंडोम संवर्धन, यौन संचारित संक्रमणों के उपचार आदि द्वारा उच्च जोखिम पूर्ण समूहों में एच आई वी का फैलाव कम करना।
- सूचना, शिक्षा व संचार और जागरूकता अभियान, ऐच्छिक जांच व परामर्श निरापद रक्ताधान सेवाओं की व्यवस्था और व्यावसायिक प्रभाव की रोकथाम द्वारा आम जनता के लिए निवारक उपाय करना।
- एच आई वी/एड्स से पीड़ित लोगों को अवसरवादी संक्रमणों, घर और समुदाय आधारित परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय, राज्य और नगरीय स्तर पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय वहनीयता को सुदृढ़ करना।
- सार्वजनिक, निजी और स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच समन्वय को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) 25 से 27 जून, 2001 को एच आई वी/एड्स पर हुए संयुक्त राष्ट्र महा सभा के विशेष सत्र में अपनाई गई वैश्विक एच आई वी/एड्स और स्वास्थ्य निधि संबंधी संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पर भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

आतंकवाद के विरुद्ध भारत-अमरीका सहयोग

554. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री जी. एस. बसवराज :
श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर कार्य करते रहने तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से मध्य एशियाई देशों से संपर्क करने का संकल्प किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत और अमरीका आतंकवाद से लड़ने के लिए एक ठोस प्रस्ताव और कार्य योजना तैयार कर पाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) भारत और अमरीका ने आतंकवाद का प्रतिकार करने वाले संयुक्त कार्य दल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में अपने–अपने सहयोग को संस्थागत ढांचा दिया है। आतंकवाद का प्रतिकार करने में अपने–अपने सहयोग के भाग के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को संवर्धित करने के लिए दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में मिलकर तथा अन्य देशों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। अमरीका भी अन्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद का प्रतिकार के प्रयासों में करने में मदद करता है।

(ख) और (ग) जी, हां। वाशिंगटन डी सी में 25–26 जून, 2001 को संपन्न आतंकवाद का प्रतिकार करने से संबद्ध भारत अमरीका संयुक्त कार्य दल की तीसरी बैठक में दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, उग्रवाद और नशीली दवाओं के गैर कानूनी व्यापार के बढ़ते हुए खतरे पर चिंता व्यक्त की। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की सभी कार्रवाइयों, तरीकों और कृत्यों की स्पष्ट तौर पर निंदा की क्योंकि वे आपराधिक और अनुचित हैं, चाहे वे कहीं भी और किसी के द्वारा किए गए हों, तथा उन्हें उचित ठहराने के लिए चाहे किसी भी बात का सहारा क्यों न लिया जाए।

संस्थागत संरचनाओं को सुदृढ़ बनाने में अमरीका के अनुभव तथा विशेषज्ञता को बांटने की अमरीका की पेशकश का स्वागत किया। भारत सरकार ने इस रासायनिक, जैविकी, रेडियम–विज्ञान, और नाभिकीय संबंधी आतंकवादी खतरों का प्रतिकार करने से संबद्ध एक संगोष्ठि इस वर्ष के अंत में आयोजित करने की अमरीका की पेशकश को स्वीकार किया। दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में सूचना के आदान–प्रदान को बढ़ाने तथा प्रस्तावों एवं कार्रवाइयों के समन्वय को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया। इसके अलावा, दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभिसमय के भारत के प्रस्ताव पर परामर्श जारी रखा जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की छठी समिति में चर्चा की जानी है तथा इसे शीघ्र अंतिम रूप दिए जाने के लिए अपना सहयोग दोहराया।

तालिबान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने, ओसामा बिन लादेन को शरण देने और अफगानिस्तान के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को बंद करने में विफल होने के संबंध में उस पर लगाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प 1267 तथा 1333 के प्रति उन्होंने अपने–अपने समर्थन की पुनः पुष्टि की। वे इन संकल्पों के प्रभावी क्रियान्वयन को अत्यंत महत्व देने पर सहमत हुए जिसमें एक उचित निगरानी व्यवस्था के जरिए ऐसा करना भी शामिल है।

एड्स द्वारा मृत्यु

555. श्री विजय गोयल :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की स्थिति के अनुसार राज्य वार/संघ राज्य क्षेत्र–वार देश में एड्स से कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या मृत्यु–दर में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसे नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने निर्धन रोगियों, जो दवाओं की कीमत नहीं चुका सकते, के निःशुल्क उपचार के लिए कोई व्यवस्था की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मौतों की

अधिकांशतः अल्प सूचना दी जाती है, तथापि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में यथासूचित एड्स से संबद्ध मौतों की राज्य–वार/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, हां। मुख्य रूप से राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटियों द्वारा एड्स से हुई मौतों की सूचना देने में हुए सुधार के कारण वर्ष 2000 में मौतों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ग) से (ङ) एड्स का कोई इलाज नहीं है। तथापि, सरकार दीर्घ आयु तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एड्स रोगियों को अवसरवादी संक्रमण के लिए मुफ्त उपचार प्रदान कर रही है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान एड्स के कारण हुई मौतों (राज्य वार) को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998	1999	2000 दिसंबर तक
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	6	–	–
2.	असम	1	–	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	–
4.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	7
5.	बिहार	12	5	7
6.	चंडीगढ़	–	–	13
7	पंजाब	4	–	–
8.	दिल्ली	–	–	24
9.	दमन और दीव	–	–	–
10.	दादरा और नगर हवेली	1	2	–
11.	गोवा	4	–	3
12.	गुजरात	–	12	–
13	हरियाणा	–	–	5
14.	हिमाचल प्रदेश	34	6	–
15.	जम्मू व कश्मीर	4	–	–
16.	कर्नाटक	12	20	19
17	केरल	82	13	–
18.	लक्षद्वीप	–	4	–
19.	मध्य प्रदेश	–	–	50
20.	महाराष्ट्र	–	–	57
21.	मणिपुर	–	2	17
22.	मिजोरम	–	–	7
23.	मेघालय	4	1	–
24	नागालैंड	1	12	25
25.	उड़ीसा	–	–	–
26.	पांडिचेरी	18	71	–
27.	राजस्थान	–	–	–
28	सिक्किम	–	1	–
29.	तमिलनाडु	2	–	19
30.	त्रिपुरा	–	–	–
31.	उत्तर प्रदेश	–	–	4
32.	पश्चिम बंगाल	–	–	–
	कुल	185	149	358

शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए राष्ट्रीय आयोग

556. डा. वी. सरोजा : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अवसर तथा राष्ट्र के निर्माण में उनकी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ढांचा का प्रावधान है। इसमें निःशक्त व्यक्तियों के लिए शिक्षा, रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आरक्षण, जनशक्ति विकास, अवरोधमुक्त वातावरण का निर्माण तथा अन्य विकास संबंधी कार्यकलापों सहित व्यापक पुनर्वास का प्रावधान है। ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क अंगघात, मानसिक मंदता तथा बहु विकलांगताओं से ग्रस्त व्यक्तियों के अधिकारों का *समर्थन करने तथा उनके हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय न्यास* स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम निःशक्त व्यक्तियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए तथा स्वरोजगार के लिए ऋण देकर आर्थिक पुनर्वास को बढ़ावा देता है। विभिन्न स्तरों पर जनशक्ति विकास और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय संस्थानों, संयुक्त पुनर्वास केन्द्रों, क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्रों तथा जिला केन्द्रों की स्थापना की गई है। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने तथा शिकायत निपटान प्रणाली का प्रावधान करने के लिए भी केन्द्रीय सरकार स्तर पर निःशक्त व्यक्तियों के मुख्य आयुक्त तथा राज्य स्तरों पर निःशक्त व्यक्तियों के आयुक्त के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। उपर्युक्त के आलोक में, निःशक्त व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने की आवश्यकता नहीं है।

आयुर्वेदिक अस्पताल

557. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली में सभी सुविधाओं से युक्त एक आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस अस्पताल हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दक्षिण दिल्ली में भूमि आबंटित कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो अस्पताल के भवन का निर्माण कार्य कब तक प्रारंभ होने की संभावना है और यह कब तक कार्य करना प्रारंभ कर देगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) नई दिल्ली में एक आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आबंटन हेतु भूमि की पेशकश की गई है।

(ग) अब तक कोई भी समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

गरीब रोगियों को विवेकाधीन अनुदान

558. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच एम डी जी के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अस्पतालों में गरीब रोगियों को विवेकाधीन अनुदान स्वीकृत करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में और आज ऐसे गरीब रोगियों को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा अनुदान प्रदान करने के लिए क्या निर्धारित मापदंड हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) स्वास्थ्य मंत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत किसी भी अति–विशिष्टता वाले अस्पताल/संस्थान अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में विशिष्ट उपचार और सर्जिकल इन्टरवेनशन करवाने के लिए गरीब और जरूरतमंद रोगियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है। यह स्कीम केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों तक सीमित नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (जून, 2001 तक) के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता लेने वाले रोगियों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) ऐसा अनुदान स्वीकृत करने संबंधी मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं :

(i) नियमों के अंतर्गत पहले ही किए जा चुके व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमत्य नहीं है;

(ii) नियमों के अंतर्गत चिरकारी उपचार जिसमें आवर्ती व्यय शामिल होता है, अनुमत्य नहीं है;

(iii) सामान्य प्रकृति के मामलों जिनका उपचार महंगा नहीं है, के लिए वित्तीय सहायता अनुमत्य नहीं है;

(iv) क्षय रोग के मामलों जिनके लिए राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त उपचार उपलब्ध है, के लिए वित्तीय सहायता अनुमत्य नहीं है;

(v) नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी पात्र नहीं हैं।

विवरण

1998–99, 1999–2000, 2000–2001 और वर्तमान वर्ष 30 जून तक के दौरान स्वास्थ्य मत्री के विवेकाधीन अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता लेने वाले रोगियों की सूची

1998-99

क्र.सं.	लाभार्थी का नाम	बीमारी	अस्पताल का नाम	अनुदान की रकम
1	2	3	4	5
	आंध्र प्रदेश			
1.	श्री रंजीत एस. पै	हार्ट	मुबई अस्पताल ट्रस्ट	20,000/–
2.	श्री के विश्व प्रसाद	हार्ट	एनआईएमएस, हैदराबाद	20,000/–
3.	श्रीमती पी. कल्याणी	हार्ट	–तदैव–	20,000/–
4.	कु. किरण जयनम	हार्ट	–तदैव–	16,000/–
5.	मिस वी. इंदिरा	कैंसर	टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई	20,000/–
6.	श्रीमती टी. शकुन्तला	हार्ट	मेडविन अस्पताल, हैदराबाद	20,000/–
7	श्री बी. श्याम सुन्दर	हार्ट	एनआईएमएस, हैदराबाद	15,000/–
8.	श्रीमती ए. जयमा	हार्ट	तदैव–	10,000/–
9.	श्री जे. सुभाष	पोलिया	होसमेट अस्पताल, बंगलौर	12,000/–
10.	कु. जानकी	हार्ट	शेअर मेडिकल केअर, हैदराबाद	20,000/–
11.	श्री एस. सूर्यनारायणा मूरली	किडनी	मेडिसिटी अस्पताल, हैदराबाद	20,000/–
	असम			
2.	मिस सीमा कौर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
3.	श्री के. के. सैकिया	किडनी	तमिलनाडु अस्पताल लि., चैन्नई	20,000/–
	बिहार			
4.	श्री अमरेन्द्र कु. सिंह	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
5.	श्री नौशाद	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–

1	2	3	4	5
16.	श्री तनूक सिंह	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	14,000/–
17.	श्री एम. एस. खान	आर्थोपैडिक्स	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	3,000/–
18.	श्री एस. मेहता	कैंसर	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	5,000/–
19.	श्री एस. के. जायसवाल	ब्रेन ट्यूमर	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	4,000/–
20.	श्री टी. शर्मा	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
21.	श्री अशोक कुमार	हैपेटाइटिस बी	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	6,000/–
22.	श्री रिषिकेश	कैंसर	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	10,000/–
23.	श्री मोह. अयू	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	5,000/–
24.	श्रीमती नीलम सिंह	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
25.	श्री मनोज कुमार	रीनल	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
26.	मास्टर जीशान	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
27.	श्री सुमन कुमार	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	14,000/–
28.	श्रीमती स्मृति सिन्हा	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	12,000/–
29.	श्रीमती सावित्री देवी	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
30.	श्री वी. के. चौधरी	आर्थोपैडिक्स	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	5,000/–
31.	श्री बेलीराम शर्मा	हार्ट	आ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
32.	मिस नीता कुमारी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	4,000/–
33.	श्री जाहिद आलम	टी.बी.	व्यक्तिगत	5,000/–
34.	श्री पंचानन पांडे	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
35.	श्री उपेन्द्र शर्मा	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	7,500/–
36.	श्रीमती अनिता देवी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	10,000/–
37.	मोह. शकील	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
38.	श्री ए. रहमान	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
39.	श्री परसादी सिंह	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	11,000/–
40.	के. बेगम खातून	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	4,000/–
41.	श्री बी.एन. प्रसाद	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–

1	2	3	4	5
42.	श्री रावेन्द्र कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
43.	श्री राज नारायण	हैपेटाइटिस बी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
44.	श्री रंजन कुमार	रीनल	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
45.	श्री अब्दुल बारी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
46.	मा. सुतंत्र कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
47.	श्री पवन कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
48.	सुश्री लाली कुमारी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
49.	श्रीमती कृष्णा देवी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
50.	मा. वासुधर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
51.	श्री नवीन कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
52.	श्री गनेश प्रसाद वर्मा	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
53.	श्री बी. एन. झा	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
54.	मा. टी. के. गोरई	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
55.	मा. गुलशन कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	12,000/–
56.	श्री राकेश कुमार	थैलीसीमिया	सीएमसी., वेल्लोर	20,000/–
57.	श्री केश्वर राम	हार्ट	सफदरजंग अस्पताल	10,000/–
58.	श्री पंकज	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	15,000/–
59.	मिस माला	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
60.	श्री किशोर कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
61.	श्री विनोद कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
62.	श्री अविदेश	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
63.	श्री पी. एल. गोयल	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
64.	श्री कारी यादव	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
65.	श्रीमती सुमिता देवी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
66.	श्री ललन सिंह	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
67.	श्री जी. सी. मिश्रा	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–

1	2	3	4	5
68.	मा. जय किशन	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	5,000/–
69.	श्री राजू मिश्रा	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
70.	मा. बाबू	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	12,000/–
71.	श्री सीताराम मंडल	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
72.	मा. अविनाश	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	10,000/–
73.	श्रीमती उर्मिला देवी	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	10,000/–
74.	श्रीमती जनक किशोरी	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
75.	मो. सलाहुद्दीन	हार्ट	सेंट स्टीफेन अस्पताल, दिल्ली	15,000/–
76.	श्री आदित्य प्रकाश	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
77.	श्री ब्रजेश कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
	दिल्ली			
78.	सुश्री अपराजिता भाटिया	ब्लड कैंसर	सुदरलाल जैन चैरिटेबल हास्पिटल, दिल्ली	10,000/–
79.	श्री एन. चक्रवर्ती	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
80.	श्री लक्ष्मी दत्त पंत	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
81.	मा. लोकेश	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	14,000/–
82.	मा. किशन लाल	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	10,000/–
83.	मा. जुल फकर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	14,000/–
84.	मा. राहुल	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	12,000/–
85.	श्री श्याम	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
86.	श्री त्रिभुवन	टीबी	डा. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	5,000/–
87.	सुश्री अपूर्वा कोहली	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	10,000/–
88.	श्रीमती गिरिजा देवी	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	3,000/–
89.	श्रीमती ए. सत्यभामा	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
90.	श्री राम धनी	हार्ट	जीबी पंत अस्पताल, नई दिल्ली	14,000/–
91.	श्री राम करण	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
92.	मा. अली अहदम	ब्लड कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	15,000/–

1	2	3	4	5
93.	श्री संतोष कुमार	हार्ट	पी. अस्पताल, दिल्ली	20,000/–
94.	श्री प्रशांत कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	12,000/–
95.	श्री मनोज	हार्ट	जीबी पंत अस्पताल, दिल्ली	7,500/–
96.	कुमारी पिंकी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
97.	मा. आशीष	हैपेटाइटिस बी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	5,000/–
98.	श्री हरभजन सिंह	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
99.	श्री हरि सिंह	हार्ट	सेंट स्टीफन अस्पताल, दिल्ली	18,000/–
100.	सुश्री रेखा चौहान	मानसिक	वीआईएमएचएएनएस, नई दिल्ली	10,000/–
	हरियाणा			
101.	श्री महेश कुमार	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	16,000/–
102.	मा. याशविन्दर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	12,000/–
103.	श्री श्याम सुन्दर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
104.	श्रीमती मंजीत कौर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
105.	श्री निहाल चन्द	ब्रेन ट्यूमर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
106.	श्री मुकेश कुमार शर्मा	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	15,000/–
107	श्रीमती जीत कौर	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
108.	श्री मनफूल सिंह	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	17,000/–
109.	श्री विनोद कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
110.	श्री जय कुमार	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
111.	श्री राम भान	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
112.	श्री ओम प्रकाश	हार्ट	जी.बी. पंत अस्पताल, दिल्ली	20,000/–
113.	श्रीमती अशर्फी	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
114.	श्री संजय कुमार	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	20,000/–
115.	कुमारी रेखा	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
116.	श्री राजू	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
117.	श्री राजेश	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	18,000/–

1	2	3	4	5
118.	श्री दर्शन मेहरा	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
119.	मा. रोहित कपिल	कैंसर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
120.	कुमारी बीना	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	15,000/–
121.	श्री अशोक कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
	जम्मू व कश्मीर			
122.	श्री पाल सिंह	हार्ट	डा. आएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	2,000/–
123.	श्री ओम प्रकाश गुप्ता	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
124.	श्री अख्तर अली	हार्ट	बत्रा अस्पताल, दिल्ली	20,000/–
	केरल			
125.	श्री ई. के. राजीवन	किडनी	नेशनल अस्पताल, कालीकट	20,000/–
126.	श्री वी. के. सुधीर	किडनी	नेशनल अस्पताल, कालीकट	8,000/–
127.	श्री सी. पी. दविस	हार्ट	कोवई मेडिकल सेंटर, कोयम्बटूर	16,000/–
128.	श्री के. के. गोपी	हेड इन्ज्यूरी	एमएम अस्पताल, कालेनचेरी	6,000/–
129.	श्री शकीर पी.	कैंसर	रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनन्तपुरम	20,000/–
130.	श्रीमती अन्नाकुट्टी चाको	कैंसर	रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनन्तपुरम	10,000/–
131.	श्रीमती एस. सनिता	किडनी	उथ्रादम थियनल अस्पताल	20,000/–
	महाराष्ट्र			
132.	श्री चन्द्रकांत एस. कुलकर्णी	किडनी	जानकी अस्पताल, औरंगाबाद	20,000/–
133.	मा. मनोज	हार्ट	जेजे ग्रुप आफ अस्पताल, मुंबई	8,500/–
134.	श्रीमती प्रेम गंडोतरा	हार्ट	केईएम अस्पताल, मुंबई	16,000/–
135.	श्रीमती अरूणा चौधरी	हार्ट	सेंट्रल इंडिया इंस्टी. आफ मे. साइंसेज	12,500/–
136.	श्रीमती सरस्वती पारखी	हार्ट	पुणे मेडिकल फाउंडेशन	20,000/–
137.	श्री विनोद कुबडे	हार्ट	सेंट्रल इंडिया इंस्टी. आफ मे. साइंसेज	10,000/–
138.	श्री गुलाम सुभानी	किडनी	जानकी अस्पताल, औरंगाबाद	12,000/–
139.	श्री अशोक डी महाजन	कैंसर	टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई	20,000/–

1	2	3	4	5
	मणिपुर			
140.	श्री कैजालियन	लीवर	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	8,000/–
	मध्य प्रदेश			
141.	श्रीमती सुनीत शुक्ला	एड्स	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
142.	कु. रूबी शुक्ला	एड्स	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
143.	श्री राजमणि शुक्ला	एड्स	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
144.	श्री बसंत कुमार	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	18,000/–
145.	श्री मनोज पांडे	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
146.	श्री त्रिलोकीचंद पांडे	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
147.	श्री तरूण डे	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
	उड़ीसा			
148.	श्री ललित किशोर साहू	हार्ट	अपोलो अस्पताल, हैदराबाद	20,000/–
149.	श्री प्रदीप कुमार	आंख	आरपी सेंटर, नई दिल्ली	4,000/–
150.	श्री बी. के साहू	आर्थोपैडिक्स	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
151.	श्री एम. के. चड्ढा	किडनी	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	20,000/–
	पंजाब			
152.	श्री सतनाम सिंह	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	11,000/–
	राजस्थान			
153.	श्रीमती नर्वदा मेगावंशी	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	14,000/–
154.	श्रीमती अंजु देवू	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	20,000/–
155.	श्री पूरन	हार्ट	अ.भा.आयु.सं., नई दिल्ली	4,000/–
156.	मो. नमुद्दीन	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	17,000/–
157.	श्री दया चंद	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	17,000/–
158.	श्री किशन सिंह	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	16,000/–
159.	श्री सहारमल	हार्ट	एसएमएस अस्पताल, जयपुर	20,000/–